खण्ड–510, अंक–03
बुधवार, 27 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1941
(18 दिसम्बर, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, चतुर्थ सत्र, 2019)

(खण्ड 510 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	. .	1-8
प्रदेश में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पर विपक्षी दलों द्वारा सदन में घोर व्यवधान	...	9-10
प्रश्नोत्तर	...	11-123
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार	...	123-124
विशिष्ट महानुभावों, श्रीमती सुषमा स्वराज एवं श्री अरुण जेटली, पूर्व केन्द्रीय मंत्री के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्‌गार	...	124-129
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	129-130
बुलन्दशहर नगर में चांदपुर से लल्ला बाबू चौराहा होते हुए राधानगर बन्धे तक निकलने वाले नाले को सिंचाई विभाग से स्थानान्तरित कर नगर पालिका बुलन्दशहर को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	131
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत मेरठ-गढ़ रोड से नगलामल शुगर मिल होते हुए मेरठ-हापुड़ रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	131
नगर निगम झांसी स्थित पाएगा बगिया स्थित बाहर उन्नाव गेट नाले में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	131-132
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं रेडियोलाजिस्ट की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	132
जनपद बहराइच के ब्लाक विशेश्वरगंज अन्तर्गत ग्राम पुरैना बाजार में पानी निकास हेतु पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	132
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड हिलौली के कतिपय मार्गों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	132-133
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज अन्तर्गत 33 के0वी0ए0 के उपकेन्द्र में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	133

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा अन्तर्गत नियार, अजगरा माइनर को अजगरा रजबहा के नाम परिवर्तित कराये कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	133
कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय शहर से दूर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	134
जनपद सीतापुर के महमूदाबाद रेउसा रोड पर स्थित नूरपुर पुल का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...		134
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में खनन माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	134-135
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत शहजादपुर-दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	135
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापुर के कतिपय स्थानों पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	135-136
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली सदर के अन्तर्गत गोकुलपुर गरगईया एवं परसाखेड़ा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	136
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम मुजासा में खुली नालियों पर पत्थर न होने के कारण फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	136
भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को अन्य प्रदेशों में दी जा रही सुविधाओं की भांति उ0प्र0 में भी सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	136-137
जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग-1 द्वारा तुलसियापुर से भुतहिया, झुंगहवा बजराभरी मार्ग के चौड़ीकरण में अधिग्रहीत की गई जमीन का मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	137

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद सुल्तानपुर के तहसील बल्दीराय में स्थित पूरे पृथपाल मिश्र स्थित दलित महिला की आबादी की जमीन में लेखपाल की मिलीभगत से कब्जा कराये जाने की जांच कराकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही कराते हुए अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	138
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बस अड्डा व डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	138
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के अन्तर्गत जी0आर0एम0 स्कूल, गोएनका पब्लिक स्कूल, बी0बी0एल0 स्कूल एवं पदमावती एकेडमी में वितरित छात्रवृत्ति प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	138-139
उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	...	139
उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2012 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	...	139-140
यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	140
उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2017 (लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	...	140
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	...	140
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	...	140-141
पुलिस एवं अधिकारियों द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध नन्द किशोर गुर्जर द्वारा पीठ से न्याय दिलाने की मांग	...	141-144
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	...	144-162
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	162-164
नत्थियां	...	165-188

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-366

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
3. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
4. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
9. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
14. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
15. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
16. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
17. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
18. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
19. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
20. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
21. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
22. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
25. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
26. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
27. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
29. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
30. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
32. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
33. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
34. असलम अली, श्री — हापुड़
35. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
36. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
37. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
38. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
39. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
40. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
41. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
43. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
44. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
45. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
46. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
47. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद

48.	उदयभान सिंह, चौ0	आगरा
49.	उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया
50.	उमाशंकर सिंह, श्री	बलिया
51.	उमेश मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर
52.	ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
53.	ओमकुमार, श्री	बिजनौर
54.	ओम प्रकाश राजभर, श्री	गाजीपुर
55.	कपिल देव अग्रवाल, श्री	मुजफ्फरनगर
56.	कमलेश शुक्ल, श्री	देवरिया
57.	कमलेश सैनी, श्रीमती	बिजनौर
58.	करण सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
59.	कल्पनाथ पासवान, श्री	आजमगढ़
60.	कारिन्दा सिंह, श्री	मथुरा
61.	काली प्रसाद, श्री	देवरिया
62.	किरत सिंह, श्री	सहारनपुर
63.	किशन लाल राजपूत, श्री	पीलीभीत
64.	कुशाग्र सागर, श्री	बदायूं
65.	कृष्णपाल मलिक, श्री	बागपत
66.	कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
67.	केसर सिंह, श्री	बरेली
68.	कैलाश नाथ शुक्ल, श्री	बलरामपुर
69.	कैलाश नाथ सोनकर, श्री	वाराणसी
70.	कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
71.	गंगा, श्री	कुशीनगर
72.	गरिमा सिंह, श्रीमती	अमेठी
73.	गिरीश चन्द्र यादव, श्री	जौनपुर
74.	गुलाब देवी, श्रीमती	सम्भल
75.	गौरव कुमार, श्री	बाराबंकी
76.	गौरी शंकर, श्री	जालौन
77.	चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री	बस्ती
78.	चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री	चित्रकूट
79.	चेतन चौहान, श्री	अमरोहा
80.	चेतराम, श्री	शाहजहांपुर
81.	छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री	बरेली
82.	जटाशंकर त्रिपाठी, श्री	कुशीनगर
83.	जन्मेजय सिंह, श्री	देवरिया
84.	जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0	इलाहाबाद
85.	जय कुमार सिंह (जैकी), श्री	फतेहपुर
86.	जय देवी, श्रीमती	लखनऊ
87.	जयप्रकाश निषाद, श्री	देवरिया
88.	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
89.	जवाहर लाल राजपूत, श्री	झांसी
90.	जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री	मेरठ
91.	जितेन्द्र वर्मा, श्री	आगरा
92.	ज्ञान तिवारी, श्री	सीतापुर
93.	ज्ञानेन्द्र, श्री	महाराजगंज
94.	डी0 सी0 वर्मा, डॉ0	बरेली
95.	डेनजिल जे0 गोडिन, डा0	नाम-निर्देशित
96.	तजीन फातमा, डा0	रामपुर
97.	तसलीम अहमद, श्री	बिजनौर
98.	तेजपाल सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
99.	तेजेन्द्र निर्वाल, श्री	शामली
100.	त्रिवेणी राम, श्री	गाजीपुर
101.	दयाराम चौधरी, श्री	बस्ती
102.	दल बहादुर, श्री	रायबरेली
103.	दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
104.	दारा सिंह चौहान, श्री	मऊ
105.	दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री	सन्तकबीर नगर
106.	दिनेश चौधरी, श्री	जौनपुर
107.	दीनानाथ भाष्कर, श्री	भदोही
108.	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
109.	देवमणि द्विवेदी, श्री	सुल्तानपुर

110. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
112. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
113. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
114. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
115. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
116. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
117. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
118. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
119. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
120. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
121. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
122. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
123. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
124. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
125. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
126. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
127. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
130. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
131. नाहिद हसन, श्री शामली
132. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
133. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
134. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
135. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
136. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
137. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
138. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
139. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
140. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
141. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
142. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
143. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
144. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
145. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
146. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
147. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
148. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
149. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
150. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
151. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
152. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
153. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
154. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
155. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
156. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
157. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
158. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
159. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
160. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
161. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
162. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
163. बावन सिंह, श्री गोण्डा
164. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
165. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
166. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
167. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
168. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
169. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव

170. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
171. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
172. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
173. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
174. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
175. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
176. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
177. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
178. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
179. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
180. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
181. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
182. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
183. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
184. महबूब अली, श्री अमरोहा
185. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
186. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
187. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
188. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
189. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
190. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
191. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
192. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
193. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
194. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
195. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
196. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
197. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
198. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
199. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
200. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
201. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
202. योगेश धामा, श्री बागपत
203. योगेश वर्मा, श्री खीरी
204. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
205. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
206. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
207. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
208. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
209. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
210. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
211. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
212. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
213. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
214. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
215. रवि शर्मा, श्री झांसी
216. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
217. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
218. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
219. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
220. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
221. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
222. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
223. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
224. राज करन कबीर, श्री बांदा
225. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
226. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
227. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
228. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
229. राजबाला, श्रीमती रामपुर
230. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
231. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
232. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं

233. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
234. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
235. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
236. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
237. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
238. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
239. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
240. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
241. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
242. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
243. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
244. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
245. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
246. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
247. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
248. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
249. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
250. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
251. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
252. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
253. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
254. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
255. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
256. लाखन सिंह, श्री औरैया
257. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
258. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
259. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
260. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
261. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
262. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
263. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
264. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
265. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
266. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
267. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
268. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
269. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
270. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
271. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
272. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
273. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
274. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
275. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
276. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
277. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
278. वीरेन्द्र, श्री एटा
279. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
280. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
281. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
282. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
283. शशांक वर्मा, श्री खीरी
284. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
285. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
286. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
287. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
288. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
289. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
290. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
291. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
292. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
293. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
294. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली

295. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
296. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
297. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
298. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
299. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
300. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
301. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
302. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
303. संजय, श्री बुलन्दशहर
304. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
305. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
306. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
307. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
308. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
309. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
310. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
311. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
312. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
313. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
314. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
315. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
316. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
317. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
318. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
319. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
320. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
321. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
322. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
323. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
324. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
325. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
326. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
327. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
328. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
329. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
330. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
331. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
332. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
333. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
334. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
335. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
336. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
337. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
338. सुरेश कुमार, श्री शामली
339. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
340. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
341. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
342. सुरेश राही, श्री सीतापुर
343. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
344. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
345. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
346. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
347. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
348. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
349. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
350. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
351. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
352. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
353. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
354. सौरभ सिंह, श्री खीरी
355. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
356. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
357. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर

358.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	
359.	हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद	
360.	हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस	
361.	हरीराम, श्री	सोनभद्र	
362.	हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर	
363.	हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद	
364.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद	
365.	हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा	
366.	हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव	

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा परिवहन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अशोक कटारिया भी सदन में उपस्थित थे।

प्रदेश में ध्वस्त हो रही कानून व्यवस्था पर विपक्षी दलों द्वारा सदन में घोर व्यवधान

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। श्रीमन् सी0जे0एम0 कोर्ट में गोली मारी जा रही है। [xxx] और विरोध करने पर उनको जान से मार दिया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश छेड़-छाड़, बलात्कार/रेप के मामलों में नम्बर एक पर आ गया है।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य वेल में आ गये और कानून-व्यवस्था ध्वस्त है [xxx] नहीं चलेगी आदि सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे जिससे व्यवधान की स्थिति बन गई)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आपके सदस्यगण पहले से वेल में आ गये हैं। आपका कोई नोटिस नहीं है इसलिए हम सुनेंगे नहीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश जल रहा है। रक्षा करिये आप इस उत्तर प्रदेश की। जनता की रक्षा अब आपके हाथ में है। सरकार पंगु हो गई है। सरकार नकारा हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

वेल से कही गई कोई भी बात कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी। अव्यवस्थित सदन में माननीय नेता जो बोल रहे हैं ये भी कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इस प्रदेश की रक्षा आप करिये। सरकार पूरी तरह से पंगु हो गई है अपराधों के मामले में। अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बताया है कि रेप/बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश दुनिया में नम्बर एक पर है। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगलराज हो गया है। सी0जे0एम0 कोर्ट में गोली मारी जा रही है। सी0जे0एम0 जान बचाकर भाग रहे हैं। इस मामले में एक आदमी की मौत हुई है और 2 सिपाही घायल हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह प्रश्नोत्तर काल को बाधित करना ठीक नहीं है।

नोट :-[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(विपक्ष के माननीय सदस्य वेल में उपस्थित होकर नारेबाजी करते रहे 'कानून व्यवस्था ध्वस्त है, योगी बाबा मस्त है', [xxx] नहीं चलेगी)

(घोर व्यवधान)

प्रदेश की जनता टेलीविजन पर यह सब देख रही है, तो आप माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर चलें।

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष प्रश्न प्रहर के साथ मजाक कर रहा है। यह जनता की जवाबदेही से भाग रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। सदन में बोलने के लिए इनके पास कुछ भी मैटर नहीं है इसलिए सदन का समय जाया कर रहे हैं। विपक्ष के इस कृत्य की मैं घोर निन्दा करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गयी है। सरकार पंगु हो गयी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, प्रश्न प्रहर के माध्यम से इस विपक्ष को उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं को प्रश्नों के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से हल करने की जिम्मेदारी का समय आया है तो उस समय यह अपनी जवाबदेही न सुनिश्चित करके सदन का समय जाया कर रहे हैं इसलिए मैं इनके इस कृत्य की घोर निन्दा करता हूं।

(लगातार व्यवधान जारी रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 04 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी)

(11 बजकर 34 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक बढ़ा दिया है।)

(मध्याह्न 12 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न लेते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[12:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

प्रदेश में भू-गर्भ जल संरक्षण हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने विषयक

****1-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-गर्भ जल के संरक्षण हेतु सरकार की कोई प्रभावी योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

जी हां।

भू-गर्भ जल संरक्षण हेतु 'राज्य भू-जल संरक्षण मिशन' योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 271 विकास खण्डों (217 अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल) एवं 22 शहरों में क्षेत्रवार माइक्रो प्लानिंग के आधार पर भू-जल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेन्स के माध्यम से क्रियान्वित कर भू-जल/ भण्डारण में सुधार किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर की समस्या के निदान हेतु बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेड़बन्धी, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

राज्य भू-जल संरक्षण मिशन योजना के अन्तर्गत 05 वर्षों हेतु चिन्हित क्षेत्र निम्नानुसार है :-

वर्ष	विकास खण्ड	नगरीय क्षेत्र
प्रथम	25	--
द्वितीय	40	3
तृतीय	70	6
चतुर्थ	70	7
पंचम	66	6
योग :	**271**	**22**

प्रश्न नहीं उठता।

(मा0 मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण सवाल पर मुझे अनुपूरक करने का मौका दिया। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से दो छोटे-छोटे सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि यह आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय मंत्री जी का प्रथम पैरा में जो जवाब आया है कि भू-जल स्तर/भण्डारण में सुधार किये जाने का लक्ष्य है। इसमें हमारा छोटा सा सवाल यह है कि यह लक्ष्य कब निर्धारित हुआ ? इसका एक लाइन में जवाब आ जाये। दूसरे पैरा में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि हम अपनी बहुआयामी रणनीति बना करके इस योजना में यथा रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं। इससे जो आपकी बहुआयामी योजनायें बनी हैं, आपकी यह योजनायें कब बनी हैं और इससे कितने प्रतिशत आपने जल का संरक्षण किया है ? माननीय अध्यक्ष जी, तीसरे और अंतिम पैरा में जो जवाब आया है कि हम 5 वर्षों के लिए यह प्लान बनाये हुए हैं। यह जो मास्टर प्लान बनाया गया है, क्या मास्टर प्लान बनाने वाले लोगों ने बताया है कि वह इन 5 वर्षों में इसमें कितने प्रतिशत जल संरक्षित कर लेंगे ? माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यह तीन सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, उत्तर दे दें।

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, चूंकि भू-जल सम्पदा हमारी सबसे बड़ी सम्पदा है। लोगों का जीवन इस पर आधारित है, इसलिए निरन्तर सर्वेक्षण, अनुसंधान, नियोजन, विकास, प्रबन्धन तथा भूगर्भ जलदोहन को नियंत्रित करने के लिए भूगर्भ जल संरक्षण के तरह-तरह के उपाय किये जाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष 16 से 22 जुलाई के मध्य भू-जल सप्ताह मनाया जाता है और इस क्रम में अभी आपके समक्ष हमने 2017-18 में मिशन का प्रथम वर्ष 2018-19 में द्वितीय चरण का 40 विकास खण्ड का और 3 नगरीय का है, 2019-20 में तृतीय चरण का 70 विकास खण्ड और 6 नगरीय का है, 2020-2021 में चतुर्थ चरण में 70 विकास खण्ड और 7 नगरीय क्षेत्र का है तथा 2021 और 2022 में पांचवें वर्ष में 66 विकास खण्ड और 6 नगरीय क्षेत्र का है। इस तरीके से 271 जो अतिदोहित हैं, क्रिटिकल हैं, सेमी क्रिटिकल हैं, इनको शामिल करते हुए, इन विकास खण्डों में इसके लिए जो समय-समय पर जन-जागरूकता के कार्य किये जा रहे हैं। जन-जागरूकता के माध्यम से हम जगह-जगह संगोष्ठियां करते हैं, स्कूलों में, कालेजों में, विकास खण्डों में और साथ ही साथ ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में इन संगोष्ठियों के माध्यम से हम लोगों को सजग करते हैं, सावधान करते हैं और 2017-18 में 293, 2018-19 में 293, यानि 2017 से लेकर 2019 के बीच में 856 जन-जागरूकता संगोष्ठियां आयोजित की गईं। 2019-20 में भी अब तक हमने 293 जन-जागरूकता संगोष्ठी कर ली हैं। मान्यवर, इसके माध्यम से निरन्तर यह जो अभियान चल रहा है, उसका मकसद

लोगों को सजग और सावधान करने का है। इसीलिए इसके क्रम में हम खेत तालाबों का निर्माण, डीप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की व्यवस्था और साथ ही साथ आर0आर0आर0 योजना के अन्तर्गत प्रचार किये जाने के लिए किसानों के बीच में कम पानी की खपत के बीजों को देने की भी योजना चलाये हुए हैं। इस क्रम में हमारी कोशिश रहती है कि चूंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि यह देश की समस्या है और इस समस्या से निपटने के लिए देश स्तर पर जो अभियान चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में भी यह मण्डलवार अभियान चलाया जा रहा है और जैसे-जैसे इसमें लोगों को सजगता आ रही है इस ओर सिंचयन के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि जैसे पूरा बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र यह हमारे सुरक्षित क्षेत्र में आते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि उसके अलग से जो आंकड़े हैं कि कितना सिंचयन किया गया, यह आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। अभी चूंकि हम सजग कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, लोग अपने-अपने पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तालाबों का खुदाई अभियान चल रहा है और यहां तक कि सरकारी भवनों में भी और बड़े-बड़े निजी भवनों में भी इस प्रकार के जल संचयन, वाटर रिचार्जेज के कार्य किये जा रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा सवाल है। माननीय मंत्री जी ने जितना उल्लेख किया है उसमें जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने की बात आई है। मेरा सवाल था कि सरकार ने जो कार्य योजनाएं बनाई हैं, जिसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर के सेकेण्ड पैरा में स्पष्ट उल्लेख किया है कि हम चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा मेड़बन्दी आदि कार्य अपनी कार्य योजना में शामिल किये हैं और माननीय मंत्री जी ने अपनी पांच साल की कार्य योजना भी बतायी तो मेरा यह सवाल था कि 2017-18 एवं 2018-19 इन दो सालों में इन योजनाओं के तहत कितने जल का संरक्षण हुआ है। अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका हमें रिजल्ट भी मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बताया कि अभियान चला रहे हैं लेकिन पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस सम्बन्ध में जो भारत सरकार ने काम किया है उसके आंकड़े मेरे पास हैं और मैं उन्हें दे सकता हूं।

नहर, माइनर, रजबहा आदि की सिल्ट सफाई कराये जाने विषयक

****2-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 2017 से वर्ष 2018 तक नहर, माइनर, रजवहा आदि में कुल कितने किलोमीटर सिल्ट सफाई कराई गई तथा उस पर कितना व्यय हुआ है एवं कितने किलोमीटर सफाई हेतु शेष है ? क्या सरकार शेष बचे हुये नहरों, माइनर, रजवहा की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

1425 फसली वर्ष 2017-18 में सिंचाई विभाग द्वारा कार्य योजनानुसार रबी, खरीफ फसलों में (जिलास्तरीय तथा विभागीय मद में) 27551.10 कि0मी0 सिल्ट सफाई कराई गई, जिस पर धनराशि रु0 106.30 करोड़ का व्यय (जिलास्तरीय तथा विभागीय मद में) किया गया। विभाग की नहरों में कुल 34087.14 कि0मी0 रजबहा एवं अल्पिका वर्ष 2017-18 में शेष रह गई थी।

1425 फसली वर्ष (2017-18) समाप्त हो चुका है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

गत 1426 फसली वर्ष (2018-19) में 29487.00 कि0मी0 नहरों की कार्य योजनानुसार सिल्ट सफाई कराई गई। इस वर्ष 1427 फसली वर्ष (2019-20) में विभागीय मद से 44863.42 कि0मी0 सिल्ट सफाई का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष दिनांक 10-12-2019 तक 32550.00 कि0मी0 नहरों की सफाई कराई जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे किसानों से जुड़े जनहित के इस विषय पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज यह जगविदित है कि पूरे प्रदेश और देश में भू-गर्भ जल स्तर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। अब किसानों के पास एक मात्र सहारा नहरें ही रह जाती हैं जिनसे सिंचाई करके वह अपना कृषि कार्य कर पाते हैं और किसान के जीवन का पूरा सपना उसी खेत के आस-पास रहता है। खेत बर्बाद होते ही किसान का सपना टूट जाता है। मैंने आपके माध्यम से मा0 मन्त्री जी से प्रश्न पूछा था कि इसमें व्यय कितना आया। मा0 मन्त्री जी के जवाब में व्यय नहीं आया है। मा0 अध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न मैं यह जानना चाहता हूं और सदन की भी यह जिज्ञासा होनी चाहिए कि नहरों की सफाई का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, वह नहरों में बनी हुई वेगबार होती है। वर्ष 2004-05 में निर्धारित किया गया था कि जो माईनर 250 फिट पर और रजवाहा 500 फिट पर वेगबार बनाये जाएंगे। वह वेगबार ही सूचक होते थे कि उस नहर का लेवल क्या होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि पिछले 10 सालों में कहीं भी वेगबार दिखायी नहीं दे रहा है। जो इंजीनियर्स इनकी नाप करते हैं या भौतिक सत्यापन करते हैं, वह पीली मिट्टी देखकर यह मान लेते हैं कि इसका लेवल ठीक है। स्थिति यह है कि हम लोगों के हेड पर जितने कंट्रोलर बने थे, उसमें से 90 प्रतिशत कंट्रोलर खराब हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में हेड से टेल तक पानी पहुंचाने का हम कोई सपना ही नहीं देख सकते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्यमंत्री/सिंचाई मंत्री जी से तीन छोटे-छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न है कि नहरों की सफाई के साथ पूर्व निर्धारित वेगबार जो 250 और क्रमशः 500 फिट पर रजवाहों और माईनरों पर बनाये जाने की व्यवस्था थी, जो अब खत्म हो चुकी

है, क्या सरकार उन्हें बनायेगी ? दूसरा प्रश्न है कि पूरे प्रदेश में कुलाबे खत्म हो चुके हैं और अब स्थिति यह आ रही है कि लोग नये कुलाबे तोड़ ले जा रहे हैं और इससे नहरों की कटान भी हो रही है, जिससे आगे पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। जो कुलाबे टूट गये हैं, क्या सरकार उन्हें बनवायेगी और जहां कृषि योग्य नई भूमि सृजित हुई है, वहां क्या नये कुलाबे बनाने पर सरकार विचार करेगी ? मा0 अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा ऊंचाहार में केवल डलमऊ पम्प कैनाल ही पानी पहुंचाने का एक मात्र स्रोत है। वहां पर 14 पम्प लगे हैं, लेकिन पिछले वर्षों से उसमें से 7 पम्प नहीं चल रहे हैं, क्या सरकार उन बन्द पम्पों को भी चलाने पर विचार करेगी और तीसरा प्रश्न है कि क्या ये जो रजवहे माईनर और अल्पिकाएं खुदाई जा रही हैं, जिन पर सरकार ने व्यय नहीं बताया है, इसका कार्य सही/गुणवत्तापूर्ण/मानक अनुरूप हो, इसके लिए इंजीनियरों के साथ जांच में क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायक को शामिल करके, उनका सत्यापन प्राप्त करने के पश्चात् सरकार उनका भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने जो व्यय पूछा है, उसमें बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017-18 में रु0 106 करोड़, वर्ष 2018-19 में रु0 100 करोड़, वर्ष 2019-20 में रु0 177 करोड प्रस्तावित है। मान्यवर, हमने आपके माध्यम से बता भी दिया है कि दिनांक 10.12.2019 तक 32550 किमी0 नहर की सफाई हुई है, जबकि हमारा लक्ष्य 44863.42 किमी0 है। आपने अभी कहा है कि पिछले 10 वर्षों से ऐसा देखा गया है। मान्यवर, ढाई वर्ष पूर्व तो आपकी सरकार थी और 10 वर्ष में आपने कोई गलती की है और अगर वह गलती हमारे संज्ञान में आयेगी तो उसको सुधारने का हम काम करेंगे। मान्यवर, आपने रायबरेली की बात की है। आप जब मन्त्री थे तो उस समय रायबरेली में नहरों की सफाई मात्र 430 किमी0 हुई थी। जब हमारी सरकार आयी तो हमने एक बार में ही 628.8 किमी0 नहरों की सफाई करायी है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने रायबरेली के सफाई की बात नहीं की है, मैंने डलमऊ कैनॉल की स्पेसिक बात की है। मा0 मन्त्री जी उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जब मैं मन्त्री था तो हमने नहरों के लिए 250 करोड़ रुपये दिये थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, आप स्वयं इशारा कर चुके हैं, लेकिन अब विषयान्तर हो गये हैं। यदि पर्टीकुलर किसी नहर, टेल, माईनर विशेष की आप सूचना लेते हैं तो उसको लिखकर अलग से हमको दे दें, तो हम आपको उसकी सूचना उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

हमने समस्त प्रदेश की कुलाबा और रेग्युलेटर की समस्या उठाई है। कोई माननीय जनप्रतिनिधि विधायक यहां पर ऐसे नहीं होंगे जिनके यहां यह समस्या न रही हो कि कुलाबा न होने के कारण लोग नहरों को अवैध रूप से काट ले रहे हैं और आगे पानी नहीं जा रहा है। हमारे उस कुलाबे पर क्या सरकार नये कुलाबे बनायेगी और पुराने को रिपेयर करवायेगी और जो हेड रेग्युलेटर जो 90 परसेन्ट खराब हैं उसको रिपेयर करवायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उत्तर आ जाने दीजिये। समय जा रहा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

इस पर माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है इस पर उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, कहीं-कहीं जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान तमाम कुलाबों को पाट दिया गया। जो भी कुलाबे पाटे गये हैं और जो भी सरकार के संज्ञान में आयेगा मैं एक-एक करके सबको दुरुस्त कराने का काम करूंगा मान्यवर।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न-1 पुकारे जाने पर)

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में संविदा कर्मियों हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील सं0-313/2013, दिनांक 26-10-2016 का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में

***1-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील सं0-313/2013 पर आदेश दिनांक 26-10-2016 द्वारा संविदा कर्मियों को चाहे वह आउटसोर्सिंग से हो या सरकारी विभाग द्वारा नियुक्त किया गया है, धारित नियमित पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतन प्रदान करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त आदेश प्रदेश में लागू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न में उल्लिखित मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अपील सं0-313/2013 का आदेश दिनांक 26-10-2016 को मा0 उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर खोजने का प्रयास किया गया परन्तु उपलब्ध नहीं हो सका है। मा0 सदस्य, विधान सभा श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट) से मा0 उच्चतम न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 26-10-2016 उपलब्ध कराने का अनुरोध अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-13 वि0स0/दस-2019, दिनांक 25 जुलाई, 2019 व अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-662/दस-2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 द्वारा किया गया है। पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2019 डाक विभाग द्वारा अवितरित वापस कर दिया गया है। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अभी तक मा0 उच्चतम न्यायालय का उक्त आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही वह बात सही नहीं है क्योंकि यह खुद समाजवादी हैं और इनकी राजनीति समाजवाद से ही शुरू हुई है। जब कोई आदमी घर छोड़ता है तो उस घर की बदनामी जरूर करता है।

श्री अध्यक्ष-

इसका सिंचाई से क्या सम्बन्ध है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

समाजवादी पार्टी नहर, पोल, सड़क, अस्पताल, स्कूल बनवाने पर विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी जिसमें यह नये-नये गये हैं इसको किसानों से कोई मतलब नहीं है इसीलिये किसानों की समस्या पर यह सही उत्तर देने में नाकाम रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

(माननीय सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि दो मिनट बाकी है।)

मोहम्मद असलम राइनी का पहला प्रश्न है नत्थी ख पर। इसको ले लिया जाता है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सभी संविदाकर्मियों जो 31-07-14 से 25-07-15 तक शिक्षामित्रों का 39 हजार रुपये मिलता था वह अब उनको 10 हजार रुपये मिल रहा है। यानि

जिलाधिकारी बनाकर उनको लेखपाल बना दिया गया। यह अध्यक्ष जी केवल 5 छोटे छोटे प्रश्न हैं। माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न यह है कि प्रदेश में संविदाकर्मी शिक्षा विभाग के हों चाहे अन्य संविदाकर्मी हों कितना वेतन दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह है कि श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रदेश में कितनी है।

श्री अध्यक्ष-

राइनी साहब एक बात सुन लीजिये हमारी। आप अपने मूल प्रश्न को पढ़िये। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया गया है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि वह उच्चतम न्यायालय का आदेश उपलब्ध नहीं है, आपसे मांगा गया है। पूरा का पूरा प्रश्न उसी न्यायालय के आदेश पर है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम प्रश्न मैं यही पूछ लूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीसरा प्रश्न यह है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-64/2018 में शिवपूजन सिंह एवं अन्य की योजित याचिका पर 38,778 रुपये देने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। प्रदेश सरकार उसका अनुपालन कब करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने आपसे कहा है कि वह कागज मिल नहीं रहा है, अगर आपके पास वह कागज हो तो आप उपलब्ध करा दीजिए ?

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, उसको तो मैं उपलब्ध करा ही दूंगा, जब तक मैं हूं, तब तक वह कागज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन तीन प्रश्नों का जवाब तो दे ही दें ?

श्री अध्यक्ष-

उसको कहीं आपने ही तो गायब नहीं करा दिया है ?

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह तो इनका भी कर्तव्य बनता है कि यह भी कागज ढूंढें, सारी मेहनत हम ही करें ?

श्री अध्यक्ष-

दोनों लोग मिलकर ढूंढिये।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्नों का जवाब दे दिया जाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, इनका यह प्रश्न एक विशेष अपील संख्या-313/2013 और जिसका आदेश 2610/2016 को मा0 उच्चतम न्यायालय का हवाला देकर पूछा गया था। वह आज तक स्वयं नहीं उपलब्ध कराये, वेबसाइट पर भी नहीं मिला। हमने दो प्रश्न पत्र दिये थे, पत्र भी वापस आ गया है तो स्वाभाविक रूप से जब इनके द्वारा जिस प्रकरण का हवाला दिया गया, वह है ही नहीं तो अन्य किसी प्रकार के अनुपूरक के प्रश्न का औचित्य ही नहीं उठता है।

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के नगरीय निकायों में हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वहां के नागरिकों की संस्तुति लेने विषयक

***1-श्री मनीष असीजा-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरीय निकायों में निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने वाले विकास कार्यों (नाली/नाला/सड़क/इण्टरलॉकिंग सड़क/सी0सी0 सड़क/पुलिया आदि) की गुणवत्ता शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिस क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है, वहां मानक बोर्ड के प्रदर्शन के साथ-साथ उस स्थान के 25% क्षेत्रीय नागरिकों (जिनके आवास/प्रतिष्ठान के सामने निर्माण कार्य चल रहा हो) से उनकी निर्माण कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में सन्तुष्टि मोबाइल कैमरे के माध्यम से विडियो रिकार्डिंग कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, शहरी समग्र विकास मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'')-

प्रदेश के नगरीय निकाय में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपभोग हो जाने के उपरान्त द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जाती है तथा प्रथम और द्वितीय किश्त की सम्मिलित धनराशि का 75 प्रतिशत उपभोग हो जाने पर तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जाती है। निर्माण कार्य की दूसरी एवं तीसरी किश्त, निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा उपेक्षित गुणवत्ता यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जाती है। बकाया 05 प्रतिशत की राशि के अवमुक्त करने की कार्यवाही परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर की जाती है।

प्रदेश के नगरीय निकाय में निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने वाले विकास कार्यों (नाली/नाला/सड़क/इण्टरलॉकिंग सड़क/सी0सी0 सड़क/पुलिया आदि) की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जिस क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है वहां कार्य का मानक बोर्ड प्रदर्शन किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त नगरीय निकायों में विकास से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले शिकायतों पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

सार्वजनिक स्थानों पर रोपित पौधों को सुरक्षित रखने वालों को प्रोत्साहन व नष्ट करने वालों को दण्डित करने हेतु व हरे पेड़ों को काटने के स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने हेतु योजना बनाये जाने विषयक

***2-श्री संजय गर्ग-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले पौधों को नष्ट होने से बचाने के उद्देश्य से रोपित पौधों को एक निश्चित अवधि तक जीवित या सुरक्षित पालने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन देने एवं नष्ट करने वालों को दण्डित करने तथा सड़कों के किनारे जरूरत पर हरे पेड़ों को काटने के बजाय स्थानान्तरित करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन, पर्यावरण एवं जन्तु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-

सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले पौधों को नष्ट होने से बचाने और पौधारोपण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से रोपित पौधों को एक निश्चित अवधि तक जीवित या सुरक्षित पालने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की सरकार की कोई योजना नहीं है, किन्तु इन पौधों के रख-रखाव व सुरक्षा हेतु बजट की उपलब्धता के अनुसार 3 से 7 वर्ष की अवधि तक अनुरक्षण कार्य किया जाता है।

सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले पौधों को नष्ट करने वालों को दण्डित करने हेतु उनके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

सड़कों के किनारे जरूरत पर हरे पेड़ों को काटने के स्थान पर स्थानान्तरित करने का कार्य वैज्ञानिक प्रक्रिया (प्रोटोकाल) के अभाव में अभी प्रारम्भिक चरण में है, जो वन निगम के माध्यम से संचालित है।

लागू नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति, 2017 के प्रस्तर 4.13 में वृक्षों को अन्य स्थान पर अन्तरित (ट्रान्सलोकेट) करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान हैं :-

''वन निगम द्वारा मार्ग चौड़ीकरण, नवीन सड़क निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में बाधक वृक्षों को काटने के स्थान पर यथासम्भव अन्य स्थानों पर अन्तरित (ट्रान्सलोकेट) करने का प्रयास किया जायेगा।''

ऐसे वृक्षों को अन्य स्थानों पर अन्तरित (ट्रान्सलोकेट) करने का कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया (प्रोटोकाल) उपलब्ध न होने के कारण वृहद् स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है।

मानक से अधिक उत्सर्जन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण

***3-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुंये तथा अपशिष्ट पदार्थों की प्रति इकाई उत्सर्जन मानक क्या है तथा क्या इन इकाइयों द्वारा इस मानक का पालन किया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि मानक से अधिक उत्सर्जन करने वाली कुल कितनी इकाइयों के विरुद्ध वर्ष 2015 से दिनांक 07-11-2019 तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के उत्सर्जन के प्रचालकों यथा पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाई आक्साईड गैस, नाइट्रोजन डाई आक्साईड गैस आदि के मानक निर्धारित किये गये हैं। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्टों का सुरक्षित निस्तारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित निम्न नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जाना निर्धारित है :-

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016

ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम, 2016

निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016

वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों में समुचित वायु प्रदूषण संयंत्रों की स्थापना कर मानकों के अनुरूप उत्सर्जन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार उद्योगों से जनित अपशिष्ट का निस्तारण भी नियमों के अनुरूप किया जाना बाध्यकारी है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाता है तथा उल्लंघन पाये जाने पर इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2015 से दिनांक 07-11-2019 तक वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उल्लंघन में दोषी इकाइयों के विरुद्ध बन्दी आदेश एवं कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	कारण बताओ नोटिस की संख्या	बन्दी आदेश की संख्या
2014-15	330	263
2015-16	279	121
2016-17	148	235
2017-18	150	261
2018-19	324	755
01-04-2019 से 07-11-2019 तक	481	1281
कुल योग :	**1712**	**2916**

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्षा काल में नगरीय आबादी के बीच स्थित डेरियों को हटाने विषयक

***4-श्री नाहिद हसन-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरीय आबादी के बीच स्थित डेरियों से फैलने वाले संक्रामक रोगों के दृष्टिगत उक्त डेरियों को सरकार हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हां।

समस्त नगर निगमों द्वारा नगरीय निकायों के घने आबादी के बीच स्थित दूध डेरियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयनित कुल नगर पंचायतों की जानकारी

***5-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत कुल कितनी नगर पंचायतों को आदर्श नगर पंचायत के

रूप में चयनित किया गया है तथा उनमें कौन-कौन से कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से प्रति वर्ष 01 नगर पंचायत का चयन किया जाना है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक (कुल 05 वित्तीय वर्ष में) कुल 375 नगर पंचायतों का चयन किया जाना लक्षित है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कुल 148 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 61 अर्थात् अब तक कुल 209 नगर निकायों का चयन किया जा चुका है।

इस योजनान्तर्गत चयनित नगर निकायों में समन्वित रूप ये अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किये जाने हेतु कार्य योजना में निम्न कार्यों को सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था शासनादेश में की गई है।

निकाय के सभी घरों में पाईप वाटर सप्लाई के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, सेप्टेज मैनेजमेंट की व्यवस्था, समस्त आन्तरिक सड़कों/गलियों में डामर रोड/सीसी रोड/इण्टरलॉकिंग/साइट पटरी/दोनों साइट नालियों/जल निकासी/फुटपाथ निर्माण एवं सुधार, सड़कों के निर्माण से पूर्व विद्युत तथा टेलीफोन के तारों को अण्डरग्राउण्ड किया जाना, समस्त आबादी क्षेत्रों में सोलर लाइट/एल0ई0डी0 लाइट के माध्यम से प्रकाश की व्यवस्था, सार्वजनिक/व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, निकाय के अन्तर्गत आने वाले तालाब का संरक्षण/सौन्दर्यीकरण एवं जल संग्रहण क्षेत्र में जल संचयन, मुख्य चौराहों/सड़कों की पटरियों का निर्माण तथा कम से कम एक पार्क/खेल के मैदान का निर्माण/सुधार, निकाय क्षेत्रान्तर्गत आवश्यकतानुसार कम से कम एक सामुदायिक केन्द्र/इक्सहिविशन सेन्टर का निर्माण तथा एक गौशाला का निर्माण।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पॉलीथीन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को बन्द कराये जाने विषयक

***6-श्री विजय मिश्र-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पॉलीथीन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को सरकार पूर्णतया बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी पॉलीथीन कैरी बैग उत्पादन की इकाई का पंजीकरण नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में पॉलीथीन कैरी बैग उत्पादन की कोई इकाई वर्तमान में संचालित नहीं है।

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ)-2018, दिनांक 15-07-2018 द्वारा समस्त प्रकार की निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, टम्बलर के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात की निर्यात को प्रतिबन्धित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गांवों का लेपन स्तर की सड़क एवं डामर रोड से जोड़ने की योजना बनाये जाने विषयक

***7-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने गांवों की बसावट ऐसी हैं जिनको लेपन स्तर की सड़क से वर्तमान तक नहीं जोड़ा गया है ? क्या सरकार कोई समयावधि निश्चित कर उक्त गांवों को डामर रोड से जोड़ने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

वर्तमान में प्रदेश में 34024 ग्राम/बसावटें लेपन स्तर तक की सड़क से नहीं जुड़ी हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 या उससे अधिक आबादी के 9783 बसावटों को आगामी 05 वर्षों में डामर रोड से जोड़ने हेतु कार्य योजना के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है। ग्रामों/बसावटों को जोड़े जाने की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

गन्ना मिलों द्वारा किसानों को ब्याज सहित भुगतान किये जाने विषयक

***8-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में 14 दिन से अधिक की देरी करने पर नियमानुसार गन्ना सीजन वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में गन्ना मूल्य के अतिरिक्त कुछ ब्याज की धनराशि भी किसानों को दी गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास, चीनी मिलें मंत्री (श्री सुरेश कुमार)-

जी हां।

पेराई सत्र 2016-17 में गन्ना मूल्य का विलम्बित भुगतान करने पर चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को ब्याज के मद में रु0 2283.41 लाख एवं पेराई सत्र 2017-18 में रु0 2160.61 लाख का भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों के आवासीय क्षेत्रों में स्थापित धुएं एवं रासायनिक गैसों को उत्सर्जित करने वाली अवैध फैक्ट्रियों को बन्द कराये जाने विषयक

***9-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों के आवासीय क्षेत्रों में स्थापित अवैध फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुयें एवं रासायनिक गैस के उत्सर्जन से शहरवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिये शहरी क्षेत्र के मध्य में स्थापित अवैध फैक्ट्रियों को चिन्हित कर सरकार बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 28-11-2019 द्वारा नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, ऊर्जा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रदेश में आवासीय क्षेत्र में स्थापित व संचालित औद्योगिक इकाइयों को बन्द कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। पर्यावरण विभाग द्वारा आवासीय क्षेत्रों में स्थापित प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

प्रदेश के प्रयागराज, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद एवं मुरादाबाद शहर के आवासीय क्षेत्रों में संचालित 622 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को बन्द कराये जाने की कार्यवाही की गई तथा लखनऊ में 09 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

मौसम से अप्रभावित सड़क निर्माण की तकनीकि के सम्बन्ध में

***10-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जाड़ा, गर्मी व बरसात आदि मौसमों से बेअसर सड़क निर्माण की कोई तकनीक उपलब्ध है ? यदि हां, तो इस तकनीक से सड़क निर्माण का पूर्ण रूपेण निर्माण कब तक होना सम्भावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में 2010 में अधिसंख्य पदों पर विनियमित उप अभियन्ताओं को वर्ष 1993 से पुनर्विनियमितीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में

***11-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में 2010 में अधिसंख्य पदों पर विनियमित उप अभियन्ताओं को वर्ष 1993 से पुनर्विनियमितीकरण की कार्यवाही किन नियमों के अन्तर्गत की जा रही है ? क्या सरकार उक्त पुनर्विनियमितीकरण की कार्यवाही पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

वर्तमान में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 में 2010 से अधिसंख्य पदों पर विनियमित उप अभियन्ताओं को वर्ष 1993 से पुनर्विनियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की जा रही है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तर प्रदेश टूरिज्म के द्वारा शौचालय व पेट्रोल पम्प बनाने के विषय में

***12-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर लोनी-खेकड़ा- बागपत-बड़ौत शामली थाना भवन-सहारनपुर में उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से शौचालय या पेट्रोल पम्प पर इसकी सुविधा सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है, जिसमें जनपद बागपत में (जिवाना) एवं शामली (दभेड़ी) में टोल बनाया जाना प्रस्तावित है, जिन पर दोनों तरफ शौचालय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। पेट्रोल पम्पों पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार शौचालय की सुविधा उपलब्ध होती है।

प्रदेश के सभी विधायकों को आवास हेतु जमीन एवं फ्लैट देने विषयक

***13-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विधान मण्डल सदस्यों को आवास हेतु राजधानी लखनऊ में जमीन एवं फ्लैट/विला देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों में मा0 विधायक, मा0 सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी विनियमन, संशोधित-2016 की विनियमावली के परिशिष्ट पंजीकरण भाग-2 के नियम-36(1) के अनुसार परिषद् योजनाओं में आवंटन हेतु उपलब्ध आवासीय सम्पत्तियों में मा0 विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की परियोजनाओं में वर्तमान में आवंटन हेतु फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिनको निर्धारित धनराशि जमा कर पंजीकरण कराकर अपने पक्ष में फ्लैट्स आवंटन कराया जा सकता है।

प्रदेश में छोटी नगर पालिका परिषद् और छोटे शहरों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने हेतु सरकार की योजना

***14-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरन्तर बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत प्रदेश के महानगरों के अतिरिक्त प्रदेश की नगर पालिका परिषद् के क्षेत्रों तथा छोटे शहरों में मूलभूत सुविधायें बढ़ाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

प्रदेश के नगर पालिका परिषद्रों तथा छोटे शहरों में मूलभूत सुविधाएं विकसित किये जाने हेतु सरकारी की महत्वपूर्ण योजना का विवरण निम्नवत् है :-

(1) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)

(2) अमृत कार्यक्रम

(3) नगरीय जल निकासी एवं सीवरेज योजना

(4) नगरीय पेयजल योजना (एक लाख से कम आबादी वाले शहर)

(5) नगरीय सड़क सुधार योजना

(6) नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना

(7) डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना

(8) पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना

(9) पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(10) प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर एक माडल पार्क विकसित किये जाने की योजना

(11) प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना

(12) मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना

प्रश्न नहीं उठता।

***15-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अद्यतन आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम वाले शहरों की वर्तमान संख्या 15 में कोई इजाफा हुआ है ? यदि हां, तो उक्त हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये सुझावों के अनुरूप सरकार जनजागरण की कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार ने प्रदेश में प्रदूषण के कारकों का विस्तृत अध्ययन कराकर वायु प्रदूषण को कम किये जाने का कोई लक्ष्य तय किया है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा प्रदेश में प्रदूषण के कारकों का विस्तृत अध्ययन कराकर वायु प्रदूषण को कम किये जाने हेतु ''राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम'' के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक हवा में पी0एम0 2.5 एवं पी0एम0 10 प्रचालकों के स्तर में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी लाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नॉन-अटेन्मेन्ट नगरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, खुर्जा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, नोयडा, गाजियाबाद, अनपरा, गजरौला, मुरादाबाद, बरेली, झांसी एवं रायबरेली की

वायु गुणता में उपरोक्त लक्ष्यों के अनुरूप सुधार लाये जाने हेतु तैयार की गयी कार्य योजनाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से अनुमोदित कराकर लागू की जा चुकी हैं। कार्य योजना के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन का मासिक अनुश्रवण जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति एवं राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मानीटरिंग कमेटी द्वारा किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आरा मशीन, प्लाईवुड मशीनों के प्रति वर्ष नवीनीकरण किये जाने के स्थान पर वन टाइम नवीनीकरण कराये जाने विषयक

***16-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आरा मशीन, प्लाईवुड के लाइसेंसों का नवीनीकरण एक वर्ष के लिये होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में व्यापारियों व सरकारी कर्मचारियों के समय की बचत हेतु उपरोक्त लाइसेन्सों के वन टाइम नवीनीकरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन (षष्ठम् संशोधन) नियमावली, 2018 का नियम-6 निम्न प्रकार हैं :-

''**लाइसेन्स की विधिमान्यता की अवधि** - किन्हीं काष्ठ आधारित उद्योगों को मंजूर किये गये लाइसेन्स उनके निर्गमन अथवा नवीनीकरण के दिनांक से अनाधिक पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी जैसा कि लाइसेन्सी में विनिर्दिष्ट किया जाय।''

वर्तमान में आवेदक अपनी इच्छा अनुसार 1 से 5 वर्ष की अवधि हेतु ऑनलाइन नवीनीकरण शुल्क जमा करके 1 से 5 वर्ष तक की अवधि का नवीनीकरण करा सकता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन (षष्ठम् संशोधन) नियमावली, 2018 के प्राविधानों में परिवर्तन हेतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय बचत दर के सम्बन्ध में

***17-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बचत की औसत दर के सापेक्ष प्रदेश किस स्थान पर है ? क्या सरकार प्रदेश की बचत दर बढ़ाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उक्त योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय बचत की औसत दर में शुद्ध जमा धनराशि के आधार पर उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है एवं सकल जमा धनराशि के आधार पर उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है।

जी हां।

सरकार ने प्रदेश की बचत दर बढ़ाने के लिए निम्न कार्य योजना बनायी है :-

1-वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 6000 करोड़ शुद्ध जमा का लक्ष्य प्रदेश के समस्त जनपदों को वितरित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय बचत की लोकप्रिय योजनाओं, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, सावधि जमा योजना आदि का अभिकर्ताओं के माध्यम से तथा जनपद, तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर बैठकों, गोष्ठी, मेलों आदि का आयोजन कर प्रचार-प्रसार कर इन योजनाओं में धन जमा कराने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाता है।

2-राष्ट्रीय बचत योजनाओं की लक्ष्य की पूर्ति के लिए लोक भविष्य निधि खाता, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आदि लोकप्रिय योजनाएं आयकर में छूट भी प्रदान करती हैं, जिसके लिए प्रदेश स्तर पर आयकर की पुस्तिका एवं पम्पलेट, फोल्डर्स का मुद्रण कराकर प्रचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कट रहे पेड़ों की रोकथाम हेतु

***18-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेड़ों की कटान रोकने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

वन क्षेत्रों में अवैध कटान की घटना प्रकाश में आने पर कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्राविधानों के अनुसार की जाती है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-26 के अनुसार वन क्षेत्र में वृक्षों का अवैध कटान प्रतिबन्धित है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-52 में वन अपराध में प्रयुक्त वाहन व अन्य औजार को अधिग्रहीत करने का अधिकार निहित है। वन क्षेत्र के बाहर स्थित वृक्षों के अवैध कटान के प्रकरण में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 में निहित प्राविधानों के सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

प्रदेश में वन क्षेत्रों, नहर/मार्गों के पटरियों (संरक्षित वन घोषित) पर अवस्थित वृक्षों का कटान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना में दिये गये प्राविधान के अनुसार किया जाता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के पश्चात् वन भूमि पर स्थित वृक्षों को काटने की अनुमति है। वन क्षेत्र के बाहर स्थित कृषि/अकृषि व अन्य भूमि परिस्थत वृक्षों का कटान उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर व हण्डिया से जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाली आई नाले पर पुलिया का निर्माण कराने विषयक

1-श्री विजय मिश्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर व हण्डिया से जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले आई नाला पर पुलिया का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत पुलिया के निर्माण हेतु रु0 150.00 लाख की धनराशि आंकलित की गयी है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के ग्राम सभा घनश्यामपुर में दलित बस्ती से विरनई तक सम्पर्क मार्ग व नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक

2-श्री विजय मिश्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के ग्राम सभा घनश्यामपुर दलित बस्ती से विरनई लगभग 1.50 किमी0 सम्पर्क मार्ग व नाले पर पुलिया का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत पुलिया हेतु कोई चक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा ग्रामीण मार्गों में भूमि अधिग्रहण का प्राविधान न होने के कारण प्रश्नगत स्थल पर पुलिया व 1.50 किमी0 अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग की नीति से आच्छादित नहीं है। ग्राम घनश्यामपुर दलित बस्ती व बिरनई पूर्व से अलग-अलग एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं। प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद भदोही में ज्ञानपुर मुख्य नहर की पटरी से नवधन से चकवा हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 16 कि0मी0 का नवीनीकरण/चौड़ीकरण कराये जाने विषयक

3-श्री विजय मिश्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही में ज्ञानपुर मुख्य नहर की पटरी (जी0टी0 रोड) नवधन से चकवा हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 16 कि0मी0 संकरा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का नवीनीकरण/चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 16.00 किमी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसमें से नवधन से प्रथम 10.00 किमी0 लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है, जिस पर नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है। शेष 6.00 किमी0 सिंचाई विभाग के स्वामितव में है। मार्ग के इस भाग के नवीनीकरण/चौड़ीकरण हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से अनुरोध किया गया है। ग्रामीण मार्गों का चौड़ीकरण किया जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से नरही बाजार से यू0पी0 टेक तिराहे तक क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मतीकरण कराये जाने हेतु

4-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के हजरतगंज चौराहे से नरही बाजार होते हुये यूपीटेक तिराहे तक का मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

हजरतगंज चौराहे से नरही बाजार होते हुए मीराबाई मार्ग तक पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है, एवं मीराबाई मार्ग से यू0पी0टेक तिराहे तक की सड़क के अधिकांश भाग का सुधार कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बरेली में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अनुमन्य धनराशि के सम्बन्ध में

5-डॉ0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बरेली जिले में कितनी धनराशि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन में पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां, जनपद-बरेली में वर्ष 2012-2017 तक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में रु0 1027.83 लाख तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में रु0 102.379 लाख की धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा विकास कार्यों पर खर्च की गयी है।

जी हां, खर्च का विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्रांक ग-6 नं0-241248 दिनांक 19-06-2019 संजय नगर व आस-पास के घरों व गलियों में जलभराव निराकरण हेतु

6-डॉ0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ग-6 नं0-241248, दिनांक 19-06-2019 जो संजय नगर व आस-पास के घरों तथा गलियों में जलभराव के निराकरण के सम्बन्ध में है, नगर आयुक्त बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

संजय नगर की जल निकासी हेतु परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-49, सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम, बरेली द्वारा रु0 408.35 लाख की परियोजना प्रस्तुत की गयी। उक्त योजना का परीक्षण जल निगम विभाग, नगर निगम, बरेली द्वारा किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त उक्त योजना को आगामी 14वें वित्त आयोग की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-165 पर।)

लखनऊ नगर के हजरतगंज क्षेत्र में काफी हाउस के सामने इलाहाबाद बैंक से भीमराव अम्बेडकर मूर्ति स्थल तक का फुटपाथ का मरम्मतीकरण कराने विषयक

7-श्री मानवेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के हजरतगंज क्षेत्र में काफी हाउस के सामने स्थित इलाहाबाद बैंक से भीमराव अम्बेडकर मूर्ति स्थल तक का फुटपाथ क्षतिग्रस्त होने के कारण पैदल यात्रियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फुटपाथ का मरम्मतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

हजरतगंज क्षेत्र में काफी हाउस के सामने एवं इलाहाबाद बैंक के सामने तथा हजरतगंज चौराहे के चारों तरफ की सड़क एवं फुटपाथ लोक निर्माण विभाग के अधीन है एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा ही अनुरक्षण किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-जौनपुर के मुफ्तीगंज ग्राम असवारा में क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक

8-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में शारदा नहर से यादव बस्ती तक व तड़वा मुसहर बस्ती से बड़की मुसहर बस्ती तक क्षतिग्रस्त मार्ग का सरकार डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिनकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लेखा परीक्षा के संगठनों व चीफ ऑडिट आफिसर को-ऑपरेटिव व पंचायतें तथा निदेशक, लोकल फण्ड ऑडिट तथा निदेशक, आन्तरिक लेखा संगठनों के विलय किये जाने के सम्बन्ध में

9-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लेखा-परीक्षा के संगठनों व चीफ आडिट आफिसर को-आपरेटिव एवं पंचायतें तथा निदेशक लोकल फंड आडिट तथा निदेशक,

आन्तरिक लेखा संगठनों का विलय करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर तहसील मुंगरा बादशाहपुर में बरईपार-जीरकपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

10-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील मछलीशहर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत बरईपार-जीरकपुर सम्पर्क मार्ग (लगभग 1 किमी0) जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर में रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

11-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की नगर पालिका परिषद् मुंगरा बादशाहपुर में रेलवे क्रासिंग पर प्रतिदिन लगने वाले ट्रैफिक जाम के दृष्टिगत उक्त क्रासिंग पर फ्लाई ओवर का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर के नगर पालिका मुंगरा बादशाहपुर में रेलवे क्रासिंग का संयुक्त निरीक्षण रेलवे, लोक निर्माण विभाग व सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें मार्ग की कम चौड़ाई, विद्युत लाइन, जलापूर्ति लाइन, भवनों के ध्वस्तीकरण कार्य के दृष्टिगत पर्याप्त वांछित स्थान के अभाव में प्रस्तावित रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण फिजीबुल नहीं है। उक्त वर्णित स्थिति में प्रश्नगत रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

12-श्रीमती सुषमा पटेल-

[02 मंगलवार के अता0प्र0सं0-52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में पवांरा नहर से सजई कला तक पिच सड़क का निर्माण कार्य कराने विषयक

13-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में निर्माण खण्ड के अन्तर्गत पवारा नहर से सजई कला तक पिच सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। ग्राम सजईकला पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है, अतः इसे अन्य संरेखण से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की वि0स0 क्षेत्र लालगंज में सहकारिता विभाग की भूमि और भवन का उपयोग विषयक

14-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में सहकारिता विभाग की भूमि और भवन कहां-कहां पर स्थित हैं और उनका उपयोग किस-किस सन्दर्भ में किया जा रहा है तथा कितनी भूमि और भवन ऐसे हैं जो अनुपयोगी हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

जी हां।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में सहकारिता विभाग की स्वयं की भूमि और भवन नहीं है, किन्तु उक्त क्षेत्र में सहकारिता विभाग के अधीन 29 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां एवं 05 सहकारी संघ कार्यरत हैं, जिनके पास भूमि और भवन उपलब्ध हैं, जो न्याय पंचायत स्तर पर स्थित हैं।

उक्त सहकारी समितियों/संस्थाओं की भूमि और भवन का उपयोग किसानों को कृषि निवेशों की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उनके उपज को क्रय कर उचित मूल्य दिलाने हेतु किया जा रहा है।

कोई भूमि और भवन अनुपयोगी नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के मुख्यालय ब्लाक-मनिहारी से जखनियां हेतु हुए फद्दूपुर तक सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक

15-श्री त्रिवेणी राम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुख्यालय ब्लाक मनिहारी से जखनियां होते हुये फद्दूपुर तक 23 कि0मी0 सड़क का चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मनिहारी से जखनियां होते हुए फद्दोपुर मार्ग लम्बाई 22.570 किमी0 में मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना द्वारा कराया गया है। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 03-03-2017 को पूर्ण किया गया है। मार्ग 05 वर्ष के लिए अनुरक्षण अवधि में है।

प्रश्नगत मार्ग की अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के उपरान्त तकनीकी दृष्टि से मानक के अनुरूप होने पर चौड़ीकरण पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पारिवारिक बंटवारे की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क माफ किये जाने पर योजना बनाये जाने विषयक

16-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पारिवारिक बंटवारे की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क माफ करने सम्बन्धी कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पारिवारिक बंटवारे की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क माफ किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र जायसवाल)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर में ग्राम दुभौरा तिराहे से ग्राम गुवार मार्ग के मरम्मत एवं डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में

17-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर में ग्राम दुभौरा तिराहे से ग्राम गुवार होते हुये ग्राम समधाना तक, ग्राम गुलचम्पा रेलवे

फाटक से ग्राम हाजीपुर तक, ग्राम नेशनल हाई-वे तिलहर से ग्राम जुआअड्डा तक व निगोहा तिलहर मार्ग से बढ़ेपुर तक तथा ग्राम कुतुबपुर पुलिया से अजमाबाद विहारीपुर तक मार्ग गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-ग्राम दुभौरा (डभौरा) तिराहे से ग्राम गुवार होते हुए ग्राम समधाना तक सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत माह 11/2019 में कार्य करा दिया गया है, वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

2-ग्राम गुलचम्पा रेलवे फाटक से हाजीपुर तक के मार्ग का प्रथम भाग 1.00 किमी0 गन्ना विभाग के स्वामित्व का मार्ग है। उक्त मार्ग का द्वितीय भाग 1.00 किमी0 मण्डी परिषद् के स्वामित्व का मार्ग है। उक्त मार्ग पर पॉट होल्स हो गये हैं। उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग एवं कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग से अनुरोध किया गया है।

3-ग्राम नेशनल हाई-वे तिलहर से ग्राम कुंआडांडा तक विशेष मरम्मत के अन्तर्गत माह 09/2019 में कार्य करा दिया गया है, वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

4-निगोही तिलहर मार्ग से बढ़ेपुर तक मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

5-ग्राम कुतुबपुर पुलिया से अजमाबाद बिहारीपुर तक मार्ग में पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है, वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार बिन्दु-2 पर उल्लिखित मार्गों की मरम्मत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग एवं कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग द्वारा करायी जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 सिंधौली में ग्राम पिपरिया प्रहलाद के उत्तर सुखेता नाला पर एक पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में

18-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम पिपरिया प्रहलाद के उत्तर सुखेता नाला पर पुलिया न होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नाले पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर पुलिया के निर्माण हेतु रु0 225.00 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम महाऊ दुर्ग से ग्राम महमुदापुर तक मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में

19-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम महाऊ दुर्ग से ग्राम महमुदापुर तक खड़न्जा मार्ग ऊबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम महाऊ दुर्ग एवं ग्राम महमुदापुर पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं, अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम महाऊ दुर्ग से जलालाबाद तक मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

20-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम महाऊ दुर्ग से जलालाबाद तक महसिल पुल से रक्शा तक तथा मुडिया पमार से पचपेड़ा होते हुये पिपरियादास तक का पक्का मार्ग ऊबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-ग्राम महाऊ दुर्ग से जलालाबाद (जल्लाबाद) तक विशेष मरम्मत के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य दिसम्बर, 2018 में पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

2-महसिल पुल (महासिर पुल) से रक्शा सम्पर्क मार्ग विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण हेतु स्वीकृत है, माह दिसम्बर, 19 में कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

3-ग्राम मुड़िया पमार से पचपेड़ा होते हुए पिपरियादास तक मार्ग में पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है, वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम पिपरियादास से नहर पटरी पर जलालाबाद तक कच्चे मार्ग को गड्ढामुक्त कराने के सम्बन्ध में

21-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली में ग्राम पिपरियादास से नहर पटरी पर जलालाबाद तक तथा ग्राम जलालाबाद से ग्राम ववौरी तक का मार्ग कच्चा, गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम पिपरियादास एवं ग्राम जलालाबाद (जल्लाबाद) पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं।

ग्राम जलालाबाद (जल्लाबाद) तथा ग्राम बबौरी पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं।

अतः उक्त ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लो0नि0वि0 की प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के पानी की शुद्धता की जांच की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में

22-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगाये जाने वाले इंडिया मार्का हैण्डपम्प का बोरिंग कितना गहरा होना चाहिये तथा हैण्डपम्प स्थापना के बाद इसके पानी की शुद्धता की जांच की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में लगाये जाने वाले इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प के बोरिंग की गहराई द्वितीय एक्यूफर (स्टेटा) की उपलब्धता एवं जल की गुणवत्ता पर निर्भर है, जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनीय होता है। अतः बोरिंग की गहराई का कोई पूर्व निर्धारित मानक नहीं है। जल निगम द्वारा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के जल की शुद्धता की जांच जिला स्तरीय प्रयोगशाला में करायी जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र छजलेट की ग्राम सभा भेंडी फरीदपुर से नये गांव के बीच पुल का निर्माण कराने विषयक

23-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र छजलेट की ग्राम सभा भेंडी फरीदपुर से नये गांव के बीच नाला पार करने में किसानों को कृषि उपज मंडी तक ले जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार भेंडी फरीदपुर-नये गांव के बीच नाले पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

इस ग्राम के ग्रामवासियों को नये गांव तक आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रश्नगत सेतु/मार्ग की लागत रु0 486.52 लाख आंकलित है। जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-हरिद्वार रेल मार्ग पर क्रासिंग संख्या-432 कस्बा कांठ से उपरिगामी सेतु निर्माण के सम्बन्ध में

24-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-हरिद्वार रेल मार्ग पर क्रासिंग संख्या-432 कस्बा कांठ से उपरिगामी सेतु बनाये हेतु केन्द्र से सहमति पत्र मिल चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेतु का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के दीवान शुगर मिल लि0, अगवानपुर ने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के सम्बन्ध में

25-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के दीवान शुगर मिल लि0, अगवानपुर ने किसानों का गन्ना मूल्य का अधिकांश भुगतान नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जी नहीं।

विगत पेराई सत्र 2018-19 के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद में स्थित निजी क्षेत्र की दीवान शुगर मिल लि0, अगवानपुर के द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 221.95 करोड़ का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-कांठ के समदपुर चौराहे से चकफेरी मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

26-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-कांठ (हरिद्वार मार्ग) के समदपुर चौराहे से चकफेरी जाने वाला मार्ग जर्जर एवं चकफेरी ग्राम के अन्दर मार्ग अति गहरा होने के कारण बरसात में 2 फुट तक पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग समदपुर चौराहे से चकफेरी ग्राम जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून मार्ग से कांठ मिश्रीपुर मार्ग वाया समदपुर मुजफ्फरपुर टांडा मार्ग (लम्बाई 13.500 किमी0) का भाग है। इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या-201/2019/180(1)/23-11-2019-1/2(54)/2019, दिनांक 07-11-2019 द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

जनपद गोण्डा मनकापुर-सादुल्लानगर-गौरा चौकी बभनान मार्ग पर रा0 सड़क निधि के अन्तर्गत बजट जारी कर निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

27-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा मनकापुर-सादुल्लानगर-गौरा चौकी बभनान मार्ग (डी0एम0बी0) लम्बाई 23 किलोमीटर गड्ढे में तब्दील है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। कहीं-कहीं मार्ग क्षतिग्रस्त है।

जी हां। मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी के कुरेठा-कोटरा मार्ग पर बेतवा नदी पर कोटरा में निर्माणाधीन सेतु के सम्बन्ध में

28-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुरुसराय कुरेठा-कोटरा मार्ग पर बेतवा नदी पर कोटरा में निर्माणाधीन सेतु का शेष कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सेतु की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 29-08-2011 द्वारा रु0 35.83 करोड़ निर्गत की गयी है। कार्य की लागत वृद्धि के फलस्वरूप पुनरीक्षित लागत रु0 50.8448 करोड़ का आगणन परीक्षणाधीन है।

सेतु के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 पर मै0 वोल्गा ट्रांसमिशन द्वारा वायु प्रदूषण फैलाये जाने के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

29-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 परकोट के पुल के पास स्थापित उद्योग मै0 वोल्गा ट्रांसमिशन द्वारा वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग मै0 वोल्गा ट्रान्समिशन प्रा0 लि0, 44.6 किमी0 स्टोन, ग्राम व पोस्ट कोट, दादरी, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर का नवीनतम निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा

के अधिकारियों द्वारा दिनांक 11-12-2019 को किया गया। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में नेचुरल/सिन्थेटिक रबर, कार्बन ब्लैक फैब्रिक, केमिकल्स पोलिस्टर कार्ड आदि का प्रयोग कर इण्डस्ट्रियल रबर वी बेल्ट लगभग 80 मीट्रिक टन/माह का उत्पादन किया जाता है।

उद्योग में ईंधन के रूप में कोल/ब्रिकेट्स का प्रयोग 3 टन/घण्टा क्षमता के ब्वायलर में किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त उद्योग में स्टैण्ड बाई व्यवस्था के रूप में गैस फायर्ड ब्वायलर क्षमता 3 टन/घण्टा भी स्थापित है। ब्वायलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टीसाइक्लोन डस्ट कलेक्टर, एल्कली वेट स्क्रबर एवं भू-तल से 30 मीटर ऊंची संयुक्त चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के दौरान उक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी। उद्योग द्वारा ब्वायलर से जनित वायु उत्सर्जन की स्वयं द्वारा दिनांक 08-10-2019 एवं दिनांक 09-12-2019 को कराये गये विश्लेषण की आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार विभिन्न प्रचालक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानकों के अनुरूप हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22-03-2018 द्वारा औद्योगिक ब्वायलर तथा 05 अन्य उद्योग सेक्टर हेतु निर्धारित किये गये SO2 तथा NOx उत्सर्जन के मानक के क्रम में गठित स्टैक मानिटरिंग समिति द्वारा उद्योग के ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी का अनुश्रवण पूर्व में दिनांक 19-07-2019 को किया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार वायु उत्सर्जन में SO2 तथा NOx की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी। वर्तमान में उद्योग को राज्य बोर्ड से वैध सहमति जल एवं वायु प्राप्त है।

जनपद शामली में मीम एग्रो फूड फैक्ट्री (मीट फैक्ट्री) कैराना द्वारा प्रदूषण फैलाने से रोकने हेतु कार्रवाई किये जाने विषयक

30-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में मीम एग्रो फूड फैक्ट्री (मीट फैक्ट्री) कैराना द्वारा आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने व जानवरों के अवशेष जलाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त फैक्ट्री के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत उद्योग की दिनांक 16-11-2019 को क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जांच करायी गयी, जिसमें उद्योग से जनित शुद्धीकृत उत्प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा मानकों के अनुरूप पायी गयी। उद्योग में जानवरों के अवशेष को जलाया जाना जांच में नहीं पाया गया है।

विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली के के ग्राम मन्ना मन्ना माजरा में ग्राम के बाहर के मार्ग के पुनर्निर्माण विषयक

31-श्री नाहिद हसन-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के ग्राम मन्ना मन्ना माजरा में ग्राम के बाहर का रास्ता जो हाफिज नसीम के मकान से यामीन के मकान के समीप से होकर गुजरता है, का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

गन्ना विकास परिषद्, शामली द्वारा वर्ष 2011-12 में ग्राम मन्ना मन्ना माजरा में ग्राम के बाहर का रास्ता जो हाफिज नसीम के मकान से यामीन के मकान के समीप मार्ग का निर्माण कराया गया था, जिसकी लम्बाई 0.800 किमी0 है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 की कार्य योजना की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत हो चुकी हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद् में धन उपलब्धता एवं उसके सापेक्ष राज्यांश हेतु बजट प्राविधान उपलब्ध होने पर कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज स्थित ग्राम ललूमर से हिल्गी होते हुये बड़े नाला जनपद उन्नाव आदि तक सड़क मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक

32-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज स्थित ग्राम ललूमर से हिल्गी होते हुये बड़े नाला जनपद उन्नाव सीमा तक व नगराम निलमथा मार्ग (सहियागोज) से विश्राम खेड़ा तक ललूमर-हिल्गी होते हुये उन्नाव सीमा तक व निलमथा मार्ग से विश्राम खेड़ा तक की सड़क मार्गों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम ललूमर-सुल्सामऊ-हिल्गी होते हुये बड़े नाला (जनपद उन्नाव सीमा) तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 30-11-2016 द्वारा व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत निर्गत की गयी है। मार्ग की कुल स्वीकृत लम्बाई 2.40 किमी0 एवं स्वीकृत लागत रु0 130.41 लाख है। मार्ग पर रु0 33.01 लाख का आवंटन किया जा चुका है।

निलमथा मार्ग से विश्राम खेड़ा मार्ग लखनऊ नगराम मार्ग से गंगाखेड़ा सम्पर्क मार्ग के नाम से उक्त शासनादेश द्वारा लम्बाई 2.00 किमी0 एवं लागत रु0 93.66 लाख की स्वीकृति व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत निर्गत की गयी है। मार्ग पर रु0 47.00 लाख का आवंटन किया जा चुका है।

उपरोक्त कार्यों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र स्थित नगराम-गंगागंज मार्ग का चौड़ीकरण कर पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

33-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र स्थित नगराम-गंगागंज मार्ग जो वर्तमान में जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त (नगराम-गंगागंज) मार्ग चौड़ीकरण कर नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

यातायात गणना के अनुसार वर्तमान में मार्ग दो लेन चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के मऊ मोहनलालगंज के गांवों को जोड़कर नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में

34-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मऊ मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र के सभी गांवों को जोड़कर नगर पंचायत सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां, नगर पंचायत मोहनलालगंज के गठन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद बाराबंकी मार्ग पर टैम्पो स्टैण्ड से ककरहिया नई बस्ती तक व पटेल महिला डिग्री कालेज मखदूमपुर रोड से उमाशंकर के घर तक मार्ग निर्माण पर व्यय धनराशि व सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी

35-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् बाराबंकी द्वारा सीमांकन शहरी क्षेत्र के बाहर जनपद बाराबंकी मार्ग पर टैम्पों स्टैण्ड से ककरहिया नई बस्ती तक व पटेल महिला डिग्री कालेज मखदूमपुर रोड से उमाशंकर के घर तक रोड कार्य नियमों के विरुद्ध कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं। सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है। पालिका से प्राप्त सूचनानुसार फैजाबाद रोड के बाराबंकी मार्ग पर टैम्पो स्टैण्ड के ककरहिया नई बस्ती तक, जहां सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट प्लाण्ट स्थित है, स्वीकृत धनराशि से सड़क निर्माण कराया गया है। कार्यस्थल वर्तमान में पालिका सीमान्तर्गत है तथा पटेल महिला डिग्री कालेज, मकदूमपुर रोड से उमाशंकर के घर तक सड़क का निर्माण नगर पालिका परिषद्, नवाबगंज द्वारा नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत पुराना वार्ड नं0-39 नया रायगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बने आवासों को नियम विरुद्ध अपात्रों को बांटे जाने की जांच विषयक

36-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत पुराना वार्ड नं0-39 नया(47) रायगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना में नियमों के विरुद्ध अपात्र लोगों को धनराशि बांटे जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत नामित नोडल एजेन्सी मेसर्स सरयू बाबू इंजीनियरिंग इण्डिया प्रा0 लि0 के माध्यम से सर्वेक्षण कराकर पात्र लाभार्थियों की डी0पी0आर0 स्वीकृत की जाती है। पात्र लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजे जाने से पूर्व जिलाधिकारी,

गोरखपुर द्वारा पात्र लाभार्थियों का सत्यापन सम्बन्धित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट से कराया जाता है। उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पात्र लाभार्थियों का सत्यापन करने के उपरान्त ही लाभार्थियों के खाते में धनराशि हस्तान्तरित की जाती है। उक्त प्रक्रिया के अनुसार उक्त योजनान्तर्गत नगर निगम, गोरखपुर के पुराना वार्ड सं0-39, नया (47) रायगंज में कुल 59 पात्र लाभार्थियों को धनराशि आवंटित की गयी है, जिसमें से 02 लाभार्थियों द्वारा मकान निर्माण में असमर्थ होने के कारण आवंटित धनराशि डूडा को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस कर दी गयी है। इस प्रकार पुराना वार्ड सं0-39, नया (47) रायगंज में कुल 57 पात्र लाभार्थियों द्वारा उक्त योजनान्तर्गत मकान का निर्माण कराया जा रहा है, किसी अपात्र के खाते में धनराशि हस्तान्तरित नहीं की गयी है।

जनपद गोरखपुर नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड सं0-48 सूरजकुण्ड धाम नगर में अनुसूचित जाति बस्ती में सफाई कर्मियों के आवासों की सड़कों व नालियों की मरम्मत विषयक

37-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम के अन्तर्गत वार्ड सं0-48 सूरजकुण्ड धाम नगर में अनुसूचित जाति बस्ती में सफाई कर्मियों को आवंटित आवासों की सड़कें व नालियां जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का अनुरक्षण कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

जी हां।

वार्ड सं0-48 सूरजकुण्ड धाम नगर में स्थित सफाई कर्मियों के आवासीय कालोनी में पुलिस चौकी स्वीपर कालोनी होते हुए सूरजकुण्ड रेलवे क्रासिंग तक सड़क निर्माण आवास विकास परिषद् द्वारा कराया जाना है। स्वीपर कालोनी की आन्तरिक सड़कों एवं नालियों के कार्य हेतु धनराशि रु0 80,48,657.00 का आगणन तैयार किया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

एल0डी0ए0 कालोनी रतन खण्ड शारदानगर योजना लखनऊ के पार्कों की मरम्मत/निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने विषयक

38-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0डी0ए0 कालोनी रतन खण्ड शारदानगर योजना लखनऊ के पार्क संख्या-9, 10 व अन्य पार्कों की मरम्मत/निर्माण कार्य कराकर सौन्दर्यीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

एल0डी0ए0 कालोनी, रतन खण्ड, शारदानगर योजना, लखनऊ के पार्क संख्या-9, 10 व अन्य पार्क की क्षतिग्रस्त दीवार, प्लास्टर के सुधार, रंगाई-पुताई, ग्रिल आदि कार्य पर रु0 20.70 लाख का व्यय भार अनुमानित है। उक्त कार्य 14वें वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम गोरखपुर में मुहल्ला दाउदपुर में कैंट चौराहे पर मकान सं0-29030026 एन0सी0, 29030026 आर व मकान सं0-29030016 डी0 क्यू बनाकर नाले पर कब्जा कर नाला सफाई बाधित करने वाले दोषियों को दण्डित किये जाने सम्बन्धी

39-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गोरखपुर में मुहल्ला दाउदपुर में कैंट चौराहे पर स्थित नाले पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर मकान सं0-29030026 एन0सी0, 29030026 आर0 तथा मकान सं0-29030016 डी0 क्यू0 लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा हटाकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत मुहल्ला-दाउदपुर में कैंट चौराहे के पास भवन सं0-29030026 एन0सी0 (भवन संख्या-26 एन), 29030026 आर0 (भवन संख्या-26) तथा मकान नं0-29030026 डी0 क्यू0 26 (भवन संख्या-26 डी) पर श्रीमती पूर्णिमा शुक्ल मिश्रा पत्नी श्री राजीव मिश्र, श्री जय प्रकाश जायसवाल पुत्र स्व0 गंगा प्रसाद द्वारा भूमिधरी की भूमि पर भवन का निर्माण कराया गया है, परन्तु अपने मकान के पीछे श्रीमती पूर्णिमा शुक्ल मिश्रा द्वारा नाले के ऊपर टीन शेड डालकर रास्ता बना लिया गया है तथा श्री जय प्रकाश जायसवाल द्वारा नाले के ऊपर स्लैब डालकर उस पर टाइल्स लगाकर रास्ता बना लिया गया है।

नाले पर हुए अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस जारी किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत घण्टाघर से अहलदादपुर रोड पर स्थानीय लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने विषयक

40-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत घण्टाघर से अहलदादपुर रोड पर से लोगों को आवागमन असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

सार्वजनिक मार्ग पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाता है, वर्तमान समय में अतिक्रमण विषयक कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। सार्वजनिक मार्ग पर सतत निगरानी रखी जाती है, यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे तत्काल हटा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

41-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

[02 मंगलवार के अता0प्र0सं0-51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में नगर पंचायत के गन्दे पानी के गंगा में मिलने से प्रदूषण को रोकने हेतु योजना बनाये जाने विषयक

42-श्री सुभाष पासी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में सैदपुर नगर पंचायत स्थित गंगा नदी में नगर पंचायत का सारा गन्दा पानी नदी में गिरता है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जनपद गाजीपुर में सैदपुर विधान सभा अन्तर्गत सैदपुर नगर पंचायत स्थित 08 अनटैप्ड ड्रेन का पानी गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है, जिसकी मात्रा लगभग 5.3 एम0एल0डी0 है। उत्तर प्रदेश में समस्त अनटैप्ड ड्रेन के शोधन हेतु रु0 1796.00 करोड़ का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसमें उक्त 08 अनटैप्ड ड्रेन भी सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

43-श्री सुभाष पासी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व नव निर्माण कार्य कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत मार्गों को गड्ढामुक्त करने एवं मार्गों के नवीनीकरण का कार्य निर्धारित चक्रानुसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने एवं पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत मार्गों के नव निर्माण का भी कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-इलाहाबाद में नजूल भू-खण्ड संख्या एक्स-एक्स सिविल स्टेशन, कानपुर रोड पी0डी0 टण्डन मार्ग की फ्री-होल्ड भूमि के सम्बन्ध में

44-श्री विजय मिश्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद में नजूल भू-खण्ड संख्या एक्स-एक्स सिविल स्टेशन, कानपुर रोड पी0डी0 टण्डन मार्ग की फ्री-होल्ड भूमि जो मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश से पिछले रेट से निरस्त है, को नजूल नीति के अनुसार वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर स्व-मूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराते हुये फ्री-होल्ड सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद प्रयागराज में स्थित नजूल भू-खण्ड संख्या एक्स-एक्स सिविल स्टेशन, कानपुर रोड पी0डी0 टण्डन मार्ग की लीज डीड दिनांक 19-12-1958 को समाप्त हो चुकी है तथा इस सम्बन्ध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत फ्री-होल्ड प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-25124/2010 लाडली टण्डन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-05-2012 के अनुपालन में लाडली टण्डन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 24-11-2010 को आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-492/8-4-12-138एन/06, दिनांक 29-05-2012 द्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम भटपुरा मिश्र से ग्राम सहदेवपुर तक पक्के मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में

45-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम भटपुरा मिश्र से ग्राम सहदेवपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की सरकार मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम भटपुरा मिश्र से ग्राम सहदेवपुर तक का भाग (लम्बाई 700 मी0) निगोही ईशापुर मार्ग (अ0जि0मा0) के अन्तर्गत आता है, जिस पर नवीनीकरण कार्य माह जुलाई, 2019 में पूर्ण करा दिया गया है। मार्ग की दशा वर्तमान में सन्तोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

46-श्री रोशन लाल वर्मा-

[01 गुरुवार के अता0प्र0सं0-43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर ग्राम पतराजपुर से ग्राम भटपुरा मिश्र तक मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

47-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर ग्राम पतराजपुर से ग्राम भटपुरा मिश्र एवं ग्राम ढकिया तिवारी से ग्राम परसरा परसरी मोड़ तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर ग्राम पतराजपुर से ग्राम भटपुरा मिश्र तक का भाग (लम्बाई 700 मी0) निगोही ईशापुर मार्ग के अन्तर्गत आता है। मार्ग पर माह नवम्बर, 2019 में नवीनीकरण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। मार्ग की दशा वर्तमान में सन्तोषजनक है।

2-ग्राम ढकिया तिवारी से ग्राम परसरा परसरी मोड़ तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य मण्डी परिषद् द्वारा पूर्ण कराया गया है। वर्षा के कारण मार्ग के कुछ स्थानों पर पैच हो गये हैं। मार्ग अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत है, जिसकी मरम्मत ठेकेदार द्वारा करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर में ग्राम संतोषपुर प्राथमिक विद्यालय से ग्राम ईश्वरा तक कच्चे मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में

48-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर में ग्राम संतोषपुर प्राथमिक विद्यालय से ग्राम ईश्वरा तक तथा ग्राम पुरायं प्राथमिक विद्यालय से ग्राम हुसैनापुर तक का कच्चा मार्ग ऊबड़-खाबड़ तथा गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय

जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम सन्तोषपुर एवं ग्राम ईश्वरा तथा ग्राम पुरायं एवं ग्राम हुसैनापुर पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं।

अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर में ग्राम फिरोजपुर गौटिया से बिलहरी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

49-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर में ग्राम फिरोजपुर गौटिया से बिलहरी सम्पर्क मार्ग तक, ग्राम रुजवारी रेलवे फाटक से रुजवारी पुलिया होते हुए ग्राम बिहारीपुर मुड़िया तक तथा ग्राम कुंआडांडा में देशराज के मकान से तिलहर सम्पर्क मार्ग तक का कच्चा मार्ग ऊबड़-खाबड़ तथा गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

ग्राम फिरोजपुर गौटिया एवं बिलहरी पूर्व से ही एन0एच0-24 कि0मी0-309 से एवं ग्राम रुजवारी एवं ग्राम बिहारीपुर मुडिया पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं।

देशराज का मकान ग्राम कुंआडांडा में पड़ता है, जो पूर्व से ही एन0एच0-24 के कि0मी0-306 से जुड़ा हुआ है।

अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में प्रचलित लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद में अगवानपुर-पाकबड़ा बाईपास पर पड़ने वाले हकीमपुर रेलवे क्रासिंग संख्या-7 बी पर जाम से निजात हेतु उपरिगामी सेतु बनवाने के सम्बन्ध में

50-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में अगवानपुर-पाकबड़ा बाईपास पर हकीमपुर रेलवे क्रासिंग संख्या-7 बी पर जाम की समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार हकीमपुर रेलवे क्रासिंग सं0-7 बी पर उपरिगामी सेतु बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के मुरादाबाद-बिजनौर मार्ग के ग्राम छजलैट में आबादी के पानी निकासी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में

51-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-बिजनौर मार्ग के किलोमीटर 22 पर स्थित ग्राम छजलैट में किलोमीटर 21 से छजलैट तिराहे तक राज्य मार्ग एस0एच0-76 के दोनों ओर आबादी हेतु पानी निकलने हेतु कोई व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क के दोनों ओर नालों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मुरादाबाद-बिजनौर मार्ग के किलोमीटर 22 पर स्थित ग्राम छजलैट में कि0मी0-21 से छजलैट तिराहे तक मार्ग की पटरियों पर वर्षा के जल को विभागीय गैंग द्वारा पनकटे बनाकर पानी निकाल दिया जाता है। मार्ग के एक तरफ पूर्व से ही नाली निर्मित है।

जनपद अयोध्या में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों व शेष को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में

52-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना कब से लागू हुई है तथा योजना लागू होने से दिनांक 11-07-2019 तक जनपद अयोध्या में तहसीलवार कितने पात्र लाभार्थी को इसका लाभ दिया गया और कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त योजना में शेष बचे पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 21 मार्च, 2016 से लागू हुई है। योजनान्तर्गत जनपद-अयोध्या में दिनांक 11-07-2019 तक तहसीलवार पात्र लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :-

तहसीलवार आख्या

क्र0 सं0	**तहसील का नाम**	**नगर निकाय का नाम**	**स्वीकृत आवास**	**पात्र लाभार्थी, जिन्हें योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया**	**अवशेष लाभार्थी, जिन्हें लाभ दिया जाना है**
1	**सदर**	न0नि0, अयोध्या (शहर अयोध्या)	2288	1018	1270
		न0नि0, अयोध्या (शहर अयोध्या)	4307	1439	2868
		न0पं0, गोशाईगंज	241	184	57
योग			**6836**	**2641**	**4195**
2	**बीकापुर**	न0पं0, बीकापुर	1841	1228	613
3	**सोहावल**	न0पं0, भदरसा	933	501	432
4	**रुदौली**	न0पा0परि0, रुदौली	2945	1834	1111
कुल योग			**12555**	**6204**	**6351**

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के विवरण सम्बन्धी

53-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा (लाभ) किस श्रेणी के लोगों को प्रदान की गयी है तथा उसका मानक क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद अयोध्या में कितने लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार (बी0एल0सी0) घटक एवं भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) श्रेणी के लोगों को लाभ प्रदान किया गया है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी (सी0एल0एस0एस0) घटक में ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के साथ-साथ एल0आई0जी0, एम0आई0जी0-1 एवं एम0आई0जी0-2 श्रेणी के लोगों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। लाभार्थी के पात्रता मानक सम्बन्धी दिशा-निर्देश संलग्न † हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य श्रेणी (जिसमें पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है) को दिया जाता है। योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ दिया गया है, जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर बनायी गयी स्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित है।

जनपद अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 6204 पात्र लाभार्थियों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 23361 पात्र लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जनपद-अयोध्या में योजनान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण में कुल 29565 पात्र लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के नगर पालिका में वर्ष 2017-2018 व 2018-2019 में डूडा विभाग द्वारा मलिन बस्तियों के स्थान पर अन्य बस्तियों में नाली, सड़क आदि के गुणवत्ताविहीन कार्यों की जांच कराने विषयक

54-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के नगर पालिका में वर्ष 2017-2018 व 2018-2019 में कितनी धनराशि डूडा विभाग द्वारा नाली, सड़क आदि के निर्माण कार्यों में कहां-कहां खर्च की गयी है ? क्या यह सही है कि स्वीकृत मलिन बस्तियों में उक्त कार्यों को न कराकर अन्य बस्तियों में कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

वित्तीय वर्ष 2017-2018 व 2018-2019 में नगर पालिका नवाबगंज में कुल रु0 111.72 लाख की धनराशि डूडा विभाग द्वारा नाली एवं सड़क आदि के निर्माण कार्यों में

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-166 पर)

खर्च की गयी है, जिसमें से मोहल्ला पीरबटावन में कुल 05 परियोजनाओं हेतु रु0 52.24 लाख, मोहल्ला दशहराबाग में कुल 03 परियोजनाओं हेतु रु0 18.72 लाख, मोहल्ला ओबरी (पूरेमोती) में कुल 02 परियोजनाओं हेतु रु0 13.04 लाख, मोहल्ला बडेल लखपेड़ाबाग में कुल 02 परियोजनाओं हेतु रु0 9.98 लाख, मोहल्ला वल्दा रोड में 01 परियोजना हेतु रु0 2.91 लाख, मोहल्ला कृष्णानगर में 01 परियोजना हेतु रु0 3.91 लाख, मोहल्ला आजाद नगर में 01 परियोजना हेतु रु0 1.92 लाख, मोहल्ला घोशियाना उत्तरी में 01 परियोजना हेतु रु0 5.03 लाख एवं मोहल्ला नेहरू नगर में 01 परियोजना हेतु रु0 3.97 लाख की धनराशि खर्च की गयी।

शासन के संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज वि0स0 क्षेत्र के निगोहा-नगराम मार्ग पर टूटी पुलिया के निर्माण विषयक

55-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित मोहनलालगंज स्थित निगोहा-नगराम मार्ग पर टूटी पुलिया का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां, प्रश्नगत मार्ग के कि0मी0-34 से 36 में 05 पुलियों की पैरापेट क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या के समाधान हेतु योजना बनाने हेतु कराये गये कार्यों का विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में

56-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत बांदा नगर में कौन-कौन व कितने धनराशि के कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

बांदा नगर में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत केन नदी में पूर्व निर्मित इण्टेकवेल हेतु चैनल निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु शासनादेश दिनांक 11-11-2019 द्वारा रु0 725.67 लाख एवं भूरागढ़ स्थित जल शोधन संयंत्र से पूर्व में बिछायी गयी एस0सी0 पाइप की राइजिंगमेन बदलने एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु शासनादेश दिनांक 21-11-2019 द्वारा रु0 1944.66 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त कार्यों की निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 16-04-2019 द्वारा जनपद-बांदा के नगरीय क्षेत्रों बांदा, अतर्रा, ओरन, बिसण्डा, तिन्दवारी एवं मटौंध में पेयजल के निरन्तरता बनाये रखने हेतु रु0 166.051 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में अधूरे पड़े बाईपास को पूर्ण कराकर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में

57-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत कतिपय बाईपास का निर्माण पूर्ण कराकर सरकार संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

बांदा बाईपास मार्ग का निर्माण दो भागों में कराया जा रहा है। प्रथम भाग के अन्तर्गत स्वीकृत लम्बाई 18.60 किमी0 के सापेक्ष 16.267 किमी0 लम्बाई में निर्माण कार्य पूर्ण है तथा दूसरे भाग की कुल लम्बाई 10.70 किमी0 के सापेक्ष 2.00 किमी0 लम्बाई में निर्माण कार्य पूर्ण है। उक्त कार्य की पूर्णता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

लखनऊ स्थित डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरो सर्जरी में आचार्य पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

58-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के न्यूरो सर्जरी में आचार्य (प्रोफेसर) का पद सृजित है ? यदि हां, तो उक्त पद पर नियुक्ति प्रक्रिया कब पूर्ण होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

उक्त पद पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति काला हिरण के संरक्षण हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

59-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के चांद खम्हरिया में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के वन्य पशु काला हिरण के संरक्षण हेतु सरकार के पास कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

उत्तर प्रदेश वन्य जीव अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-3057/14-4-2017-831/2013, दिनांक 14-09-2017 द्वारा जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत मेजा तहसील में चांद खम्हरिया को कृष्ण मृग कन्जर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें 38,123 हेक्टेयर वन भूमि तथा 88.00 हेक्टेयर ग्राम समाज भूमि है। उक्त क्षेत्र को विकसित करने हेतु वॉच टॉवर का निर्माण, एप्रोच रोड का निर्माण, कच्चे तालाबों का निर्माण, चारागाह का निर्माण, पम्प हाउस का निर्माण, सोलर पम्प का निर्माण, नलकूप का निर्माण, वॉटर होल का निर्माण आदि कार्य कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र धौलाना ग्राम मसूरी में जम जम कोल्ड स्टोर बिना मानचित्र स्वीकृत की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के धौलाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मसूरी में एन0एच0-9 पर स्थित जम जम कोल्ड स्टोर का गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया है और उक्त की बनी बिल्डिंग अभी भी कृषि भूमि में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल ग्राम मसूरी में गंग नहर की पूर्व दिशा में स्थित है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में ''ग्राम मसूरी का केवल वह भाग जो गंगा कैनाल के पश्चिम में है'' विज्ञाप्ति है। प्रश्नगत स्थल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं होने के कारण प्राधिकरण के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

61-श्री असलम अली-

[01 गुरुवार के अता0प्र0सं0-45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर के मजरों/बसावटों को पिच रोड से संतृप्त किया जाने विषयक

62-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादी के कितने मजरों तथा बसावटों को पिच रोड से संतृप्त किया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त असंतृप्त मजरों/बसावटों को संतृप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादी के 127 मजरों/बसावटों को पिच रोड से संतृप्त किया जाना शेष है।

जी हां।

असंतृप्त मजरों/बसावटों को संतृप्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर की तहसील-मछलीशहर, ग्राम सभा-मथुरा में पिच रोड व सड़क का मरम्मतीकरण कार्य कराये जाने विषयक

63-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील-मछलीशहर के ग्राम सभा-मथुरा में पाल चौराहे से जुड़ऊपुर तक तथा परसूपुर रोड सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। जनपद जौनपुर की तहसील-मछलीशहर के ग्राम सभा-मथुरा में पाल चौराहे से जुड़ऊपुर तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.05 किमी0 है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। उक्त मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। परसूपुर सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 1.00 किमी0 है, जिसकी स्थिति सन्तोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के बलरामपुर-उतरौला (फुलवरिया) बाईपास पर व झारखण्डी रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने सम्बन्धी

64-श्री पल्टूराम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में बाईपास न होने के कारण जाम की वजह से विदेशी पर्यटक (स्कूली बच्चे), मरीज एवं व्यापारी तथा आम आदमी समय से अपने गन्तव्य पर नहीं पहुंच पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बलरामपुर के बलरामपुर-उतरौला (फुलवरिया) बाईपास पर रेलवे उपरिगामी सेतु व झारखण्डी रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु तथा बाईपास का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बलरामपुर सदर में फुलवरिया बाईपास निर्मित है। प्रश्नगत बाईपास पर रेलवे सम्पार न होने के कारण उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु रेलवे द्वारा सहभागिता नहीं की जायेगी। रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु रु0 2038.12 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

झारखण्डी रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के जाब सं0 730-यू0पी0-2017-18-558, दिनांक 09-03-2018 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 731 के कि0मी0 323.745 से कि0मी0 351.000 तक (तुलसीपुर बढ़नी सेक्शन) के ई0पी0सी0 मोड़ के अन्तर्गत स्वीकृत 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के साथ स्वीकृत है।

जनपद बलरामपुर के सड़क बेलहा गौरा मार्ग, महेशभारी भैंसहवा, बालपुर-तिलकपुर से कल्ला भट्ठा, श्रीदत्तगंज गुमड़ी मार्ग की मरम्मत कराये जाने हेतु

65-श्री पल्टूराम-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के बेलहा गौरा मार्ग ओ0डी0आर0 महेशभारी भैंसहवा मार्ग ओ0डी0आर0 बालपुर-तिलकपुर वाया बरईपुर होते हुए कल्ला भट्ठा तक व श्रीदत्तगंज गुमड़ी मार्ग अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर सड़कों का पुनः निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-जनपद बलरामपुर में बेलहा गौरा मार्ग (अ0जि0मा0) गड्ढामुक्त है।

2-जनपद बलरामपुर में महेश भारी भैंसहवा मार्ग (अ0जि0मा0) गड्ढामुक्त है।

3-बालपुर-तिलकपुर वाया बरईपुर होते हुए कल्ला भट्ठा तक (ग्रामीण मार्ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

4-श्रीदत्तगंज गुमड़ी मार्ग (ग्रामीण मार्ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उपर्युक्तानुसार, बेलहा गौरा मार्ग एवं महेशभारी भैंसहवा मार्ग गड्ढामुक्त है। बालपुर तिलकपुर वाया बरईपुर होते हुए कल्ला भट्ठा तक मार्ग की विशेष मरम्मत एवं श्रीदत्तगंज गुमड़ी मार्ग की विशेष मरम्मत की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर के तिराहे तक दिनांक 01-11-2018 से 31-10-2019 तक कुल सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या व इसे रोकने हेतु कार्यवाही विषयक

66-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-एन0एच0-91 पर औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद की कि0 सं0-48 से 54 तक की सीमा से सिकन्द्राबाद नगर के तिराहे तक दिनांक 01-11-2018 से 31-10-2019 तक कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं तथा उनमें कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई हैं ? क्या सरकार उक्त सत्र में सड़क दुर्घटनायें रोकने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधीन है, जिसके गाजियाबाद-अलीगढ़ सेक्शन के किमी0 48.00 से 54.00 के बीच दिनांक 01-11-2018 से 31-10-2019 तक 45 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 07 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उक्त दुर्घटनाएं अधिकतर Drunk & Drive, Over Speed तथा यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण हुई हैं, दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्राधिकरण द्वारा उक्त स्थान पर ब्लिंकर्स, ट्रैफिक साइन बोर्ड तथा रम्बर स्ट्रिप्स लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यशालाओं एवं अन्य प्रचार सामग्री के द्वारा सड़क प्रयोक्ताओं को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक/प्रेरित किया जाता है।

जनपद बुलन्दशहर में गंगरौल रेलवे स्टेशन पर अण्डर ब्रिज बनाये जाने विषयक

67-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में गंगरौल रेलवे स्टेशन पर नागरिकों को रेलवे लाइनों को पार करने की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार उक्त रेलवे स्टेशन पर एक अन्डर पास ब्रिज बनाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत रेलवे स्टेशन पर नागरिकों को रेलवे लाइन पार करने की सुविधा प्रदान करने हेतु रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण हेतु अपर महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली को अनुरोध-पत्र दिनांक 14-12-2019 को प्रेषित कर दिया गया है।

जनपद बुलन्दशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 मै0 अल्ट्राटैक सीमेंट के पास व सिकन्दराबाद मोड़ पर अन्डरपास व सर्विस रोड बनाये जाने विषयक

68-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 पर औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु मै0 अल्ट्राटैक सीमेंट के पास तथा सिकन्दराबाद मोड़ पर अन्डरपास व सर्विस रोड बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है, जिसके गाजियाबाद-अलीगढ़ सेक्शन के किमी0 49.390 पर रियायतग्राही द्वारा अण्डरपास का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। किमी0 52.700 से 54.000 के मध्य सर्विस रोड निर्माण का कार्य बीच-बीच में भूमि उपलब्ध न होने के कारण छूट गया था। उक्त कार्य गाजियाबाद-अलीगढ़ खण्ड के 6 लेन चौड़ीकरण के दौरान भूमि उपलब्ध होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू करने की मांग

69-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में ऑनलाइन नक्शा जमा करने, उसे पास करने तथा जन सामान्य को एक मॉडल नक्शा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में ऑनलाइन नक्शा जमा करने, उसे पास करने तथा जन सामान्य को एक मॉडल नक्शा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (OBPAS) समस्त विकास प्राधिकरण में लागू किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 पर मै0 वोल्गा ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा वायु/जल प्रदूषण को रोकने हेतु कार्यवाही किये जाने विषयक

70-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 पर कोट के पुल के पास स्थित उद्योग मै0 वोल्गा ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा फैलाये जा रहे वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार उक्त उद्योग के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मै0 वोल्गा ट्रान्समिशन्स प्रा0 लिमिटेड, 44.6 किमी0 स्टोन, ग्राम व पोस्ट कोट, दादरी, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर का नवीनतम निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों द्वारा दिनांक 11-12-2019 को किया गया। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में नेचुरल/सिन्थेटिक रबर, कार्बन ब्लैक फैब्रिक, केमिकल्स पोलिस्टर कार्ड आदि का प्रयोग कर इण्डस्ट्रियल रबर वी बेल्ट लगभग 80 मीट्रिक टन/माह का उत्पादन किया जाता है।

उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन, कूलिंग प्रक्रिया एवं स्टीम उत्पादन हेतु किया जाता है। घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सोकपिट/सेप्टिक टैंक में तथा कूलिंग प्रक्रिया एवं ब्वायलर के ब्लोडाउन से जनित उत्प्रवाह को कूलिंग टॉवर, सेटलिंग टैंक के माध्यम से पुनः प्रयोग किया जाता है। उद्योग द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं किया जाता है।

उद्योग में ईंधन के रूप में कोल/ब्रिकेट्स का प्रयोग 3 टन/घण्टा क्षमता के ब्वायलर में किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त उद्योग में स्टैण्ड बाई व्यवस्था के रूप में गैस फायर्ड ब्वायलर क्षमता 3 टन/घण्टा भी स्थापित है। ब्वायलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टीसाइक्लोन डस्ट कलेक्टर, एल्कली वेट स्क्रबर एवं भू-तल से 30 मीटर ऊंची संयुक्त चिमनी स्थापित है। निरीक्षण के दौरान उक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी। उद्योग द्वारा ब्वायलर से जनित वायु उत्सर्जन की स्वयं द्वारा दिनांक 08-10-2019 एवं दिनांक 09-12-2019 को कराये गये विश्लेषण की आख्या उपलब्ध कराई गयी है, जिसके अनुसार विभिन्न प्रचालक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानकों के अनुरूप है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22-03-2019 द्वारा औद्योगिक ब्वायलर तथा 05 अन्य उद्योग सेक्टर हेतु निर्धारित किये गये SO2 तथा NOx उत्सर्जन के मानक के क्रम में गठित स्टैक मानिटरिंग समिति द्वारा उद्योग के ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी का अनुश्रवण पूर्व में दिनांक 19-07-2019 को किया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार वायु उत्सर्जन में SO2 तथा NOx की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी। वर्तमान में उद्योग को राज्य बोर्ड से वैध सहमति जल एवं वायु प्राप्त है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम कटैया उस्मानपुर से उदारा तक मार्ग के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

71-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम कटैया उस्मानपुर से उदारा होते हुए ग्राम ढकिया

तिवारी तक पक्का मार्ग ऊबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम कटैया उस्मानपुर से उदारा के मार्ग लम्बाई 1.050 कि0मी0 का निर्माण वर्ष 2014-2015 में गन्ना विकास परिषद् निगोही द्वारा कराया गया था। वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त व गड्ढायुक्त है। गन्ना विकास विभाग के उक्त भाग के सम्बन्ध में सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद् के परिषदीय बजट स्वीकृत होने पर लागत का 20 प्रतिशत मैचिंग ग्राण्ट तथा 80 प्रतिशत राज्यांश स्वीकृत होने पर मरम्मत/ सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उदारा से ढकिया तिवारी तक लोक निर्माण विभाग स्वामित्व के मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में पराझरसा बरैचा सम्पर्क मार्ग से नवीपुर से ग्राम हटा दलेलपुर रोड तक मार्ग के डामरीकरण कराने एवं मरम्मत के सम्बन्ध में

72-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में पराझरसा बरैचा सम्पर्क मार्ग से नवीपुर होते हुए ग्राम हटा दलेलपुर रोड तक कच्चे ऊबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की शासनादेश संख्या-111/2019/आ0-134(1)/23-9-2019-03 डी0डी0/19, दिनांक 18-11-2019 द्वारा लम्बाई 1.80 कि0मी0 व लागत रु0 131.13 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली में ग्राम बरौरा डामर रोड के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

73-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली में ग्राम बरौरा डामर रोड से बारा नाला पुलिया होते हुए ग्राम नथुआपुर तक का कच्चा मार्ग ऊबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली में ग्राम बरौरा एवं ग्राम नथुआपुर पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं।

अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में प्रचलित लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम मदारीपुर से ग्राम रामपुर नयागांव तक मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

74-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम मदारीपुर से ग्राम रामपुर नयागांव तक कच्चा मार्ग ऊबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम मदारीपुर से ग्राम रामपुर नयागांव पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुए हैं।

अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में प्रचलित लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर में ग्राम सुल्तानपुर से ग्राम भुड़ेली तक मार्ग के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

75-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर में ग्राम सुल्तानपुर से ग्राम भुड़ेली तक कच्चा मार्ग ऊबड़-खाबड़ व गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर में ग्राम सुल्तानपुर से ग्राम भुड़ेली पूर्व से ही अलग-अलग लेपित पक्के सम्पर्क मार्गों से जुड़े हुए हैं। अतः उक्त दोनों ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना वर्तमान में प्रचलित लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ मानकनगर में केसरी खेड़ा वार्ड सूर्यनगर गली में इण्टरलॉकिंग कराये जाने पर कार्यवाही के विषयक

76-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित मानकनगर में केसरी खेड़ा वार्ड, 548-एस/501-ए, सूर्यनगर (हनुमान मन्दिर के पीछे) गली में लगभग 50 मी0 नाली एवं आर0सी0सी सड़क/इण्टरलाकिंग कराये जाने सम्बन्धी मा0 नगर विकास मंत्री का आदेश-सामा0 3569/मं0सं0का0न0वि0/2018, दिनांक 26-07-2018 नगर आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क 40 मीटर लम्बाई में है, जिस पर इण्टरलॉकिंग एवं नाली के कार्य हेतु कुल धनराशि रु0 3.17 लाख का व्यय आयेगा, जिसे प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर स्थित शेखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन मेडिकल कालेज में आउटसोर्सिंग पर रखे गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में

77-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर स्थित शेखुल हिन्द मौलाना महमूदुल हसन मेडिकल कालेज में किन-किन पदों पर कितने कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रखे गये हैं तथा उन्हें कितना-कितना और कब-कब भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में विभिन्न श्रेणी के 28 प्रकार के पदों के सापेक्ष वर्तमान में कुल 305 आउटसोर्सिंग कार्मिक सेवा प्रदाता एजेन्सियों के माध्यम से तैनात हैं, जिनका विवरण संलग्न† है। इन कार्मिकों को उनकी मासिक उपस्थिति के आधार पर प्रतिमाह रु0 62,10,080.89 का भुगतान सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत बिल के सापेक्ष किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर मुफ्तीगंज बाजार से ग्राम असवारा से भदेवरा बस्ती तक क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने विषयक

78-श्री दिनेश चौधरी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज बाजार से ग्राम असवारा होते हुए भदेवरा यादव बस्ती तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-लालगंज में वन विभाग द्वारा कराये गये पौधारोपण कार्य सम्बन्धी

79-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-लालगंज में वन विभाग को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तथा 2019-2020 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि से कुल

† (देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ-167 पर।)

कितने पौधे किस-किस प्रजाति के कुल कितने क्षेत्रफल में कहां लगाये गये तथा उनमें से कुल कितने में वर्तमान में जीवित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद आजमगढ़ के लालगंज विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में योजनावार स्वीकृत धनराशि व उसके सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि, रोपित पौधों की संख्या, वृक्षारोपण क्षेत्रफल, रोपित पौधों की जीवितता प्रतिशत व रोपित प्रजातियों का विवरण संलग्न† तालिका संख्या-1 में दिया गया है।

वन विभाग द्वारा 2017-18, 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में रेंजवार व योजनावार वृक्षारोपण स्थल का नाम व क्षेत्रफल का विवरण संलग्न तालिका संख्या-2 में दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वायु प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न कार्यों को रोकने के प्राविधान सम्बन्धी

80-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वायु प्रदूषण से मानव जीवन एवं पर्यावरण पर पड़ रहे गम्भीर नकारात्मक प्रभावों की समाप्ति हेतु कृषि अपशिष्ट, कूड़ा करकट एवं ई-कचरा जलाने से रोकने, पटाखा निर्माण फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का सत्यापन कर उन्हें आबादी क्षेत्र से बाहर करने, शादी समारोहों या अन्य मौकों पर होने वाली आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लगाने जैसी कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28-10-2015 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट जलाये जाने को प्रतिषिद्ध किया गया है। कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 04-10-2019 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं कि किसी भी स्थिति में पराली/कृषि अपशिष्ट न जलाने दिया जाय। उक्त के अनुपालन हेतु जिला स्तर पर अन्तर्विभागीय टास्क फोर्स तथा प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर टास्क फोर्स गठित है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, जो दिनांक 08-04-2016 प्रभावी है, के प्राविधानों के अन्तर्गत कूड़ा-कचरा जलाया जाना अनुमन्य नहीं है तथा मात्र ऐसे अधिक ऊर्जादायक ठोस अपशिष्ट, जो

† (देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या-168-170 पर।)

पुनर्चक्रण योग्य नहीं होते हैं, का निस्तारण ही तापीय विद्युत संयंत्रों, सीमेन्ट इकाइयों में ईंधन के रूप में किया जाना अनुमन्य है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस ई-अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, जो दिनांक 23-03-2016 प्रभावी है, के अन्तर्गत ई-वेस्ट का निस्तारण मात्र प्राधिकृत रि-साइकिलर्स के माध्यम से ही किया जाना अनुमन्य है तथा ई-वेस्ट का जलाया जाना अनुमन्य नहीं है।

पटाखा निर्माण उद्योगों तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों का संचालन गैर-अनुमन्य भूप्रयोगों के क्षेत्रों एवं आवासीय क्षेत्रों में अनुमन्य नहीं है।

पटाखा निर्माण एवं आतिशबाजी के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18-03-2013 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अन्तर्गत पटाखा निर्माण हेतु निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुपालन के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन उत्तरदायी संस्था है।

शादी समारोह या अन्य उत्सव के दौरान पटाखों के प्रयोग के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 लागू हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बाराबंकी के सदर में आने वाले विकास खण्ड देवां व बंकी में वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में

81-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड देवां व बंकी में वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण के तहत कितने पौधे पूरे क्षेत्र में लगाये गये तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या यह सही है कि अधिकांश पौधारोपण कागजों पर ही दिखा के शासकीय धनराशि की लूट की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद बाराबंकी के देवां विकास खण्ड व बंकी विकास खण्ड में वन विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में रोपित पौधों की संख्या एवं वृक्षारोपण पर किया गया व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड का नाम	रोपित पौधों की संख्या	वृक्षारोपण पर व्यय (रु0 लाख में)
1	2019-20	देवां विकास खण्ड	4,09,400	59.47
2	2019-20	बंकी विकास खण्ड	30,085	7.98

अन्य विभागों द्वारा देवां एवं बंकी विकास खण्ड में रोपित पौधों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड का नाम	रोपित पौधों की संख्या
1	2019-20	देवां विकास खण्ड	2,68,022
2	2019-20	बंकी विकास खण्ड	2,32,459

वृक्षारोपण पर व्यय की गयी धनराशि की सूचना सम्बन्धित विभाग द्वारा संधारित की जाती है।

जी नहीं, देवां विकास खण्ड में वन विभाग द्वारा 31 स्थलों पर एवं बंकी विकास खण्ड में 7 स्थलों पर वर्ष 2019-20 में पौधारोपण किया गया है। रोपण स्थलों का निरीक्षण राजपत्रित अधिकारीगण द्वारा किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

82-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

[02 मंगलवार के अता0प्र0सं0-50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विधान सभा क्षेत्र बाराबंकी के विकास खण्ड देवां में देवां-कुर्सी मार्ग से गुबारी टीपहार सम्पर्क मार्ग की मरम्मत में हुई अनियमितता की जांच की मांग

83-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र बाराबंकी के विकास खण्ड देवां में देवां-कुर्सी मार्ग से गुबारी टीपहार सम्पर्क मार्ग की मरम्मत वर्ष 2018 में करायी गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त सड़क मार्ग कार्य होने के तुरन्त बाद ही टूट रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच उच्च स्तरीय स्तर से कराने व दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी नहीं। मार्ग पर कराये गये मरम्मत कार्य की जांच स्टेट लेवल कमेटी द्वारा दिनांक 09-02-2019 को की गयी। जांच में कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी शहरी क्षेत्र को टाउन एरिया बंकी से रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में

84-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी शहरी क्षेत्र को टाउन एरिया बंकी से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रस्तावित स्थल के दोनों ओर घनी बस्ती एवं बाजार हैं तथा सेना की भूमि भी संरेखण में आ रही है, जिसके फलस्वरूप उक्त स्थल पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण फिजिबिल नहीं पाया गया है।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं गड्ढामुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

85-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण व कितनी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है और कितनी सड़कें गड्ढामुक्त होने की प्रक्रिया में हैं ? क्या सरकार शेष सड़कों को गड्ढामुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

दिनांक 01-04-2019 से दिनांक 30-11-2019 तक जनपद बागपत में किसी भी मार्ग का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जबकि इस अवधि में नवीनीकरण के अन्तर्गत 01 मार्ग लम्बाई 8.861 किमी लागत रु0 164.03 लाख व विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत 12 मार्ग लम्बाई 13.055 किमी0 लागत रु0 153.69 लाख तथा गड्ढामुक्ति के अन्तर्गत 45 मार्ग लम्बाई 83.070 किमी0 के सापेक्ष लम्बाई 53.330 किमी0 गड्ढामुक्त की गयी है। एन0सी0आर0 क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय/एन0जी0टी0 द्वारा निर्माण कार्यों पर रोक लगायी गयी थी, जिसके कारण बिटुमिन से पैच मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सका था। दिनांक 09-12-2019 से उक्त रोक हटा ली गयी है। अतः अवशेष लम्बाई में पैच मरम्मत कार्य कराकर मार्गों को गड्ढामुक्त किया जाना दिनांक 31-12-2019 तक लक्षित है।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्व में प्रख्यात कुम्भ/महाकुम्भ के मद्देनजर जनपद प्रयागराज में संगम में गंगा की प्रतिमा लगाने के सम्बन्ध में

86-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के प्रख्यात कुम्भ एवं महाकुम्भ मेला के मद्देनजर संगम में हरिद्वार की तर्ज पर मां गंगा की प्रतिमा लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में भारतमाला योजना के अन्तर्गत सुनौली-गोरखपुर मार्ग पर निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

87-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतमाला योजना के अन्तर्गत सुनौली-गोरखपुर मार्ग को चयनित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कराया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

भारतमाला योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सड़कों का चयन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा भारतमाला योजना के अन्तर्गत सुनौली-गोरखपुर मार्ग को प्रारम्भिक रूप में चयनित किया गया था, लेकिन भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30-11-2018 में उक्त मार्ग को कोई वरीयता नहीं दी गयी है।

जनपद महराजगंज के नौतनवां तहसील में बन्द पड़ी पेयजल प्रणाली को संचालित कराये जाने विषयक

88-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की नौतनवां तहसील में कितनी पेयजल प्रणाली संचालित हैं तथा कितनी बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द पेयजल प्रणाली संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नौतनवां, जिला महराजगंज ने अवगत कराया है कि नगर पालिका परिषद् नौतनवां में तहसील का जितना हिस्सा आता है, उसमें 03 अदद नलकूप एवं 01 अदद ओवरहेड टैंक (1200 के0एल0) है, जिसके द्वारा आम नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है तथा कोई भी पेयजल प्रणाली बन्द नहीं है।

तहसील परिसर के पीछे एक अदद ओवरहेड टैंक एवं वार्ड नं0-13, 14, 15 एवं 19 में पाइप लाइन विस्तार के लिए जल निगम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग, हरदोई अन्तर्गत साण्डी-भधौली मार्ग से डाभा मार्ग मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि व इस कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

89-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग, हरदोई (बिलग्राम) के अन्तर्गत साण्डी-भधौली मार्ग से डाभा सम्पर्क मार्ग एवं दुर्गागंज से ढोढपुर वाया सरौना सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 2017-18 में मरम्मत व निर्माण कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कितनी लम्बाई में कार्य कराया गया व देयक की धनराशि क्या थी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां, विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महेवा मार्ग वार्ड में कान्हा उपवन के पीछे जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किये जाने विषयक

90-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, गोरखपुर के अन्तर्गत महेवा वार्ड में कान्हा उपवन के पीछे नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

नगर निगम, गोरखपुर के अन्तर्गत महेवा वार्ड में कान्हा उपवन के पीछे नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे दिनांक 30-10-2019 को स्थानीय पुलिस के सहयोग से कब्जा मुक्त करा लिया गया है तथा अवैध कब्जे की भूमि से बरामद सभी सामग्रियों

---

† (देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या-171 पर।)

को जब्त कर लिया गया है एवं उक्त भूमि पर अवैध रूप से कराये गये आवंटन को निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के प्रयोग के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण बगैर विद्युत सुरक्षा निदेशालय की अनुमति के किये जाने के सम्बन्ध में

91–श्री रवि शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत महिलाओं के प्रयोग के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण 11 के0वी0 की हाईटेंशन लाइनों के नीचे अवैध रूप से एवं बगैर विद्युत सुरक्षा निदेशालय की अनुमति के किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पिंक टॉयलेट परियोजनान्तर्गत 06 टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 03 पिंक टॉयलेट 11 के0वी0 की हाईटेंशन लाइन के नीचे स्थित है। अधिकतम उपयोगिता के दृष्टिगत पिंक टॉयलेट के लिए स्थानों के चयन हेतु झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बैठक दिनांक 07 जून, 2019 को की गयी है। पूर्व में विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी, वर्तमान में अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत 11 के0वी0 हाईटेंशन लाइन के नीचे स्थित कुल 03 स्थानों- बी0के0डी0 चौराहा, बस स्टैण्ड एवं मेडिकल गेट नं0-1 पर जनहित की सुरक्षा के दृष्टिगत 02 स्थानों (बस स्टैण्ड एवं मेडिकल गेट नं0-1) पर विद्युत विभाग द्वारा गार्डिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बी0के0डी0 चौराहा स्थित पिंक टॉयलेट पर गार्डिंग का कार्य विद्युत विभाग द्वारा एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई महिला महाविद्यालय की बाउण्ड्री से लगा कर बन रहे मूत्रालय को अन्यत्र कहीं दूर बनाये जाने के सम्बन्ध में

92–श्री रवि शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई महिला महाविद्यालय की बाउण्ड्री से लगा कर नगर निगम द्वारा बनाये जा रहे मूत्रालय का स्थानीय लोगों एवं महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विरोध करने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मूत्रालय को अन्यत्र निर्मित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

वार्ड नं0-55, झोकनबाग कचहरी चौराहा से बी0आर0 पेट्रोल पम्प को जाने वाले मार्ग पर महारानी लक्ष्मीबाई महिला महाविद्यालय की बाउण्ड्री किनारे सड़क के दायीं ओर पूर्व में मूत्रालय स्थित था। सड़क चौड़ीकरण में पूर्व में निर्मित मूत्रालय को हटा दिया गया था। नाली एवं सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पूर्व निर्मित शौचालय के स्थल पर ही 04 सीट महिला प्रसाधन कक्ष का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो अन्तिम चरण में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के वि0स0 क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनी सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने विषयक

93-श्री शरद कुमार अवस्थी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा बनायी गयी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कड़ाकापुर रोड से करसा कला सम्पर्क मार्ग (विकास खण्ड सूरतगंज) अनुरक्षण अवधि में क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो इस सड़क को नियमानुसार लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित होने की सम्बन्धित विभाग से कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त जिलाधिकारी बाराबंकी की संस्तुति शासन को प्रेषित किये जाने के पश्चात् भी लोक निर्माण विभाग स्तर पर हस्तान्तरण की कार्यवाही लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की लोक निर्माण विभाग में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित योजनाओं के संचालन के विषयक

94-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित योजनाएं संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 संचालित है। उक्त योजना पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर भी सम्मिलित है।

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु निम्न सुविधायें/रियायतें अनुमन्य की जाती हैं :-

खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाइयों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु पूंजीगत अनुदान एवं ब्याज उपादान का प्राविधान है।

पूंजीगत अनुदान इकाई की स्थापना के समय प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 50 लाख है।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित स्वीकृत परियोजना को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का 10 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख का अतिरिक्त पूंजीगत निवेश अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

ब्याज उपादान-सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी में आने वाले इकाइयों द्वारा प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर्स पार्ट्स हेतु लिये गये बैंक ऋण पर 100 प्रतिशत तथा अन्य उद्योगों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल तथा स्पेयर्स पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर का 7 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख प्रतिवर्ष 05 वर्षों तक।

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत ''महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना'' प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित लघु इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के न्याय पंचायत स्तर पर 03 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता शिविर में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों में से ही 01 माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षार्थियों का चयन किया जाता है।

प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों को इकाई स्थापना के लिये परियोजना में मशीन उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 1.00 लाख (रुपया एक लाख मात्र) का अनुदान इकाई का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण के पश्चात् लाभार्थी के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है।

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के तहत जनपद कुशीनगर से अब तक 03 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत जनपद कुशीनगर में 07 प्रतिशत संचालित किये गये तथा 210 नवयुवक/युवतियों को इकाई की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया गया है। अब तक 03 प्रशिक्षार्थियों से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पुराने टायरों का प्रयोग कर पायरोलेसिस आयल एवं कार्बन बनाने वाले उद्योगों की जांच रिपोर्ट पटल पर उपलब्ध कराये जाने विषयक

95-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2019 के प्रथम बुधवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-173 के उत्तर के क्रम में पर्यावरण विभाग द्वारा जनपद-बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पुराने टायरों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर पायरोलिसिस आयल एवं कार्बन बनाने वाले जिन उद्योगों की विभाग द्वारा जांच की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर में कुल 13 पायरोलिसिस प्लांट की जांच कराई गई है।

जी हां।

जांच आख्याएं में संलग्न[†] हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गौरा में मार्ग का मरम्मतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

96-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा गन्ना विभाग द्वारा निर्मित शीतलगंज ग्रन्ट से चौधरी चौराहा व राघव बस्ती से खरही भारी मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

गन्ना विकास परिषद् मनकापुर के क्षेत्रान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गौरा में निर्मित शीतलगंज ग्रन्ट से चौधरी चौराहा व राघव बस्ती से खरही भारी मार्ग गन्ना विभाग के स्वामित्व की सड़क नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

[†] (देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ संख्या-176-190 पर।)

97-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[01 सोमवार के अता0प्र0 सं0-68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के गणेश विहार कालोनी में अंग्रेज फार्म हाउस पुलिया से चौरसिया के मकान तक मार्ग को पक्का करने विषयक

98-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के गणेश विहार कालोनी (कपरिया बाबा की मजार, जाहिरपुर) शंकर पुरवा प्रथम, वार्ड नं0-85, कल्याणपुर में अंग्रेज फार्म हाउस की पुलिया से चौरसिया के मकान तक मार्ग कच्चा, क्षतिग्रस्त एवं जल निकासी न होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षत्र में नाली निर्माण सहित उक्त सड़क को पक्का बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान समय में मांग के अनुसार निर्माण कार्य पर लगभग 62.00 लाख का व्यय होना सम्भावित है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के पेराई सत्र 2017-18 में चीनी मिलों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही विषयक

99-श्री नाहिद हसन-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत किसानों का गन्ना शेष रहने के बावजूद चीनी मिल बन्द कर देने व प्रदेश से बाहर अथवा चीनी मिल को आवंटित गन्ने को छोड़कर कहीं अन्यत्र से सस्ता गन्ना खरीद कर मिल चलाने व घटतौली करने आदि की कुल कितनी शिकायतें किस-किस चीनी मिल के विरुद्ध सरकार को प्राप्त हुई हैं ? सरकार द्वारा उपरोक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

पेराई सत्र 2017-18 में गन्ना शेष रहने के बावजूद चीनी मिल बन्द कर देने व प्रदेश से बाहर अथवा चीनी मिल को आवंटित गन्ने को छोड़कर वहीं अन्यत्र से रास्ता गन्ना खरीदकर चीनी मिल चलाने की शिकायत संज्ञानित नहीं है। पेराई सत्र 2017-18 में घटतौली के विरुद्ध प्रदेश में सघन निरीक्षण कराये गये। प्रदेश में कुल 19871 निरीक्षणों में से 1332 सामान्य तथा

156 गम्भीर अनियमिततायें पाई गईं, जिसमें घटतौली के कुल 127 प्रकरण प्रदेश की 58 चीनी मिलों के विरुद्ध संज्ञान में आईं।

उपरोक्तानुसार घटतौली के कुल 127 प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध 126 में तौल लिपिकों में तौल लिपिकों का लाइसेंस निलम्बन तथा 58 लाइसेंसों का निरस्तीकरण किया गया। प्राप्त शिकायतों में 40 जिलाधिकारी के स्तर से निस्तारण (जमानत जब्ती) तथा 80 में सक्षम न्यायालय में (अभियोजन दायर) तथा 10 में एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है, जबकि 03 शिकायतों में अभियोजन के साथ-साथ एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई गई है।

घटतौली के संज्ञान में आये हुए प्रकरणों के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित चीनी मिलों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का (चीनी मिलवार) विवरण विस्तृत होने के कारण पटल पर रखे जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा में वायु प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रणकारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने एवं नियमित जांच कराये जाने विषयक

100-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में वायु प्रदूषण संयंत्रों की नियमित जांच की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

नियमित जांच कराये जाने की व्यवस्था पूर्व से स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

101-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर में हिरानन्दपुर गांव के पास गार्गी नदी पर नये पुल का निर्माण कराये जाने विषयक

102-श्री सुभाष पासी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में सादात सैदपुर मार्ग में हिरानन्दपुर गांव के पास गागी नदी के ऊपर बना पुल टूट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुल का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सैदपुर सादात मजुई मार्ग के कि0मी0 6 में स्थित गांगी नदी पर बना आर्च सेतु बहुत पुराना है, जो वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका मरम्मत कार्य कराया गया है एवं उक्त सेतु से यातायात सुचारु रूप से संचालित है। उक्त सेतु के स्थान पर 3X18.75 मी0 का आर0सी0सी0 सेतु निर्माण हेतु लागत रु0 576.00 लाख आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महराजगंज वि0स0 क्षेत्र पनियरा में लक्ष्मीपुर एन0एच0-728 से लालबड़हरा बांध तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक

103-श्री ज्ञानेन्द्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा के अन्तर्गत लक्ष्मीपुर एन0एच0-728 से लालबड़हरा बांध तक पक्की सड़क के नव निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत संरेखण में मार्ग की लम्बाई 8.50 कि0मी0 है, उक्त भाग में 250 अथवा अधिक आबादी का असंतृप्त ग्राम स्थिन न होने के कारण कार्य लोक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रचलित विभागीय नीतियों से आच्छादित नहीं है।

जनपद पडरौना स्थित चीनी मिल के अधिग्रहण विषयक

104-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार जनपद पडरौना की चीनी मिल का अधिग्रहण करके उसे चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चीनी मिल पडरौना का अधिग्रहण कर चीनी मिल को चालू कराये जाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। अवगत कराना है कि चीनी मिल पडरौना ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन (बी0आई0सी0) के अन्तर्गत कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड की इकाई थी, जो कालान्तर में बी0आई0एफ0आर0 में पंजीकृत हुई। बी0आई0एफ0आर0 के आदेशानुसार उक्त

चीनी मिल निजी प्रमोटरशिप में कुछ समय तक संचालित हुई एवं वर्ष 2011-12 में पेराई कार्य करने के उपरान्त से लगातार बन्द है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर में स्थित सरकारी भूमि आराजी नम्बर 578 मी0, 577 तथा 243 के सम्बन्ध में

105-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत रामकोला, जिला कुशीनगर स्थित सरकारी भूमि आराजी नम्बर 578 मी0, 577 तथा 243 मी0 बंजर आबादी और गड्ढा के रूप में वर्ष 2016 में दर्ज थी ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है तथा किन स्थानीय लोगों के नाम किस आदेश के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

नगर क्षेत्र रामकोला में स्थित आराजी संख्या-577 एक मिनजुमला नम्बर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7.422 हे0 है, जिसमें कुल 10 खाते हैं। रकबा 7.422 हे0 में से 6.899 हे0 पर अभिलेख में आबादी दर्ज है। शेष क्षेत्रफल 0.523 हे0 पर भूमिधरी खातेदारों के नाम दर्ज हैं। उक्त गाटे की नवइयत (प्रकृति) में पिछली खतौनी से ही (अर्थात् पिछले 12 वर्षों से) कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आराजी नम्बर 578 भी एक मिनजुमला नम्बर है, जिसका कुल रकबा 2.104 हे0 है, जिसमें से 1.846 हे0 पर अभिलेख में खन्दक दर्ज है, 0.029 हे0 पर बंजर दर्ज है तथा 0.238 हे0 पर भूमिधरी खातेदारों के नाम दर्ज है। उक्त गाटे की नवइयत (प्रकृति) में भी पिछली खतौनी से ही (अर्थात पिछले 12 वर्षों से) कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आराजी नम्बर 243 का कुल रकबा 0.652 हे0, जिसमें से 0.147 हे0 पर गड्ढा दर्ज है, 0.316 हे0 पर भूमिधरी खातेदारों के नाम दर्ज है। उक्त गाटे की भी नवइयत (प्रकृति) उपरोक्तानुसार अपरिवर्तित रहा है।

जनपद हरदोई अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़क साण्डी-भधौली मार्ग से डाभा सम्पर्क मार्ग एवं दुर्गापुर से ढोढ़पुर वाया सरौना सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 2017-18 में विशेष मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत एवं व्यय धनराशि की जांच कराने विषयक

106-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़क साण्डी-भघौली मार्ग से डाभा सम्पर्क मार्ग एवं दुर्गागंज से ढोढपुर वाया सरौना सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 2017-18 में विशेष मरम्मत कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी

तथा कितनी धनराशि व्यय हुई और कितनी धनराशि मानकों के विपरीत अन्य जगहों पर खर्च की गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती वि0स0 क्षेत्र रुधौली ब्लाक रामनगर अन्तर्गत रुस्तमपुर में मैलानी होते हुए आरमपुर पिच मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

107-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर अन्तर्गत रुस्तमपुर से मैलानी होते हुये आरमपुर पिच मार्ग तक जाने वाला मार्ग की लम्बाई 2 किलोमीटर जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं

प्रश्नगत मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर मोहन्ड रेन्ज में वृक्षारोपण विषयक

108-श्री नरेश सैनी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की मोहन्ड रेंज में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कितने वृक्ष लगाये गये तथा कितने वर्तमान में बचे हुये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वृक्षों के रख-रखाव की कोई व्यवस्था बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद सहारनपुर के शिवालिक वन प्रभाग में मोहन्ड रेंज में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में निम्न विवरणानुसार पौध रोपित किये गये हैं :-

क्र0-सं0	वर्ष	रोपित पौधों की संख्या
1	2018-19	201630
2	2019-20	421206

[†] (देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ संख्या-187 पर।)

वर्तमान में उपरोक्त रोपित पौधों की सफलता 90 प्रतिशत है।

जी हां।

रोपित पौधों की निर्धारित अवधि पर निराई-गुड़ाई करने का प्राविधान है एवं वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक रखे गये हैं। उक्त के अतिरिक्त मरे हुए पौधों को बदलने का भी प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर बेहट में गंदेवड़ हथिनीकुंड मार्ग पर रायपुर में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक

109-श्री नरेश सैनी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट के अन्तर्गत गंदेवड हथिनीकुंड मार्ग पर स्थित रायपुर की आबादी भाग में लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड-3 सहारनपुर द्वारा निर्मित सी0सी0 सड़क मानक के अनुसार निर्माण कार्य न होने के कारण 15 दिन बाद ही सड़क टूट गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की तकनीकी व वित्तीय जांच करकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। नवनिर्मित सीमेन्ट कंक्रीट मार्ग की सतह पर कुछ स्थानों पर क्रैक्स उत्पन्न हो गये हैं।

जी हां। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य की जांच हेतु शासन के पत्र संख्या-एम0-31/23-6-19-40टीए0सी0/19, दिनांक 19-11-2019 द्वारा मुख्य प्राविधिक परीक्षक प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को निर्देशित किया जा चुका है। टी0ए0सी0 जांच आख्या प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में रमईपुर से सचैण्डी मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराने विषयक

110-श्री अभिजीत सिंह सांगा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर की विधान सभा क्षेत्र बिठूर में रमईपुर से सचैण्डी राजमार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला स्तर श्रेणी का मार्ग है, जो जनपद कानपुर के अन्तर्गत कानपुर हमीरपुर सागर राष्ट्रीय मार्ग खण्ड (रमईपुर) से निकालकर कैंधा सचेण्डी होते हुए

रा0मा0-2 को सचेण्डी में जोड़ता है। उक्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

कानपुर के बिठूर में भौती से भीमसेम मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक

111-श्री अभिजीत सिंह सांगा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बिठूर में भौती से भीमसेन मार्ग लम्बाई लगभग 5 कि0मी0 जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग डामरीकृत है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

112-श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[01 सोमवार के अता0प्र0सं0-65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण के निस्तारण हेतु योजना बनाने विषयक

113-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

प्रदेश के अधिक वायु प्रदूषण वाले (नॉन-अटेन्मेन्ट) 15 नगरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, खुर्जा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, नोयडा, गाजियाबाद, अनपरा, गजरौला, मुरादाबाद, बरेली, झांसी एवं रायबरेली की वायु गुणता में सुधार लाने हेतु तैयार की गई कार्य योजनायें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से अनुमोदित कराकर क्रियान्वित की जा चुकी है। इन कार्य योजनाओं में 59 बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु 20 विभागों को चिन्हित किया गया है। कार्य योजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन का जनपद स्तर पर अनुश्रवण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति द्वारा तथा राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मानीटरिंग कमेटी द्वारा किया जाना निर्धारित है।

प्रदेश के नगरों में वायु प्रदूषण में कमी लाने एवं गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाये जाने के दृष्टिगत पर्यावरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश के 08 नगरों यथा गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर एवं शामली सहित अन्य 05 नगरों यथा कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा एवं मुरादाबाद हेतु ''ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)'' भी लागू किया गया है। इस प्लान में कुल 17 विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं हेतु वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही के 34 बिन्दु निर्धारित किये गये हैं। सम्बन्धित विभागों से जिला स्तर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारियों को दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रामदासपुरा में यमुना नदी के पुल के आगणन के सम्बन्ध में

114-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-07-2019 पत्रांक ग-6/145029 ग्राम रामदासपुरा में यमुना नदी पर सेतु निर्माण हेतु कार्य का आगणन बनाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उक्त तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रस्तावित स्थल का सर्वेक्षण कराया गया है। प्रस्तावित स्थल के डाउन स्ट्रीम में 10 कि0मी0 से कम दूरी पर सेतु निर्मित है। अतः नये सेतु का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रचलित विभागीय व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में मक्खनपुर से नसीरपुर वाया जेवड़ा मार्ग के निर्माण कार्य की जांच के सम्बन्ध में

115-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 18-07-2019 पत्रांक ख-6/086998 जो फिरोजाबाद में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा मक्खनपुर से नसीरपुर वाया जेवड़ा मार्ग का सौन्दर्यीकरण व चौड़ीकरण के निर्माण कार्य की जांच टी0ए0सी0/अन्य विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

उक्त पत्र दिनांक 18-07-2019 आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-18157190078082 से भी आच्छादित था। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा पत्र दिनांक 28-08-2019 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराई गई। उक्त आख्यानुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित एस0एल0सी0 (स्टेट लेविल चेकिंग) द्वारा उक्त कार्य की जांच की गई जिसमें प्रश्नगत कार्य को मानकों के अनुरूप पाया गया। जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा गठित जांच समिति द्वारा भी कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक पाई गई।

उपर्युक्त स्थिति से पत्र संख्या-सी0एम0-139/23-19-44(2)ईएम/19, दिनांक 15-10-2019 द्वारा मा0 सदस्य को अवगत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच वि0स0 क्षेत्र पयागपुर के भग्गड़वा-बांसगांव मार्ग पर हरवा टांडा सरयू पुल की मरम्मत या दूसरा पुल बनवाये जाने विषयक

116-श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत भग्गड़वा-बांसगांव सम्पर्क मार्ग पर ग्राम हरवा टांडा के निकट सरयू कटान के नाले पर बना पुल/रपटा जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इसकी मरम्मत अथवा दूसरा पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

रपटे का निर्माण कार्य माह अक्टूबर, 2019 में पूर्ण करा दिया गया है तथा वर्तमान में इसकी दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुरादाबाद के ग्राम पहाड़पुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम डोहरी व भूड़ी आदि होते हुए जरगांव रेलवे स्टेशन तक डामरीकरण कराये जाने सम्बन्धी

117-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुरादाबाद में ग्राम पहाड़पुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम डोहरी व श्यामसिंहपुर उर्फ भूड़ी होते हुये जरगांव रेलवे स्टेशन से कमालपुर चंदौरा सम्पर्क मार्ग को जोड़ने वाली कच्ची सड़क का डामरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्राम पहाड़पुर, डोहरी, कमालपुर चन्दौरा एवं श्यामसिंहपुर उर्फ भूड़ी पूर्व से ही एकल लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः

इन्हें आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

भारतीय रेल द्वारा बनाये गये अण्डर पासों से किसानों के फसलें लदे वाहन गुजरने में हो रही परेशानी दूर करने सम्बन्धी

118-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी सहित प्रदेश में कतिपय रेल मार्गों पर बने अंडर पासों से किसानों की गन्ना व दूसरी फसलों से लदे वाहनों के गुजरने में हो रही परेशानी दूर करने की कोई वैकल्पिक योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी सहित प्रदेश के कतिपय रेलवे मार्गों पर अण्डरपास का निर्माण रेलवे विभाग द्वारा किया गया था। भारी वाहनों के लिये आवश्यक स्थानों पर रेल उपरिगामी सेतु अथवा रेलवे सम्पार आवागमन हेतु उपलब्ध है। रेलवे द्वारा निर्मित अण्डरपासों के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण की योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद सहारनपुर के ग्राम पीर माजरा, शास्त्रा, संगमोर के निवासियों को प्रदूषण व संक्रामक रोगों से बचाने विषयक

119-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पीर माजरा जनपद सहारनपुर के समीप स्थित हड्डी फैक्ट्री से होने वाली भयंकर दुर्गंध, जल प्रदूषण व विभिन्न संक्रामक रोगों से ग्राम पीर माजरा, शास्त्रा, संगमोर के निवासियों को बचाने हेतु सरकार उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

उपाय पूर्व से ही किये जा रहे हैं।

मैसर्स दुबई कैमिकल्स वर्क्स के नाम से ग्राम गुलछप्पर, परगना गंगोह, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में हड्डी पाउडर उत्पादन करने की इकाई वर्ष 1986 से स्थापित है। इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 10-12-2019 को किया गया, जिसमें पाया गया कि इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में मृत जानवरों की हड्डियां लगभग 04 टन प्रतिदिन का उपयोग कर क्रशिंग मशीन (01 नग) द्वारा हड्डी की क्रशिंग कर बोन पाउडर का उत्पादन किया जाता है। इकाई की औद्योगिक प्रक्रिया में जल का उपयोग नहीं किया

जाता है। इकाई में हड्डियों की क्रशिंग बन्द परिसर में की जाती है एवं हड्डियों को स्टोर किये जाने हेतु टीन शेड स्थापित है। उद्योग द्वारा कच्चे माल के भण्डारण से उत्पन्न दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु गैमेक्सिन, ब्लीचिंग पाउडर एवं चूने का छिड़काव किया जाता है तथा इकाई के चारों ओर बाउण्ड्री वॉल स्थापित है एवं बाउण्ड्री वॉल के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। इकाई को संचालन हेतु बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त है। इकाई के संचालन से संक्रामक रोगों के कारण ग्राम पीर माजरा, शास्त्रा और संगमौर के निवासियों के प्रभावित होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आख्या दिनांक 11-12-2019 के अनुसार सन्दर्भित हड्डी फैक्ट्री ग्राम पीरमाजरा से लगभग 1 किलोमीटर पहले एवं ग्राम शास्त्रा से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पहले स्थित है। यह गोदाम रिहाइशी क्षेत्र से दूर स्थित है व आस-पास चारों ओर हरे-भरे खेत हैं तथा आस-पास ऊंची बाउण्ड्रीवॉल है, जिस कारण संक्रामक रोग फैलने की आशंका कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर खीरी में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे हटवाने सम्बन्धी

120-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में वन विभाग की कितनी जमीन पर अवैध कब्जे हैं ? क्या सरकार उक्त को चिन्हित कर अवैध कब्जों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद लखीमपुर में वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0-सं0	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	अतिक्रमित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)
1	लखीमपुर खीरी	दक्षिण खीरी वन प्रभाग	746.381
2	लखीमपुर खीरी	दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, पलिया	37.158
3	लखीमपुर खीरी	बफर जोन, दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग	9102.179
		योग :	**9885.718**

जी हां, अवैध कब्जा/अतिक्रमित वन भूमि चिन्हित है। वनभूमि को खाली कराये जाने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 यथा संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा-61 (बी) के तहत कार्यवाही की गई है। जनपद स्तर पर एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स गठित है।

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं।

जनपद सीतापुर के तह0 महमूदाबाद के अन्तर्गत महमूदाबाद बिसवां मार्ग से बिलौली बाजार से शमशाबाद, बजेहरा से सदरपुर मार्ग बस संचालन के सम्बन्ध में

121-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत महमूदाबाद बिसवां मार्ग से बिलौली बाजार से शमशाबाद, बजेहरा से सदरपुर मार्ग पर ग्राम बजेहरा में नई बस्ती अहेवा गांव में सड़क के दोनों तरफ किये गये अवैध निर्माण से ट्रक, बस व बड़े वाहनों का निकलना बंद हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण माह अगस्त, 2019 में हटवा दिया गया है। वर्तमान में लो0नि0वि0 की भूमि पर कोई अतिक्रमणि नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बाराबंकी के एन0एच0-28 पर डिवाइडर को डी0एम0 आवास से एसेनी मोड़ तथा बंसल पेट्रोल पम्प से गोण्डा रोड तिराहे तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

122-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत एन0एच0-28 पर बने डिबाइडर को जनता की सुरक्षा हेतु जिलाधिकारी आवास से एसेनी मोड़ तथा वंसल प्रदोल पम्प से गोण्डा रोड तिराहे तक बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग पर जिलाधिकारी आवास से बंसल पेट्रोल पम्प तक मार्ग चार लेन पेव्ड सोल्डर सहित होने के कारण डिवाइडर का निर्माण कार्य हुआ है। जिलाधिकारी आवास से असेनी मोड़ व बंसल पेट्रोल पम्प से गोण्डा तिराहे तक मार्ग की चौड़ाई दो लेन पेव्ड सोल्डर सहित होने के कारण डिवाइडर का निर्माण नहीं कराया जाना है।

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र मल्हनी में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने विषयक

123-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी की अधिकांश सड़कें गड्ढायुक्त एवं जर्जर हैं ? यदि हां, तो उक्त को चिन्हित कर उनकी मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी की कुल 433 सड़कों के सापेक्ष 402 सड़कों की दशा सन्तोषजनक है तथा शेष 31 मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां। शेष मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौआ से गुजरने वाली बहल्ला नदी में फैक्ट्रियों के गन्दे पानी से होने वाले प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में

124-श्री नसीर अहमद खान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौआ में ''बहल्ला'' नदी क्षेत्र में स्थापित फैक्ट्रियों द्वारा गंदा पानी छोड़े जाने से क्षेत्रीय गांवों का भू-जल प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्रियों की जांच कराकर गंदे पानी को नदी में प्रवाहित करने पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर में स्थापित किसी भी उद्योग का शुद्धिकृत/अशुद्धिकृत उत्प्रवाह परोक्ष/अपरोक्ष रूप से बहल्ला नदी में निस्तारित नहीं होता है। जनपद-रामपुर में स्थापित प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योग मै0 रेडिको खेतान लि0, रामपुर, मै0 फेयर एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्रा0लि0, रामपुर, मै0 चड्ढा पेपर्स बिलासपुर, मै0 त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्री प्रा0लि0 (शुगर इकाई) मिलक नारायण एवं राणा शुगर्स लि0 करीमगंज, मै0 रुद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, बिलासपुर हैं। मै0 रेडिको खेतान लिमिटेड, रामपुर स्थित आसवनी इकाई में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्थाएं स्थापित हैं। उक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त उद्योगों में उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं। साथ ही उद्योगों से निस्तारित उत्प्रवाह की गुणता के सतत् अनुश्रवण हेतु उद्योगों में ऑनलाइन कन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित हैं।

जनपद बागपत के वि0स0 क्षेत्र छपरौली के ग्राम भडल स्थित चर्म संशोधन इकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाने के कारण उक्त को बन्द कराने के विषय में

125-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भडल स्थित चर्म संशोधन इकाइयों से उत्सर्जित जल एवं वायु प्रदूषण से गांवों में बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन चर्म संशोधन इकाइयों को बंद करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली के पत्र दिनांक 11-12-2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम भडल ब्लाक बिनौली, जनपद बागपत में संचालित चर्म संशोधन इकाइयां आबादी के बीच में स्थित हैं। जिस कारण नालियों में गन्दगी बहती रहती है, जिससे वातावरण में दुर्गन्ध फैली हुई रहती है। गन्दगी से बीमारी फैलना सम्भव है।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भडल के अन्तर्गत परम्परागत रूप से घरों में 84 चर्म शोधन कुटीर इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें जल का प्रयोग किया जाता है। इन इकाइयों में उत्पादन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु व्यवस्था स्थापित न होने के कारण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 06-11-2018 को इन सभी 84 कुटीर इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। प्रत्येक इकाई पर रु0 50,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की गई है। इकाइयों द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान भू-राजस्व के बकाये की भांति किये जाने हेतु जिलाधिकारी, बागपत को बोर्ड के पत्र दिनांक 23-5-2019 द्वारा अनुरोध किया गया है। इकाइयों द्वारा बन्दी आदेशों का उल्लंघन पाये जाने के कारण, इकाइयों का संचालन बन्द कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, बागपत को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक 17-9-2019 प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्षवार वृक्षारोपण का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

126-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद में वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में वृक्षारोपण कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है तथा 2017-18 व 2018-19 में कितना प्लाण्टेशन हुआ है एवं उनमें से कितने पौधे वर्तमान में किस-किस रेंज में जीवित हैं ? क्या सरकार रेंजवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद फिरोजाबाद में वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में किये गये वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपण कार्य पर व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	क्षेत्रफल (हे0 में)	रोपित पौधों की संख्या	आर0सी0सी0/ ब्रिकगार्ड में रोपित पौध की सं0	व्यय की गई धनराशि (रु0 लाख में)
1	2017-18	1473.056	19,59711	--	406.90
2	2018-19	478.500	6,40932	1432	162.31

वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में रेंजवार रोपित पौधों की संख्या एवं जीवित पौधों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	रेंज का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	आर0सी0सी0/ ब्रिकगार्ड में रोपित पौध की सं0	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
1	2017-18	फिरोजाबाद	225.00	--	2,45,125	1,69,210
		शिकोहाबाद	267.51	--	2,91,890	2,01,258
		टूण्डला	312.00	--	3,40,825	2,35,680
		नारखी	27.00	--	41,625	28,671
		सिरसागंज	274.54	--	3,13,121	2,16,899
		जसराना	367.00	--	7,27,125	5,00,117
2	2018-19	फिरोजाबाद	95.00	742	1,05,242	85,404
		शिकोहाबाद	62.00	0	68,200	54,867
		टूण्डला	163.50	236	1,79,836	1,44,858
		सिरसागंज	32.00	100	35,300	28,477
		जसराना	126.00	354	2,52,354	2,01,480

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में वर्षवार क्रय किये गये उपकरणों व इन्हें चलाने वाले कर्मचारियों व चिकित्सकों की तैनाती विषयक

127-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में वर्ष 2017-18, 2018-19 में कुल कितने उपकरणों का क्रय किया गया है ? क्या मेडिकल कालेजवार विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो इन उपकरणों को चलाने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी व चिकित्सक उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो इनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त उपकरणों को चलाने हेतु कर्मचारी व चिकित्सक की तैनाती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में वर्ष 2017-18 में कुल 244 प्रकार के तथा वर्ष 2018-19 में कुल 1133 प्रकार के उपकरणों का क्रय किया गया है।

मेडिकल कालेजवार विवरण संलग्न[†] है।

[†] (देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ संख्या-188 पर।)

उपलब्ध है।

मेडिकल कालेजवार विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिये टीम गठित करने के सम्बन्ध में

128-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिये कोई टीम गठित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त टीम के द्वारा मक्खनपुर से नसीरपुर वाया जेवड़ा मार्ग के निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितताओं की जांच सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में मक्खनपुर से नसीरपुर वाया जेवड़ा (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1991/23-12-16-549/2017, दिनांक 19-12-2017 द्वारा लम्बाई 16.850 कि0मी0 एवं लागत रु0 32.24 करोड़ मात्र स्वीकृत हुआ था। कार्य माह फरवरी, 2018 में प्रारम्भ किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में मार्ग पर सम्पादित निर्माण कार्यों की जांच हेतु स्टेट लेवल चेकिंग कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी द्वारा मक्खनपुर से नसीरपुर वाया जेवड़ा मार्ग के निर्माण कार्य की विस्तृत जांच की गई थी एवं कार्य मानक के अनुरूप पाया गया। क्वालिटी प्रमोशन सेल लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा भी कार्य की जांच कराई गई। जांच में कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में वि0स0 क्षेत्र सोरांव में वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में जर्जर सड़कों के मरम्मतीकरण के कार्य में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक

129-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव से वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में नवनिर्मित सड़कों/विशेष मरम्मत के

अन्तर्गत कराये गये निर्माण में अनियमितता कर मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कराये गये सड़कों का नव निर्माण/विशेष मरम्मत में की गई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में नवनिर्मित सड़कों/विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में कोई अनियमितता का प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सभी कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराये जा रहे हैं।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-22/2016, दिनांक 05-07-2016 द्वारा 01-01-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त रा0 सरकार के कर्मियों को 33 वर्ष की सेवा करने की व्यवस्था, प्राधिकरणों के 01-01-2006 से पूर्व के पेंशनर्स पर लागू कराने विषयक

130-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश दिनांक 06-04-2016 के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-22/2016, दिनांक 05-07-2016 द्वारा 01-01-2006 से पूर्व सेवानिवृत्ति राज्य सरकार के कर्मियों की 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा को 20 वर्ष किया गया है ताकि अन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिल सके ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास प्राधिकरणों के 01-01-2006 से पूर्व के पेंशनर्स पर भी यह व्यवस्था लागू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-22/2016/सा-3-342/दस-2016-308/97 टी0सी0, दिनांक 05-07-2016 द्वारा 01-01-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मियों को पूरी पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से 20 वर्ष नहीं की गई है। उक्त शासनादेश में मात्र यह व्यवस्था की गई है कि दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मियों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/16-सा-3-75/दस/2016-308/97 टी0सी0, दिनांक 21-01-2016 के संलग्नक में विभिन्न वेतनमानों के सम्मुख अंकित पुनरीक्षित न्यूनतम पेंशन की धनराशि में प्रोरेटा कमी नहीं की जायेगी, भले ही पेंशनर की

अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू है तथा इन आदेशों के अनुसार न्यूनतम पेंशन के संशोधन के फलस्वरूप एरियर का भुगतान देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में डी0एम0एल0टी0, डी0एम0आर0टी0 के पाठ्यक्रम को निजी क्षेत्र के कालेजों में संचालित किये जाने की अनुमति दिये जाने विषयक

131-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डी0एम0एल0टी0, डी0एम0आर0टी0 के पाठ्यक्रम को उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा निजी क्षेत्र के कालेजों में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि स्नातक पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार डी0एम0एल0टी0 एवं डी0एम0आर0टी0 पाठ्यक्रम को निजी क्षेत्र के कालेजों में भी संचालित करने की अनुमति देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा निजी क्षेत्र के कालेजों में डी0एम0एल0टी0 (डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन) तथा डी0एम0आर0टी0 (डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन) के पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0खं0 सुजानगंज, ग्राम सभा भिखारीपुर, गौहानी मार्ग से खडांरि मार्ग के निर्माण हेतु

132-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में ग्राम सभा भिखारिपुर गौहानी मार्ग से खडांरि सम्पर्क मार्ग लम्बाई 01 कि0मी के निर्माण हेतु जिलाधिकारी जौनपुर का पत्र संख्या 3687/1सी0-दिनांक 08-11-2019 जो प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-1831वीआईपी/23-1-2019-58नियम/019, दिनांक 09-12-2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग की संस्तुति सहित आख्या मांगी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0खं0 मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर-रायबरेली मार्ग से जयपालपुर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

133-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगरा बादशाहपुर में लोक निर्माण विभाग (निर्माण खण्ड) के अन्तरित जौनपुर-रायबरेली मार्ग से जयपालपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 2 कि0मी0 टूट कर नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर के वि0खं0 सुजानगंज में मुंगरा बादशाहपुर बेलवार मार्ग से पतरहिया रामपुर सरोज बस्ती व पटेल बस्ती मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

134-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में मुंगरा बादशाहपुर बेलवार मार्ग से पतरहिया रामपुर सरोज बस्ती व पटेल बस्ती दूरी एक कि0मी0 तक सड़क निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में मुंगरा बादशाहपुर बेलवार मार्ग से पतरहिया रामपुर सरोज व पटेल बस्ती को जाने वाला मार्ग खड़न्जा स्तर का है, जिसकी कुल लम्बाई 1.50 कि0मी0 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सरोज बस्ती एवं पटेल बस्ती की कुल आबादी 250 से कम है।

अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की प्रचलित नीतियों से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में 01 अप्रैल, 17 के बाद से सरकार द्वारा कराये गये स्लॉटर हाउसों का नवीनीकरण एवं नवीन निर्माण सम्बन्धी

135-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और एन0जी0टी0 के मानकों के अनुसार प्रदेश में 1 अप्रैल, 2017 के बाद कितने पुराने स्लॉटर हाउसों का नवीनीकरण एवं कितने नये स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

शून्य।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में गंगा नदी पर नैनी से झूंसी तक पुल का निर्माण कराये जाने विषयक

136-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में गंगा नदी पर नैनी (अरैल घाट) से झूँसी तक एक पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम में 03 कि0मी0 की दूरी पर प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर शास्त्री सेतु निर्मित है। अतः नये सेतु का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रचलित विभागीय व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में करछना में ग्राम गांधियांव में मिर्जापुर रोड से धर्मराज द्विवेदी के घर तक मार्ग के मरम्मतीकरण विषयक

137-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज की तहसील करछना के अन्तर्गत ग्राम गाँधियाँव में मिरजापुर रोड से धर्मराज द्विवेदी के घर तक लम्बाई लगभग 300 मीटर की सड़क जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत करा दी गई है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के सरकारी/गैर सरकारी समस्त विद्यालयों व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में पर्यावरण अनुकूल वृक्षों का रोपण कार्य कराये जाने सम्बन्धी

138-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य स्तर तक पर्यावरणीय जन जागरुकता के प्रसार हेतु पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण कार्यक्रम मद के अन्तर्गत पर्यावरण निदेशालय द्वारा संचालित जिला योजना 2018-2019 एवं 2019-2020 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के समस्त सरकारी तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी प्राथमिक/हायर सेकेण्ड्री/इण्टरमीडिएट विद्यालयों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर पर्यावरण के अनुकूल वृक्षारोपण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला योजना के अन्तर्गत पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है।

मेरठ करनाल मार्ग के करनाल पुल से शामली होकर एलम प्रखण्ड तक की सड़क को गड्ढामुक्त कराने विषयक

139-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ करनाल मार्ग के करनाल पुल से शामली होकर एलम प्रखंड तक की सड़क को किस वर्ष में गड्ढामुक्त कराया गया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में वर्षाकाल के सीजन से पहले ही उपरोक्त प्रखंड में पुनः गड्ढे हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग को पुनः गड्ढामुक्त कराने तथा पूर्व में कराये गये घटिया निर्माण कार्य के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

करनालपुर से शामली तक का भाग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-709ए का भाग है जो दिनांक 29-10-2018 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसी वर्ष में अस्थाई रूप से मरम्मत/गड्ढामुक्ति का कार्य कराया गया है क्योंकि उक्त मार्ग के 04 लेन विद पेव्डशोल्डर का निर्माण प्रस्तावित है, जो संविदा प्रक्रिया के अन्तिम चरण में है। शामली से एलम तक के भाग का चार नेल चौड़ीकरण किया जाना है, जिसका निर्माण का कार्य प्रगति पर है और उक्त कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मई, 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

हरियाणा राज्य से सीमा विवाद को सुलझाने हेतु दीक्षित अवार्ड के अनुसार सीमांकन हेतु धनराशि देने व कार्य पूर्ण कराने विषयक

140-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों के हरियाणा राज्य से सीमा विवाद को सुलझाने हेतु दीक्षित अवार्ड के अनुसार सीमांकन हेतु कितनी धनराशि लोक निर्माण विभाग जनपद शामली को अवमुक्त की गई है तथा सीमांकन का कितना कार्य किया जा चुका है तथा वर्तमान में कितना शेष है ? क्या सरकार शेष कार्य को समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

सीमांकन का कार्य सर्वे आफ इण्डिया द्वारा किया जाता है। सीमांकन के कार्य की निशानदेही सर्वे आफ इण्डिया द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। जिलाधिकारी शामली के पत्रांक-2425/सात-भूलेख-2016-17, दिनांक 04-01-2017 द्वारा रुपये 5.79 लाख की धनराशि सीमा स्तम्भों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग शामली को प्राप्त हुई थी, परन्तु कार्य-स्थल पर वर्ष 2005 में सर्वे आफ इण्डिया द्वारा की गई निशानदेही के कोई अवशेष न होने के कारण उक्त धनराशि व्यय नहीं की गई है।

जनपद बदायूं वि0खं0 दातागंज में ग्राम नगरिया खनू रामगंगा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक

141-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का आई0जी0आर0एस0 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 जो जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज में ग्राम नगरिया खनू (धनी पट्टी) राम गंगा पर नये पुल का निर्माण कराये जाने विषयक है, पर अब तक सरकार कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत सेतु के वित्त पोषण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बदायूं को फोरलेन/टू-लेन द्वारा सड़क माध्यम से जनपद शाहजहांपुर को जोड़ने सम्बन्धी

142-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री पोर्टल पर दर्ज आई0जी0आर0एस0 सं0 18149180180923, दिनांक 30 अगस्त, 2018 जो कि जनपद बदायूं को फोरलेन/टू-लेन द्वारा सड़क के माध्यम से जनपद शाहजहांपुर को जोड़ने के सन्दर्भ में है, पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शाहजहांपुर को जनपद बदायूं से जोड़ने हेतु पुवायां-निगोही-तिलहर-दातागंज-बदायूं मार्ग के एक लेन वाले भाग को दो लेन चौड़ा किये जाने हेतु आगणन गठित कराये गये हैं, जिनकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बदायूं के गन्ना किसानों की सुविधा हेतु चीनी मिल की स्थापना कराने विषयक

143-श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के गन्ना किसानों की गन्ना फसल पेराई की सुविधा के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

जनपद बांदा गन्ना उत्पादक क्षेत्र में नहीं आता है तथा गन्ना क्षेत्रफल भी नगण्य है। यहां मुख्यतः गेहूं, चना, दालें, ज्वार आदि फसलें पैदा होती हैं।

जनपद में गन्ना उत्पादन नगण्य होने के कारण न तो खाण्डसारी इकाई कार्यरत है और न ही प्रस्तावित है। अतः गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण चीनी मिल स्थापित किया जाना व्यावहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में नई चीनी मिल स्थापित कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कनिष्ठ सहा0 जिला कार्यालय पी0सी0एफ0 लखनऊ का कार्यस्थल पर उत्पीड़न सम्बन्धी कार्यवाही विषयक

144-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनिष्ठ सहायक जिला कार्यालय पी0सी0एफ0 लखनऊ कार्य स्थल पर उत्पीड़न की जांच के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, राज्य महिला,

आयोग, उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव, सहकारिता को संबोधित पत्रांक-2842, दिनांक 24-10-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की विभिन्न स्तरों पर हुई जांच में श्रीमती सरिता सिंह, कनिष्ठ सहायक की शिकायत सही न पाये जाने के परिणामस्वरूप कार्यालय पी0सी0एफ0 के पत्रांक-पीसीएफ/प्रशासन/18-19/13661-62, दिनांक 31-10-2018 द्वारा शासन को समस्त तथ्यों सहित आख्या उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, उ0प्र0 को प्रेषित कर वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती नगर पंचायत रुधौली में जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प, वाटर टैंक आदि को नगर विभाग से नगर पंचायत को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में

145-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की नगर पंचायत रूधौली में जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्प वाटर टैंक आदि नगर पंचायत रूधौली को हस्तानान्तरित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"-

जी हां।

अप्रैल, 2020 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती वि0स0 क्षेत्र रुधौली ब्लाक अन्तर्गत हनुमानगंज विशुनपुरवा क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में

146-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली ब्लाक अन्तर्गत हनुमानगंज विषुनपुरवा क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 5.500 कि0मी0 के सापेक्ष मार्ग के कि0मी0-1, 2, 3(500), 4(500) तथा 5 व 6 (500) में पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग के

कि0मी0 3 (500), 4 (500) अर्थात् कुल 1.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग की सतह खराब है, जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र रुधौली में पड़िया चौराहे से जमदा मझौआ, गंधरिया आदि क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

147-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में पड़िया चौराहे से जमदा मझौआ, गन्धरिया, गजराज, हनुमानगंज, टिकरी होते हुये एम0आर0डी0 रोड के सुखार चौराहे तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 19.70 कि0मी0 है, जिसमें निम्नलिखित दो मार्ग सम्मिलित हैं :-

(I) पड़िया चौराहे से जमदा मझौआ, गन्धरिया गजराज मार्ग :-मार्ग की कुल लम्बाई 12.70 कि0मी0 है। शुरू के 9.600 कि0मी0 लम्बाई में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष 3.100 कि0मी0 के भाग में 1.100 कि0मी0 सी0सी0 है तथा आगे 2.00 कि0मी0 का भाग लेपित है, मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

(II) हनुमानगंज टिकरी होते हुए एम0आर0डी0 रोड के सुखार चौराहे तक मार्ग :- इस मार्ग की कुल लम्बाई 7.00 कि0मी0 है, जिसका स्वामित्व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) का है, मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के नरायनपुर टिनिच मार्ग पर कुआनों नदी के महादेवा घाट पर बने सेतु के दोनों तरफ का एप्रोच मार्ग ठीक कराने के सम्बन्ध में

148-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के नरायनपुर-टिनिच मार्ग पर कुआनों नदी के महादेवा घाट पर बने सेतु के दोनों तरफ का एप्रोच मार्ग सरकार ठीक कराकर आवागमन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत सेतु के दोनों तरफ एप्रोच मार्ग पर बरसात के कारण कहीं-कहीं पैंच हो गया था जिसका पैंच मरम्मत करा दिया गया है। एप्रोच मार्ग आवागमन हेतु सुगम है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के बुलन्दशहर-ककोड़ मार्ग से गांव फतेहपुर जादों होकर निठारी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं डामरीकरण के सम्बन्ध में

149-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के बुलन्दशहर-ककोड़ मार्ग से गांव फतेहपुर जादों होकर निठारी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/पुनः निर्माण कार्य कब किया गया था ? क्या उक्त सम्पर्क मार्ग वर्तमान में क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग समय पूर्व क्षतिग्रस्त होने के लिये क्या सरकार दोषी अधिकारियों/ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण का कार्य माह फरवरी, 2018 में कराया गया है।

जी हां।

जी नहीं। मार्ग डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड के अन्तर्गत है, जिसके अनुसार ठेकेदार द्वारा यथाशीघ्र अपनी लागत पर मरम्मत का कार्य किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन बेल्ट के संरक्षण हेतु अवैध अतिक्रमण व ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण करने वाले दोषियों पर कार्यवाही विषयक

150-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन बेल्ट के सरंक्षण हेतु पट्टा आवंटित किया जाता है ? यदि हां, तो प्राधिकरण क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट संरक्षण हेतु आवंटित पट्टों तथा उनकी समय सीमा का विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण चिन्हित कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ग्रीन बेल्ट को सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को आवंटित किया जाता है। ग्रीन बेल्ट संरक्षण हेतु आवंटित पट्टों की समय सीमा पृथक-पृथक निर्धारित की गई है।

प्राधिकरण द्वारा आवंटित ग्रीन बेल्ट की भूमि के विपरीत प्रयोजन की शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित पुरनिया के पास फ्लाई ओवर विस्तार करने विषयक

151-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित पुरनिया के पास बढ़ते जाम के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में स्थित फ्लाई ओवर का विस्तार सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद लखनऊ में सीतापुर रोड पर पुरनिया के पास स्थित 04 लेन फ्लाईओवर का निर्माण रेल के बढ़ते यातायात एवं टी0वी0यू0 अधिक होने के कारण हुआ था। रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण टी0वी0यू0 के आधार पर स्वीकृत होता है। वर्तमान में उक्त रेल उपरिगामी सेतु उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। अतः वर्तमान में उक्त फ्लाईओवर के विस्तार की कोई योजना नहीं है।

जनपद लखनऊ के अलीगंज स्थित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस महिला महाविद्यालय के पीछे अनधिकृत कब्जे के हटाने विषयक

152-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के अलीगंज स्थित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस महिला महाविद्यालय के पीछे के क्षेत्र में अवैध कब्जे चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पीछे की भूमि पर आवास संख्या-एस0पी0-13 से एस0पी0-24 तक स्थानीय निवासियों द्वारा अपने भवनों/भूखण्डों के पृष्ठ भाग पर अवैध कब्जा किया गया है। महिला महाविद्यालय की प्राचार्या द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थल पर 4.91 एकड़ भूमि में से लगभग 2.40 एकड़ भूमि पार्क एवं क्रीड़ा स्थल के रूप में रिक्त है, जिसमें स्थानीय निवासियों द्वारा लगभग 178 वर्गमी0 भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित विभिन्न कालोनियों में दैनन्दिन उपयोग हेतु छोटे दुकान की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में

153-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ में विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिये सरकार नई कालोनियों में दैनन्दिन उपयोग की वस्तुओं हेतु छोटे दुकानों के बाजार की व्यवस्था किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं में प्रभावी महायोजना के भू-उपयोग एवं प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार तलपट मानचित्रों का नियोजन किया जाता है। उक्त तलपट मानचित्रों में योजना के क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या घनत्व आगणित करते हुए उक्त जनसंख्या हेतु महायोजना एवं उपविधि के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप विभिन्न क्रियायें यथा-आवासीय, समूह आवास, व्यवसायिक, कार्यालय, सुविधाओं, नर्सिंग होम, पुलिस चौकी, पार्क, वेजटेबल एवं फ्रूट मार्केट व लोकल शाप इत्यादि के भूखण्ड नियोजित किये जाते हैं। उक्त तलपट मानचित्रों में कुल योजना क्षेत्रफल का अधिकतम 5.0 प्रतिशत भूमि व्यवसायिक उपयोग के साथ कार्यालय उपयोग सहित नियोजन किये जाने का उपविधि में प्राविधान है। तदानुसार विकास प्राधिकरण द्वारा योजनाओं में प्राविधान किया जाता है, जिससे सन्दर्भित क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

जनपद लखनऊ के सड़कों को सीवर कनेक्शन हेतु खोदी गई सड़क के मरम्मत विषयक

154-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में सीवर कनेक्शन हेतु जगह-जगह सड़कें खोदी गयी हैं तथा इसकी मरम्मत का कार्य अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो जनता को हो रही असुविधा के दृष्टिगत सड़कों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

लखनऊ नगर में सीवर गृह संयोजन कार्य हेतु काटी गई सड़क पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

31 मार्च, 2020।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की परीक्षा तथा छात्रवृत्ति में विलम्ब किये जाने सम्बन्धी

155-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में परीक्षायें समय से नहीं कराने व परिणाम विलम्ब से आने के कारण छात्र-छात्रायें समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना का फार्म भरने से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की परीक्षायें समय से कराई जा रही है व परीक्षा परिणाम भी नियमित रूप से घोषित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनी सड़कों के साथ नाली न होने विषयक

156-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय सड़कों के साथ नाली नहीं बनाये जाने की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-6नं0 497670, दिनांक 20-02-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

विधान सभा हाटा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कुल 29 मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत हुए थे, जिसमें नाली कार्य सम्मिलित न होने के कारण नाली निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 05 महत्वपूर्ण मार्गों पर 3.00 कि0मी0 लम्बाई में सी0सी0 रोड के साथ नाली का निर्माण कार्य स्वीकृत था, जिसे पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा वि0खं0 छपिया में सिकन्दरपुर मसकनवा मार्ग से कुट्टी बाजार होते हुए चौधरी चौराहा तक मार्ग के पुनर्निर्माण विषयक

157-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में गन्ना विभाग द्वारा बनायी गयी सड़क सिकन्दरपुर मसकनवा मार्ग से कुट्टी बाजार होते हुये चौधरी चौराहा तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

गन्ना विकास परिषद् मनकापुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड छपिया में सिकन्दरपुर मसकनवा मार्ग से कुट्टी बाजार होते हुए चौधरी चौराहा तक के मार्ग को गन्ना विकास द्वारा निर्मित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के डासना में स्थित खेती योग्य भूमि पर व्यावसायिक कालेज के निर्माण पर कार्यवाही विषयक

158-श्री असलम अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के डासना में स्थित सुंदरदीप व्यावसायिक कालेज का निर्माण खेती योग्य भूमि पर कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत न्यायालय, उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद के निर्णय दिनांक 01-08-2012 द्वारा भूमि को अकृषिक घोषित किया गया है। सन्दर्भित संस्था का शमन मानचित्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या-75/प्रवर्तन/जी0डी0ए0/2005, दिनांक 08-02-2007 द्वारा निर्गत किया गया है।

159-श्री असलम अली-

[02 मंगलवार के अता0प्र0सं0-53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हापुड़ के पिलखवा स्थित जी0एस0 मेडिकल कालेज द्वारा नियमों का उल्लंघन कर कराये निर्माण विषयक

160-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के पिलखवा में स्थित जी0एस0 मेडिकल कालेज के भवनों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत हुये हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद हापुड़ के पिलखुवा के जी0एस0 मेडिकल कालेज का मानचित्र (संख्या-53/14-15/ओ0आर0/पी0के0डब्लू) हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91 पर दादरी-सिकन्द्राबाद के बीच बुलन्दशहर में पड़ने वाले टोल पर प्रदूषण के सम्बन्ध में

161-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0- 91 पर दादरी-सिकन्द्राबाद के बीच जनपद बुलन्दशहर में पड़ने वाले लुहारली टोल पर वाहनों को टोल देने के लिये निर्धारित समय से काफी अधिक समय तक लाइन में लगा रहना पड़ता है जिससे उक्त क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टोल पर कार्य में विलम्ब के लिये कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत प्रकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 के लुहारली टोल पर कई स्थानीय वाहन चालकों द्वारा टोल भुगतान न करने तथा भुगतान करते समय कर्मचारियों से अनावश्यक पूछताछ के कारण टोल पर अधिक समय लगता है। उपरोक्त मामलों से मुक्ति एवं टोल पर यातायात सुचारु वेग से चलाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा टोल पर फास्टैग प्रावधान रखा गया, दिनांक 15-12-2019 तक अधिकतर वाहनों के फास्टैग लिंक होने पर टोल विलम्ब में सुधार होना सम्भावित है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उक्त मार्ग 6 लेन निर्माण कार्य में प्रस्तावित है, आवश्यकतानुसार टोल लेन बढ़ाये जाने हेतु भू-अधिग्रहण कर अग्रिम कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।

जनपद लखनऊ के विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ में प्रबन्ध नगर योजना विषयक

162-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ में प्रबन्ध नगर योजना बनाई गयी थी ? यदि हां, तो प्रश्नगत योजना की अद्यतन स्थिति का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग-1 व भाग-2 का अर्जन वर्ष 2007-08 में किया जा चुका है। प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग-1 हेतु ग्राम घैला की भूमि का अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 व 6 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 13-09-2007 व 25-08-2008 को शासन द्वारा किया गया। क्षे0-442.855 हे0 भूमि का अभिनिर्णय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा दिनांक 23-08-2010 को घोषित किया जा चुका है। प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग-2 हेतु ग्राम अल्लूनगर डिगुरिया व ककौली की भूमि का अधिग्रहण भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 की धारा-4 व 6 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 22-09-2007 व 29-09-2008 को शासन द्वारा किया गया तथा अपर जिलाधिकारी भू0अ0 द्वारा क्षे0-324.633 हे0 भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 28-09-2010 को घोषित किया जा चुका है। योजनान्तर्गत अर्जित भूमि के प्रतिकर की समस्त धनराशि जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), लखनऊ को उपलब्ध कराई जा चुकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 06-11-2019 को प्रबन्ध नगर योजना को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड पर मड़ियांव के बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरित पट्टी पर अतिक्रमण हटाने विषयक

163-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड पर पुरनिया से मड़ियांव के बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरित पट्टी पर अतिक्रमण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हरित पट्टी पर से अतिक्रमण हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03-08-2019 को पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की सहायता से नवीन मण्डी, सीतापुर रोड के सामने के कुछ भाग पर से अतिक्रमण हटवा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के उपरान्त स्थल पुलिस अभिरक्षा के अधीन जाता है। अवशेष अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लाल लाजपत राय वार्ड स्थित सेक्टर एन-2 में ट्यूबवेल बोरिंग कराने विषयक

164-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लाला लाजपत राय वार्ड स्थिति सेक्टर एन-2 में ट्यूबवेल फेल हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता को हो रही परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए नई बोरिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

जी हां।

लाला लाजपत राय वार्ड एन-2 अलीगंज स्थित नलकूप फेल हो गया था जिसके रि-बोर का प्रस्ताव 14वें वित्त आयोग में सम्मिलित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति तथा धन उपलब्धता के आधार पर नलकूप रि-बोर की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्राथमिकता के तौर पर 02 नग मिनी नलकूप का निर्माण करा दिया गया है जिससे उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा व आगरा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित जल की जांच कराये जाने विषयक

165-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा एवं आगरा में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाये जा रहे जल प्रदूषण रोकने की दृष्टिगत दिनांक 01-07-2019 से 19-11-2019 के बीच कोई जाँच की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित कर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

दिनांक 19-01-2019 से दिनांक 01-07-2019 के बीच की गई जांच में कुल 13 मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को चिन्हित किया गया है।

उपरोक्त दोषी 13 जल प्रदूषणकारी इकाइयों के विरुद्ध मानकों के अनुरूप संचालन न करने के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33(ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में वर्ष 2017 से 19-11-19 तक मलिन बस्तियों के विकास कार्यों को पूर्ण कराये जाने विषयक

166-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुथरा में नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 से दिनांक 19-11-2019 तक विभाग द्वारा पर्यावरण सुधार तथा विकास हेतु किन-किन मलिन बस्तियों की सूची भेजी है तथा कौन-कौन सी स्वीकृत हुई हैं ? क्या सरकार स्वीकृत सूची की मलिन बस्तियों में विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

वर्ष 2017 से दिनांक 19-11-2019 तक विकास कार्य हेतु मुख्य मंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद मथुरा की मलिन बस्तियों में 84 निर्माण कार्य के प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे, जिसके सापेक्ष रु0 1884.65 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी, जिसके सापेक्ष रु0 900.634 लाख की धनराशि जनपद को प्राप्त हुई है। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष इण्टरलॉकिंग सड़क, सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

हां, मलिन बस्तियों में स्वीकृत कार्यों के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मेडिकल कालेज में लिक्विड आक्सीजन की खरीद के सम्बन्ध में

167-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में पूर्व में लिक्विड आक्सीजन की खरीद 16.50 रुपये प्रति लीटर की दर से की जा रही थी जो वर्तमान में 19.39 रूपये की दर की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर पूर्व की भांति 16.50 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं। पूर्व में वित्तीय वर्ष 2013-14 में लिक्विड मेडिकल आक्सीजन की खरीद रु0 16.50 में तत्समय लागू 5 प्रतिशत वैट को सम्मिलित करते हुए रु0 17.32 प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही थी, जो वर्तमान में मार्च, 2018 में अनुमोदित निविदा की दर रु0 17.71 में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 (रु0 2.12) को सम्मिलित करते हुए रु0 19.83 प्रति किलोग्राम की दर से ली जा रही है। यह दरें वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2017-18 में की गई ई-निविदा में एल वन घोषित दर के आधार पर निर्धारित की गई है।

उपर्युक्त से जैसा कि स्वतः स्पष्ट है कि लिक्विड मेडिकल आक्सीजन गैस की खरीद वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 16.50 एवं तत्समय लागू 5 प्रतिशत वैट के साथ रु0 17.32 प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही थी, जो मार्च, 2018 में अनुमोदित निविदा दर (रु0 17.71 प्रति किलोग्राम) में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित होने के उपरान्त रु0 19.83 प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। इस प्रकार उक्त दरों में अन्तर चार वर्ष के अन्तराल में मंहगाई दर के कारण हुई स्वाभाविक वृद्धि तथा तत्समय लागू 5 प्रतिशत वैट के स्थान पर वर्तमान में लागू 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 के कारण हुआ है। अतः इसमें किसी प्रकार की कोई जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम जरपा मोहनपुर वि0खं0 भदपुरा को लेपित सतह से जोड़ने विषयक

168-श्री केसर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा के ग्राम जरपा मोहनपुर में सड़कों का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बरेली विकास खण्ड भदपुरा के ग्राम जरपा मोहनपुर, ग्राम सिरला से कुल 2.930 कि0मी0 लम्बे लेपित मार्ग से जुड़ा था। वर्ष 2010 में आई बाढ़ एवं उसके उपरान्त लगातार नदी की धारा बदलने से मार्ग के अन्तिम 500 मी0 लम्बाई का मार्ग नदी द्वारा कटान कर दिया गया है। इस संरेखण पर पुनः निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम जरपा मोहनपुर को जोड़ने हेतु मार्ग की चैनेज 2.150 से दायीं ओर 170 मी0 शून्य स्तर तथा 1020 मी0 खड़न्जा लगा है। इस संरेखण पर मार्ग का लेपन कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जिला बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज के 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों के सम्पर्क मार्गों को जिला व तहसील मुख्यालय से लेपित सतह से जोड़े जाने विषयक

169-श्री केसर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज के 500 से अधिक आबादी वाले गाँव घाटमपुर, रूपपुर गौटिया, खिलचीपुर, पैगा, मटकुला मज़रा नवदिया वमनपुरी, देवरानिया परसादी लाल, शाहपुर जी सुखराय, गूलर दांडी मज़रा मियाँपुर व बाकरगंज-भानपुर, सोरहा आदि सम्पर्क मार्गों को जिला व तहसील मुख्यालय से लेपित सतह से जोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को लेपित सतह से जोड़ने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों को जिला व तहसील मुख्यालय से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जिला बरेली के विकास खण्ड भदपुरा में 500 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों के मजरों को जिला व तहसील मुख्यालय से लेपित सतह से जोड़ने विषयक

170-श्री केसर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली के विकास खण्ड भदपुरा में 500 से अधिक आबादी वाले गाँव गौटिया जोधा सिंह, जरपा, फरीदापुर मज़रा विलासनगर, गोपालपुर, बोरिया उर्फ झाउनगला, प्रीतमपुर मज़रा गुलडिया महीपत, कुलुआ मज़रा जवेदा-जवेदी, ठीरियाबन्नोजान व चठीया रहमत अली मज़रा बिजासिन आदि सम्पर्क मार्गों को जिला व तहसील मुख्यालय से लेपित सतह से जोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को लेपित सतह से जोड़ने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जिला बरेली के विकास खण्ड भदपुरा में प्रश्नगत ग्रामों को लेपित मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

(1) गौटिया जोधा सिंह-

इस ग्राम की आबादी 250 से कम होने के कारण मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(2) जरपा-

जनपद बरेली विकास खण्ड के ग्राम जरपा मोहनपुर, ग्राम सिरला से कुल 2.930 कि0मी0 लम्बे लेपित मार्ग से जुड़ा था। वर्ष 2010 में आई बाढ़ एवं उसके उपरान्त लगातार नदी की धारा बदलने से मार्ग के अन्तिम 500 मी0 लम्बाई का मार्ग

नदी द्वारा कटान कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप इस संरेखण पर पुनः निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। ग्राम जरपा मोहनपुर को जोड़ने हेतु मार्ग की चैनेज 2.150 से दायीं ओर 170 मी0 शून्य स्तर तथा 1020 मी0 खड़न्जा लगा है। इस संरेखण पर मार्ग के लेपन हेतु रु0 70.00 लाख की लागत आंकलित की गई है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(3) फरीदापुर मजरा विलासनगर-

इस ग्राम की आबादी 250 से कम होने के कारण मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(4) गोपालपुर-

इस ग्राम हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने की योजना के अन्तर्गत मार्ग (लम्बाई 1.360 कि0मी0) के निर्माण हेतु रु0 71.28 लाख की लागत आंकलित की गई है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(5) बोरिया उर्फ झाउनगला-

इस ग्राम हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों की योजना के अन्तर्गत मार्ग (लम्बाई 0.465 कि0मी0) के निर्माण हेतु रु0 22.75 लाख की लागत आंकलित की गई है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(6) प्रीतमपुर मजरा गुलडिया महीपत-

इस ग्राम की आबादी 250 से कम होने के कारण मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

(7) कुलुआ मजरा जवेदा-जवेदी-

इस ग्राम हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने की योजना के अन्तर्गत मार्ग (लम्बाई 2.700 कि0मी0) के निर्माण हेतु रु0 118.15 लाख की लागत आंकलित की गई है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(8) ठीरियाबन्नोजान-

यह ग्राम अन्य विभाग (गन्ना परिषद्) द्वारा निर्मित मार्ग पूर्व से ही लेपित मार्ग से संतृप्त है।

(9) चठीया रहमत अली-

इस ग्राम की आबादी 250 से कम होने के कारण मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

171-श्री मो0 फईम इरफान-

[दिनांक 17-12-2019 को अता0प्र0सं0-184 द्वारा उत्तरित]

जनपद बुलन्दशहर औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में मै0 यू0पी0 ट्वीगा फाइवर ग्लास लिमिटेड द्वारा फाइबर के अवशेषों को जमीन में दबाने के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

172-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में स्थापित उद्योग मै0 यू0 पी0 ट्वीगा फाइवर ग्लास लिमिटेड द्वारा उद्योग परिसर में फाइवर के अवेशेषों/वेस्ट को जमीन में दबाये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

मैसर्स यू0पी0 ट्वीगा फाइबर ग्लास लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर द्वारा फाइबर ग्लास के अवशेषों/वेस्ट को जमीन में दबाये जाने की शिकायत पर जिला प्रशासन, बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 20-11-2019 के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा उक्त उद्योग के परिसर का दिनांक 29-11-2019 को निरीक्षण किया गया, जिसमें फाइबर ग्लास का प्रदूषित कचरा दबे होने की पुष्टि नहीं हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिकयत तथ्यविहीन पाई गई है।

जनपद महराजगंज के परियरा के परतावल पुरैना पिपराईच मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक

173-श्री ज्ञानेन्द्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र-पनियरा के अन्तर्गत परतावल पुरैना पिपराईच मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां,तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्न में दो मार्ग क्रमशः परतावल-पिपराईच (अन्य जिला मार्ग) एवं परतावल-पुरैना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) सन्निहित है। प्रथम मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का

कार्य (लम्बाई 15.40 कि0मी0 एवं लागत रु0 2596.75 लाख) स्वीकृत है एवं दूसरे मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य की लम्बाई 10.40 कि0मी0 तथा अनुमानित लागत रु0 2471.51 लाख है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद महराजगंज के परियरा के अकटहवा जर्दी डोमरा से एन0एच0-728 तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने विषयक

174-श्री ज्ञानेन्द्र-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र-पनियरा के अन्तर्गत अकटहवा जर्दी डोमरा से एन0एच0-728 तक की सड़क का नव-निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत संरेखण में मार्ग की लम्बाई 10.50 कि0मी0 है। उक्त भाग में 250 अथवा अधिक आबादी का असंतृप्त ग्राम स्थित नहीं है। अतः मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रचलित विभागीय नीतियों से आच्छादित नहीं है।

175-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[02 मंगलवार के अता0प्र0सं0-54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ब्लाक रुधौली के परसिया सेहुड़ी मार्ग पर रेरुआ नदी पर पैदल पुल के निर्माण के सम्बन्ध में

176-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत ग्राम परसिया से सेहुड़ी मार्ग पर रेरुआ नदी पर पुल निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर पुल निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत स्थल पर 14 मीटर (60 मीटर से कम) स्पान के पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु रु0 165.00 लाख की धनराशि आगणित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

177-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[दिनांक 17-12-2019 को अता0प्र0सं0-185 द्वारा उत्तरित]

178-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मा0 आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद कुशीनगर के वि0स0 क्षेत्र हाटा में व्यापार विकास निधि योजनान्तर्गत लम्बित कार्यों की जांच विषयक

179-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र में व्यापार विकास निधि योजनान्तर्गत लम्बित कार्यों को पूर्ण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नम्बर 497659, दिनांक 20-02-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

व्यापार विकास निधि योजनान्तर्गत कुल 05 कार्यों पर वर्ष 2019-20 में रु0 215.24 लाख का आवंटन जारी किया गया। तद्नुसार निर्माण कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के अथरहां पिपरिया घाट पर पुल निर्माण विषयक

180-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में अथरहां पिपरिया घाट पर पुल न होने के कारण किसानों और छात्र-छात्राओं को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद कुशीनगर में बड़हरा लक्ष्मीपुर (पिपरहिया) अथरहा मार्ग के अथरहा घाट पर छोटी गण्डक नदी पर सेतु का प्रारम्भिक आगणन रु0 1060.09 लाख आगणित की गई है।

सेतु निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में गन्ना विकास अधिकारियों एवं न्यू इण्डिया शुगर मिल द्वारा धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार सम्बन्धी

181-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में गन्ना विकास अधिकारियों एवं न्यू इण्डिया शुगर मिल द्वारा किसानों के साथ की जा रही

धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 नम्बर 497674, दिनांक 07-03-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार-

अभिलेखों के अनुसार प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या-ख-6 नम्बर 497674, दिनांक 07-03-2019 प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि जनपद कुशीनगर में गन्ना विकास अधिकारियों एवं न्यू इण्डिया शुगर मिल द्वारा किसानों के साथ की जा रही धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या-ख-6 नम्बर 497675, दिनांक 07-03-2019 तथा पत्र संख्या-ख-6 नम्बर 497676, दिनांक 07-03-2019 प्राप्त हुआ है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त हुए शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ0प्र0 को शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने तथा जांच आख्या की प्रति सहित कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों के मध्य स्थित श्मशान व कब्रिस्तानों में शवदाह पर रोक लगाये जाने विषयक

182-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित अनेक कालोनियों में आबादी के मध्य श्मशान व कब्रिस्तान स्थित हैं ? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नगत कालोनीवासियों ने इन अन्त्येष्टि स्थलों के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण को अनुरोध-पत्र भेजे हैं ? यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है ? क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में आबादी के बीच आ चुके अन्त्येष्टि स्थलों पर शवों के अन्त्येष्टि कार्यों पर रोक लगायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

कालोनीवासियों द्वारा प्रश्नगत स्थल की बाउण्ड्रीवाल ऊंची करने अथवा अन्त्येष्टि स्थल को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा कालोनी नियोजित किये जाने से पूर्व उक्त स्थल पर शवों की अन्त्येष्टि की जाती थी। तद्क्रम में नियोजन अनुभाग द्वारा पूर्व से चिन्हित अन्त्येष्टि स्थल को संरक्षित कर यथावत् नियोजित किया गया है, जिससे कि स्थानीय ग्रामवासियों की धार्मिक भावना आहत न हो सके।

जनपद लखनऊ की टीले वाली मस्जिद से आई0आई0एम0 बन्धा मार्ग पर अवरोध हटाये जाने सम्बन्धी

183-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की टीले वाली मस्जिद से आई0आई0एम0 बाईपास बन्धा मार्ग पर लगभग 140 मीटर अवरोध के कारण जनता बाईपास मार्ग का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवरोध को दूर कर जनहित में उक्त बन्धा मार्ग को पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

बन्धा मार्ग का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। बन्धा मार्ग निर्माण से पूर्व लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कैटिल कालोनी विकसित की गई थी। कैटिल कालोनी के काफी भू-खण्ड बन्धे के संरेखण एवं बन्धे तथा गोमती नदी के मध्य आने के कारण लगभग 140 मी0 पर बन्धे का निर्माण पूर्ण नहीं किया जा सका। बन्धे के संरेखण एवं बन्धे तथा गोमती नदी के बीच में स्थित भूखण्डों को अन्यत्र समायोजित किया जाना है। पूर्व में बसन्तकुन्ज योजना के अन्तर्गत स्थित कैटिल कालोनी के विकास कार्य किसानों के अवरोध के कारण पूर्ण नहीं कराये जा सके। वर्तमान में किसानों से हुए समझौते के उपरान्त कैटिल कालोनी में नवसृजित भू-खण्डों का विकास किया जा रहा है। विकास पूर्ण होने के उपरान्त कैटिल कालोनी के आवंटियों को समायोजित किया जायेगा। तदोपरान्त अवशेष 140 मी0 पर सिंचाई विभाग द्वारा बन्धे का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

आवंटियों का समायोजन निकट भविष्य में किया जायेगा। तदोपरान्त सिंचाई विभाग द्वारा अवशेष कार्य पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ में आई0आई0एम0 सेमरा रोड से गोमती नदी तक जाने वाले बरसाती नाले को पक्का कराये जाने की मांग

184-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में आई0आई0एम0 सेमरा रोड से बड़ी खदान, ककौली, गौरभीट, गाजीपुर बलराम व दाउदनगर होते हुए गोमती

नदी तक जाने वाले बरसाती नाला को पक्का सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

लखनऊ नगर में आई0आई0एम0, सेमरा रोड से बड़ी खदान, ककौली, गौरभीट, गाजीपुर बलराम व दाउदनगर होते हुए गोमती नदी तक जाने वाले बरसाती नाला को पक्का कराये जाने पर रु0 3445.07 लाख का व्यय-भार अनुमानित है। उक्त कार्य कराया जाना वित्तीय संसोधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पटरी दुकानदारों के लिये नई नीति बनाने व उसे लखनऊ में लागू कराने विषयक

185-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पटरी दुकानदारों के लिए नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नीति को जनपद लखनऊ में लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां, प्रदेश के पटरी दुकानदारों के लिये पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम) अधिनियम, 2014 के अनुपालन में उ0प्र0 पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियम) नियमावली, 2017 दिनांक 10 मई, 2017 लागू है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अलीगंज स्थित नये हनुमान मन्दिर के पीछे की सड़क को मरम्मत कराने की मांग

186-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अलीगंज स्थित नये हनुमान मन्दिर के पीछे की सड़क जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पेवर से बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

प्रश्नगत सड़क पेवर फिनिशर एवं नाली निर्माण कार्य का अनुमानित लागत धनराशि रु0 11.00 लाख का है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र सं0-क-6, नं0-201885, दिनांक 26-03-2018 सिकन्द्राबाद में वर्ष 2016-17 में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की जांच विषयक पत्र के अनुक्रम में कार्यवाही किये जाने की मांग

187-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6 नम्बर-201885, दिनांक 26-03-2018, जो कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में वर्ष 2016-17 में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की जांच विषयक हैं, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद की संस्तुति एवं तत्कालीन जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के अनुमोदन के पश्चात् नये इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया गया था। मा0 विधायक महोदया की शिकायत के उपरान्त उक्त हैण्डपम्पों की जांच तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा कराई गई जिसमें हैण्डपम्पों का कार्य पूर्ण पाया गया एवं समस्त हैण्डपम्प क्रियाशील पाये गये। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के प्रयोग में की गई सामग्री की टेस्टिंग थर्ड पार्टी द्वारा कराई गई, जो मानक के अनुसार पाई गई।

उक्त सभी इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया गया था। वर्तमान में भी उक्त सभी इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प सुचारु रूप से क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर वि0स0 क्षेत्र सैदपुर में गांव/नगर पंचायत में अधिक मात्रा में खाली पड़ी नजूल की भूमि पर सरकारी स्कूल की स्थापना किये जाने सम्बन्धी

188-श्री सुभाष पासी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों या नगर पंचायतों में नजूल भूमि है, जिन पर सरकारी स्कूल की स्थापना की जा सकती है। क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम या नगर पंचायत में नजूल भूमि उपलब्ध नहीं है, जिन पर सरकारी स्कूल की स्थापना की जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के वि0स0 क्षेत्र जैदपुर, ब्लाक हरख, जैदपुर में इब्राहिम शाह प्रवेश द्वार से बान्ध चौराहा तक व अन्य रोड क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराने विषयक

189-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर में ब्लाक-हरख, कस्बा-जैदपुर में इब्राहिम शाह प्रवेश द्वार से बान्ध चौराहा तक दूरी लगभग 830 मीटर एवं ब्लाक-हरख, कस्बा-जैदपुर में सैयद अली अब्बास रोड से इमामबाड़ा गढ़ीजदीद के गेट नं0-2 तक दूरी लगभग 50 मीटर रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जनपद-बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर में ब्लाक हरख, कस्बा जैदपुर में इब्राहिम शाह प्रवेश द्वार से बान्ध चौराहा (दूरी लगभग 830 मीटर) तक पेयजल पाइप लाइन विस्तार कार्य हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा सड़क की खुदाई कर पाइप लाइन डाली गई है। पाइप लाइन डालने के उपरान्त उक्त सड़क का पैचिंग कार्य करा दिया गया है तथा ब्लाक हरख, कस्बा जैदपुर में सैयद अली अब्बास रोड से इमामबाड़ा गढ़ीजदीद के गेट नं0-2 तक दूरी लगभग 50 मीटर पर नया इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

[12:23] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे कुछ महानुभावों के निधन की सूचनायें हैं और यह आदरणीय सदन स्वाभाविक रूप से इस सदन के सदस्य रहे महानुभावों के निधन पर शोकग्रस्त है। भूतपूर्व सदस्य श्री बहादुर सिंह, जिला आगरा में इनका जन्म हुआ था। वह खैरागढ़, जिला आगरा से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। उनके निधन की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। इसी प्रकार एदल सिंह का निधन 6 अक्टूबर, 2018 को हुआ था। उनका जन्म जनपद बुलन्दशहर में हुआ था। वह भारतीय क्रान्ति दल से थे और बाद में जनता पार्टी के टिकट पर जेवर बुलन्दशहर से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री महेश उपाध्याय फतेहाबाद जिला आगरा से कांग्रेस के टिकट पर सदस्य चुने गये थे, इनके निधन की भी सूचना है। इसी प्रकार श्री ओमप्रकाश यादव जिला मुरादाबाद से जनता दल के टिकट पर 1982 में इस आदरणीय सदन के सदस्य हुए थे, उनके निधन की सूचना भी लेते हुए हम सब शोकग्रस्त हैं। मा0 नत्थूलाल विकल जिला बरेली से कांग्रेस के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य चुने गये थे। उनके निधन की सूचना से हम सब शोकग्रस्त हैं। श्री अखिलेश कुमार

सिंह 1993, 1996, 2002 में कांग्रेस, 2007 में निर्दलीय और वर्ष 2012 में पीस पार्टी के टिकट पर रायबरेली से इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसी प्रकार मोहम्मद मुस्लिम, तिलोई, रायबरेली से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2012 में निर्वाचन क्षेत्र तिलोई से बाद में कांग्रेस के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे, वह अनेक संस्थाओं में रहे हैं। उनके निधन पर हम सब शोकग्रस्त हैं। श्री अहमद खां, अलीगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर 1969 में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके निधन की सूचना लेते हुए हम सब शोकग्रस्त हैं। श्री वीरेन्द्र पाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बुलन्दशहर से 1993 में सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री गजाधर प्रसाद जनसंघ से उसके बाद वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर बहराइच से निर्वाचित हुए थे। उनके भी निधन की सूचना है। श्री इंदल सिंह चौहान, मैनपुरी से जनता दल के टिकट पर 1989 में निर्वाचित हुए थे। इनके निधन की भी सूचना प्राप्त हुई है। उन्नाव में भगवन्त नगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के समाजवादी पहले सोशलिस्ट आन्दोलन के और स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई जेलों में रह चुके ऐसे बहुत ही लोकप्रिय नेता उनका निधन 99 वर्ष की उम्र में हो गया वह 1957, 67, 69, 74, 80, 85 पहले सोशलिस्ट पार्टी से बाद में कांग्रेस से इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे उनका जीवन अनुकरणीय था और अभी दो माह पहले तक 99 वर्ष की अवधि पूरा करने के बावजूद वह तमाम सभाओं, गोष्ठियों में काम करते थे, जाते थे और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय भगवती सिंह विशारद जी के निधन पर हम सब शोकग्रस्त हैं। आदरणीय सदन में सदस्य रह चुके ऐसे सभी मित्र, उनका निधन हम सबके लिए दुःख का अवसर है हम इस अवसर पर प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष मिले और उनके शोक में हम आप सभी लोग दो मिनट खड़े होकर मौन रखते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए)

विशिष्ट महानुभावों श्रीमती सुषमा स्वराज एवं श्री अरुण जेटली, पूर्व केन्द्रीय मंत्री के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्‌गार

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

अध्यक्ष जी आज इस सदन में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के निधन पर हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं जैसा कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी महिला सम्मान नेतृत्व की प्रतिनिधि के रूप में पूरे देश में जानी जाती थीं और बहुत ही प्रखर वक्ता और उत्कृष्ट सांसद होने का गौरव भी उनको प्राप्त हुआ था योग्य प्रशासक रही हैं दिल्ली प्रदेश की मुख्य मंत्री भी थीं और केन्द्र में विदेश मंत्री के रूप में भी अपने राजनीतिक और रणनीतिक चातुर्य का परिचय दिया था 6 अगस्त 2019 को 67 साल की उम्र में हम सभी को अलविदा कह गईं, उनका निधन हुआ उससे पूरे देश में एक विशेष रूप से महिलाओं में बहुचर्चित लोकप्रिय, जनप्रिय महिलाओं के सम्मान की प्रतीक, महिलाओं की शेरनी श्रीमती सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में अब नहीं हैं। हम उनके निधन पर समूचे सदन की ओर से अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 जेटली जी का भी आप साथ ही में पढ़ दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसी क्रम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली जी का 24 अगस्त, 2019 को निधन हुआ और जैसाकि अरूण जेटली जी भी अपने कार्य, व्यवहार, आचरण के लिये मशहूर थे, कार्यकर्ताओं में बड़े लोकप्रिय थे। साथ ही साथ राजनीति के एक बहुत ही धुरन्धर राजनेता थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत से ऐसे नये निर्णय लिये जो राष्ट्रहित में भी थे, देश के नौजवानों के हित में भी थे और साथ ही साथ रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने जो हमारे देश का सिर ऊंचा किया, स्वाभाविक रूप से यह उनका बहुत ही अतुलनीय सहयोग रहा। मान्यवर, इसके लिये मैं ऐसे महान नेता, महान कानूनविद और यूं कहिये कि राजनीति के चाणक्य के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अरूण जेटली जी के निधन पर मैं सरकार की ओर से साथ ही साथ पूरे सदन की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इन दोनों महान नेताओं के परिवारीजनों तक भी इस सदन में पारित शोक-संवेदना को पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मन तो आज भारी है इसलिये कि दोनों महान नेताओं से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है और जब भी मैं दिल्ली गया हूं तो इन दोनों लोगों से जरूर मिला हूं। 67 वर्ष की यह थीं। लिखा तो है कि विद्यार्थी परिषद् से 70 में इन्होंने राजनीति शुरू की, लेकिन हमको जहां तक याद है तो 74 आते-आते यह एस0वाई0एस0 की सदस्य हो गयी थीं और जार्ज फर्नाडीज साहब ने 74 में जो रेल आन्दोलन शुरू किया था उसमें कांग्रेस को छोड़ कर के देश भर के युवा संगठनों और छात्रसंघ के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई थी उसमें हमारी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने अच्छा भाषण दिया। संयोग से 1977 में वह भी हरियाणा में एम0एल0ए0 हो गयीं और हम भी एम0एल0ए0 हो गये। वहां पर वह राज्य मंत्री हो गयीं, लेकिन हम मंत्री नहीं हुये। चन्द्रशेखर जी के यहां उनका बराबर आना-जाना था। हम लोगों के अच्छे रिश्ते थे। बाद में जब जनता पार्टी टूटी तो चन्द्रशेखर के रूप में वह आ गयीं और चित्रकूट सम्मेलन में भी हम लोगों के साथ उन्होंने काम किया। वह एक प्रखर वक्ता, दयालु और श्रम से काम करने वाली नेता थीं। वह केन्द्र में भी मंत्री रहीं, प्रदेश में भी मंत्री रहीं और ऐसी अच्छी नेता का आज के दिन रहना आज के राजनीतिक माहौल में बहुत जरूरी था, लेकिन भगवान की अनुकम्पा को टाला नहीं जा सकता। ऐसे महान नेता का निधन हो गया है। मैं उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से मेरी शोक संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से श्री जेटली जी जोकि सन् 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के अध्यक्ष हुए थे, मुख्यतः छात्रसंघ की राजनीति में तीन लोग भाग लेते थे कांग्रेस के युवा शाखा, विद्यार्थी परिषद् और एस0वाई0एस0। सन् 1974 के समय में विद्यार्थी परिषद् के लोग उत्तरी भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ के पद पर काबिज हो गये थे उसी समय दिल्ली विश्वविद्यालय में श्री जेटली जी, बनारस में श्री ध्रुव सिंह

चौहान एवं पटना में श्री लालू जी काबिज हुए थे और उसी समय हम भी यूनियन के अध्यक्ष हुए थे। उस समय विद्यार्थी परिषद् की तरफ से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में श्री ध्रुव सिंह चौहान ने एक अखिल भारतीय छात्र प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया था और इस सम्मेलन में जहां पर श्री जेटली जी की रुकने की व्यवस्था थी ठीक उनके बगल में मैं भी रुका हुआ था, वहीं पर श्री जेटली जी से हमारी मुलाकात हुई थी और वह मुलाकात इतनी रही कि श्री जेटली जी के दिवंगत होने के थोड़े दिन पहले ही मैं उनसे मिलकर आया था। मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि ऐसे महान नेता जोकि वक्ता भी थे, शास्त्र के और विदेशी मामलों के जानकार भी थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। वह कईं बार राज्य सभा में रहे हैं, मंत्री रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के संचालक विधि से एक महान नेता थे। हमको जहां तक मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके न रहने से बड़ा घाटा हुआ होगा, वह एक मेकर का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए सूत्र, नियम और कानून बनाते थे और हमारे साथी भी थे। आज वह नहीं हैं व्यक्तिगत रूप में मुझे बहुत दुःख हो रहा है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के निधन पर और पूर्व मंत्री श्री अरूण जेटली के निधन पर जो शोक संवेदना माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा व्यक्त की गयी है मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, निश्चित रूप से कम उम्र में ही इन दोनों महान राजनीतिक और जिनकी एक अलग राजनीति में पहचान थी वह आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके न रहने से केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से इस देश को बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन दोनों पूर्व मंत्रियों को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे अपेक्षा करूँगा कि हमारी शोक संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो शोक संवेदना पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरूण जेटली जी की विधान सभा में प्रस्तुत हुई है, और जो शोक संवेदनायें माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बसपा के साथ और उनकी भावनाओं के साथ मैं अपने और अपने दल की भावनाओं को सम्बद्ध करती हूँ। श्रीमती सुषमा स्वराज जी नारी शिक्षा शक्ति की एक प्रतीक थीं। 6 अगस्त, 2019 को लगभग 67 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत की थीं। वर्ष 1977 और 1987 में हरियाणा विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुईं। वर्ष 1990, 2000 तथा 2006 में राज्य सभा सदस्य और वर्ष 1996, 1998, 2009 तथा 2014 में लोक सभा की सदस्य निर्वाचित हुईं। श्रीमती सुषमा स्वराज वर्ष 2014 से 2019 तक देश की विदेश मंत्री रहीं और बहुत संवेदनशील मामलों में उन्होंने देश का नाम रोशन किया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जो पार्टी और दल से ऊपर रहे जिसमें उन्होंने अगुवाई की और जिससे हिन्दुस्तान का नाम देश और विदेश में आगे बढ़ा। हम उनके इन कामों की सराहना करते हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 से 03 दिसम्बर, 1998 तक दिल्ली की मुख्य मंत्री भी रहीं। विभिन्न पदों और अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से वह सम्बद्ध रहीं। वह एक प्रखर वक्ता थीं, उत्कृष्ट राजनेता थी और एक विलक्षण सांसद थीं। उन्हें किसी पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता, पहली युवा महिला सांसद तथा दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। उनके निधन से भारतीय राजनीति में अपूर्णीय क्षति हुई है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें आप उनके परिवार तक पहुंचवायें। श्री अरूण जेटली जी विधि के जानकार और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। दिनांक 24 अगस्त, 2019 को उनका निधन हुआ उस समय उनकी आयु लगभग 67 वर्ष की थी। दिनांक 28 सितम्बर, 1952 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संगठन में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वर्ष 2000, 2006, 2012 और 2018 से राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित रहे। श्री जेटली जी ने रक्षा, वित्त और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री के रूप में अभिभूत कार्य किये हैं और उन्होंने कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निवर्हन किया है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जायेगा। श्री जेटली जी एक उत्कृष्ट वक्ता, अनुभवी सांसद, कुशल संगठनकर्ता और प्रतिष्ठित कानूनविद् थे और राष्ट्र के निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा। उनके निधन से देश के सार्वजनिक जीवन को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगी कि मेरे और मेरे दल की शोक संवेदनाओं को उनके शोक संतृप्त परिवार तक पहुंचवाने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल जी, माननीय नेता बसपा और माननीय नेता कांग्रेस के विचारों से मैं अपने को जोड़ता हूं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का निधन दिनांक 06 अगस्त, 2019 हो गया। वह लगभग 67 वर्ष की थी। श्रीमती सुषमा स्वराज जी का जन्म दिनांक 14 फरवरी, 1952 को अम्बाला छावनी हरियाणा में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती सुषमा स्वराज ने वर्ष 1970 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। श्रीमती सुषमा स्वराज वर्ष 1977 और 1987 में हरियाणा विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं। वह वर्ष 1990, 2000 तथा 2006 में राज्य सभा सदस्य और वर्ष 1996, 1998, 2009 तथा 2014 में लोक सभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती सुषमा स्वराज वर्ष 2014 से 2019 तक देश की विदेश मंत्री रहीं तथा केन्द्र में अन्य विभागों की मंत्री भी रहीं। उन्होंने जिन मंत्रालयों को संभाला वहां उच्च मानक स्थापित किये। श्रीमती सुषमा स्वराज दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 से 3 दिसम्बर, 1998 तक दिल्ली की मुख्य मंत्री भी रही। विभिन्न पदों पर रहते हुए वह अनेक सामाजिक और सांस्कृति संस्थाओं से भी सम्बद्ध रही थीं। श्रीमती सुषमा स्वराज कट्टर वक्ता, उत्कृष्ट राजनेता एवं विलक्षण सांसद थीं। उन्हें किसी पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता, पहली युवा सांसद तथा दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री होने का गौरव हासिल था। श्रीमती सुषमा स्वराज जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से शोक संतृप्त परिवार को शोक संवेदना

व्यक्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि उस परिवार को हमारी तरफ से शोक संतृप्त शोक संवेदना भेजने की कृपा करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली जी का 24 अगस्त, 2019 को निधन हो गया वह भी लगभग 67 वर्ष के थे। श्री अरूण जेटली जी का जन्म 28 दिसम्बर 1952 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने बी0कॉम0 आनर्स तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जेटली जी ने वर्ष 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के अध्यक्ष के रूप में अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की थी। वह वर्ष 2000, 2006 तथा वर्ष 2012 व वर्ष 2018 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। श्री अरूण जी ने रक्षा, वित्त तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों में मंत्री के रूप में अभूतपूर्व कार्य किये। वह पार्टी और सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके थे। उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया था। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जायेगा। श्री अरूण जेटली जी एक उत्कृष्ट वक्ता, अनुभवी सांसद, कुशल संगठनकर्ता और प्रतिष्ठित कानूनविद् के रूप में राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान दिया था। उनके निधन से देश के सार्वजनिक जीवन की अपूणर्नीय क्षति हुई है। मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उनके परिवार को शोक संवदेना आपके द्वारा भेजवाने की अपील करता हूं।

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-

मान्यवर, मैं अपने आपको मा0 मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से और नेता प्रतिपक्ष परम सम्मानित राम गोविन्द चौधरी जी से, नेता बहुजन समाज पार्टी परम सम्मानित लालजी वर्मा जी से तथा नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी परम सम्मानित नेता ओम प्रकाश राजभर जी से अपनी संवेदना को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का 6 अगस्त, 2019 को निधन हो गया वह लगभग 67 वर्ष की थीं। श्रीमती सुषमा स्वराज एक प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट राजनेता एवं विलक्षण सांसद थीं उन्हें किसी पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता, पहली युवा सांसद तथा दिल्ली की पहली महिला मुख्य मंत्री होने का गौरव हासिल हुआ। मान्यवर, एक-दो बार दिल्ली में हमारी आपसे मुलाकात हुई थी यह मृदुभाषी और कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान देने का काम करती थीं। कोई भी सच बात वह मुखर होकर बोलती थीं। वह किसी के भी दबाव में कोई कार्य नहीं करती थीं। यही कारण है कि तमाम खाड़ी देशों में फंसे हुए भारतीयों के प्रति उनके हृदय में जो दर्द था उनको वहां से निकालकर उनके परिजनों तक पहुंचाने का जो उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया था इसके लिए उनको सदैव याद किया जाएगा। मान्यवर, मैं अपना दल की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे अनुरोध करता हूं कि दुख में उनका परिवार जो डूबा हुआ है उनके परिजनों तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें और साथ ही साथ इस देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली जी का 24 अगस्त, 2019 को निधन हो गया। वह लगभग 67 वर्ष के थे। मा0 अरूण जेटली जी से हमारी कई बार की मुलाकात रही। वह धीर-वीर गम्भीर और किसी भी विषय को अपने चिंतन के माध्यम से लोगों के बीच में रखने का काम करते थे। मा0 अरूण जेटली का जन्म 28 दिसम्बर, 1952 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने बी0काम0 आनर्स एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की और उन्होंने संघर्ष करते हुये भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया

था। आज जो यह क्षति हुयी है। इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारी पार्टी अपना दल की ओर से हमारी तरफ से शोकसंतृप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने का काम किया जाये और दोनों महान विभूतियों के लिए मैं बाबा भोलेनाथ से यह कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वह अजर-अमर होकर जहां भी जिस भी अगर सूक्ष्म लोक में हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। निश्चित तौर पर हम सब लोग उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए निरन्तर प्रयास करने का काम करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।

श्री अध्यक्ष-

संसार का नियम है कि जिसका जन्म होता है उसे जाना भी पड़ता है। हम सबने अनुभव किया होगा कि विचार की शक्ति बहुत बड़ी होती है और विचार प्रत्यक्ष रूप में दिखायी नहीं पड़ता। अति सूक्ष्म होता है। इतिहास निर्माता महानुभाव विचार को धारण करते हैं, विचार के प्रति अपना आचार और व्यवहार अर्पित करते हैं और विचार के आधार पर ही अपनी जीवन यात्रा चलाते हैं। हम सब विचार कम देख पाते हैं जीवन ज्यादा देख लेते हैं। अरूण जेटली जी और सुषमा जी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विचार को धारण किया था और ऐसा धारण किया था कि केवल इन दोनों का नाम लेते ही हमारे सामने राष्ट्रवाद का विचार जीववान, मूर्तिमंत्र होकर प्रकट हो जाता है। मा0 सुषमा जी के निधन पर, अरूण जेटली जी के निधन पर जो भावनायें मा0 स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदन की तरफ से व्यक्त की हैं और जो भावनायें नेता प्रतिपक्ष मान्यवर श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने विस्तार से व्यक्त की हैं और जो भावनायें मा0 लालजी वर्मा जी ने व्यक्त की हैं और जो भावनायें मा0 अनुराधा जी ने, मा0 ओम प्रकाश जी ने, मा0 पटेल जी ने व्यक्त की हैं। ऐसी भावनाओं को सम्बद्ध करते हुये हम सब इस आदरणीय सदन के सदस्य शोकग्रस्त हैं, शोकाकुल हैं। मैं आप सबकी तरफ से इस आदरणीय सदन की ओर से इस सदन के विचार उनके शोकसंतृप्त परिजनों तक पहुंचा दूंगा। आइये हम सब उनकी स्मृति में शोक में दो मिनट का मौन धारण करें।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

[12:59] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18-12-2019 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें से 20 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की बुलन्दशहर नगर में चांदपुर से लल्ला बाबू चौराहा होते हुए राधानगर बन्धे तक निकलने वाले नाले को सिंचाई विभाग से स्थानान्तरित कर नगर पालिका बुलन्दशहर को दिये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत मेरठ-गढ़ रोड से नगलामल शुगर मिल होते हुए मेरठ-हापुड़ रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 अनिल कुमार मौर्य की नगर निगम झांसी स्थित पाएगा बगीचा स्थित बाहर उन्नाव गेट नाले में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड मशीन

एवं रेडियोलाजिस्ट की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी 'एडवोकेट' की जनपद बहराइच के ब्लाक विशेश्वरगंज अन्तर्गत ग्राम पुरैना बाजार में पानी निकास हेतु पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड हिलौली के कतिपय मार्गों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स' की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज अन्तर्गत 33 के0वी0ए0 के उपकेन्द्र में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा अन्तर्गत नियार, अजगरा माइनर को अजगरा रजबहा के नाम परिवर्तित कराये कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय शहर से दूर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के महमूदाबाद रेउसा रोड पर स्थित नूरपुर पुल का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में खनन माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत शहजादपुर-दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापुर के कतिपय स्थानों पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली सदर के अन्तर्गत गोकुलपुर गरगईया एवं परसाखेड़ा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम मुजासा में खुली नालियों पर पत्थर न होने के कारण फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को अन्य प्रदेशों में दी जा रही सुविधाओं की भांति उ0प्र0 में भी सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग-1 द्वारा तुलसियापुर से भुतहिया, झुंगहवा बजराभरी मार्ग के चौड़ीकरण में अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री संजीव राजा की जनपद सुल्तानपुर के तहसील बल्दीराय में स्थित पूरे पृथपाल मिश्र स्थित दलित महिला की आबादी की जमीन में लेखपाल की मिलीभगत से कब्जा कराये जाने की जांच कराकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही कराते हुए अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बस अड्डा व डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के अन्तर्गत जी0आर0एम0 स्कूल, गोएनका पब्लिक स्कूल, बी0बी0एल0 स्कूल एवं पदमावती एकेडमी में वितरित छात्रवृत्ति प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की अनुमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

बुलन्दशहर नगर में चांदपुर में लल्लाबाबू चौराहा होते हुए राधानगर बन्धे तक निकलने वाले नाले को सिंचाई विभाग से स्थानान्तरित कर नगरपालिका बुलन्दशहर को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 65 बुलन्दशहर के अन्तर्गत चांदपुर से लल्ला बाबू चौराहा होते हुए रोडवेज के पास से राधानगर बन्धा तक नाला बना हुआ है। जोकि पूर्व में सिंचाई के कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था इसलिये यह नाला सिंचाई विभाग के अधीन अभी तक है। अब यह नाला नगर पालिका बुलन्दशहर के बीच बस्ती में हो गया है जो जल निकासी का काम कर रहा है परन्तु यह नाला सिंचाई विभाग के अधीन होने के कारण न तो नगर पालिका इसकी सफाई करवा सकती है और न ही इसके किनारे सड़क का निर्माण करा पा रही है जिससे जनहित प्रभावित हो रहा है। आम जनमानस की मांग है कि इस नाले को सिंचाई विभाग से हस्तान्तरित करके नगर पालिका बुलन्दशहर के स्वामित्व में दे दिया जाय जिससे इस नाले की नियमित सफाई के साथ-साथ आवागमन हेतु सड़क का निर्माण भी हो सके।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त नाले का स्वामित्व नगर पालिका बुलन्दशहर को दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत मेरठ-गढ़ रोड से नंगलामल शुगर मिल होते हुए मेरठ-हापुड़ रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र-46, किठौर जनपद मेरठ के अन्तर्गत, मेरठ-गढ़ रोड से नंगलामल शुगर मिल होते हुए मेरठ-हापुड़ तक लगभग 9 किलोमीटर सड़क कम चौड़ी है। ये सड़क लगभग 42 गांवो के मुख्य मार्गों को जोड़ती है। सभी गांवो के किसानों को गन्ना ले जाने व ग्रामवासियों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनहित में मेरठ-गढ़ रोड से नंगलामल शुगरमिल होते हुए मेरठ-हापुड़ तक लगभग 9 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नगर निगम झांसी स्थित पाएगा बगिया स्थित बाहर उन्नाव गेट नाले में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय सादर, अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि नगर निगम झांसी के पाएगा बगिया बाहर उन्नाव गेट स्थित नाले में जल भराव के कारण मोहल्ले वासियों के निजी खेतों में जल भराव हो रहा है। जिससे मच्छर पनप रहे हैं जमीन गंदे पानी को सोख रही है। जिससे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोग दूषित गन्दे पानी पीने को मजबूर हैं जिससे जन मानस डेंगू, मलेरिया तथा अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं।

अतः महोदय से अनरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त नाले की सफाई एवं जल भराव को खाली करवाने की ओर करना चाहता हूं।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[महोदय, अवगत कराना है कि अति पिछड़े जनपद बलरामपुर मुख्यालय पर स्थित मात्र एक महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं रेडियोलॉजिस्ट तथा एनेस्थीसिया (बेहोशी के डॉक्टर) न होने के कारण गर्भवती महिलाओं का समय से एक्स-रे न होने के कारण तथा गम्भीर रूप से बीमारी के कारण आपरेशन इत्यादि न होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में महिला चिकित्सालय बलरामपुर में अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं रेडियोलॉजिस्ट तथा एनेस्थीसिया (बेहोशी के डॉक्टर) की उपलब्धता किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए महिला चिकित्सालय बलरामपुर में अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं रेडियोलॉजिस्ट तथा एनेस्थीसिया (बेहोशी के डॉक्टर) की उपलब्धता किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के ब्लाक विशेश्वरगंज अन्तर्गत ग्राम पुरैना बाजार में पानी निकास हेतु पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी 'एडवोकेट'-

[महोदय, उक्त बाजार पुरैना के दक्षिण से आर्यावर्त बैंक से लेकर उत्तर नहर के पुल के पार तक लगभग 800 मीटर दूरी तक बाजार है। पानी का निकास न होने से आवागमन में दिक्कत होती है। विशेष रूप से बरसात में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुरैना बाजार में सड़क के दोनों तरफ पक्की नाली बनाकर उचित स्थान पर पानी निकास कराए जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत विकास खण्ड हिलौली के कतिपय मार्गो का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र 167, पुरवा उन्नाव के विकास खण्ड-हिलौली अन्तर्गत, आबादी भाग के कतिपय मार्ग, गोनामऊ से भवानी गंज सम्पर्क मार्ग, बिसारा सम्पर्क मार्ग,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बछौरा से असरीखेड़ा सम्पर्क मार्ग, बेहटा सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। उक्त आबादी भाग के मार्गों में अत्यधिक जल भराव के कारण क्षेत्रवासियों एवं आम जनमानस को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का सीमेंट कंक्रीट मार्ग/नव निर्माण कराये जाने का कई बार अनुरोध किया गया है पर अभी तक उक्त मार्ग का कंक्रीट मार्ग/नव निर्माण कार्य नही किया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस सम्मानित सदन का एक अबिलम्नीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज अन्तर्गत 33 के0वी0ए0 के उपकेन्द्र में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स'-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम अकबरिया में 33 के0वी0ए0 का उपकेन्द्र नव निर्माण का कार्य चल रहा है जो अत्यन्त ही निम्न स्तर का बनाया जा रहा है जो मानक के विपरीत है। इसी ग्राम में जो बिजली के खम्भं लग रहे हैं उन खम्भों के नीचे सिमेंट तक नहीं डाला जा रहा है । जिसकी शिकायत जिले स्तर पर क्षेत्रवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों से की गयी है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मानक के विपरीत चल रहे इस कार्य से जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा अन्तर्गत नियार, अजगरा माइनर को अजगरा रजबहा के नाम परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-385 अजगरा, जनपद-वाराणसी में स्थित सिंचाई विभाग की नहर जो दानगंज नियार होते हुए अजगरा तक है, जिसमें सफाई का कार्य कराया जा रहा है, परन्तु सिचाई हेतु जल की आपूर्ति कई वर्षों से बाधित है, जिससे सैकड़ों गांवों के किसान सिंचाई से वंचित हैं। जिसकी सूचना मेरे द्वारा पूर्व में भी मा0 सिचाई मंत्री जी को दी गयी हैं।

चूंकि उक्त माइनर नहर केराकत रजवाहा से संचालित है। जिसको परिवर्तित कर अजगरा राजवाहा कर दिया जाय, ताकि सिंचाई विभाग पूरी जिम्मेदारी से अजगरा रजवाहा टेल तक किसानों के हित में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी। जिससे किसानों को सिंचाई हेतु जल आपूर्ति होती रहेगी, साथ ही सरकार की किसान हित की मंशा को भी पूरा करेगा।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनपद-वाराणसी के 385 अजगरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत, अजगरा माइनर को अजगरा रजवाहा के नाम से परिवर्ति करने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय शहर से दूर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय पूर्व में शहर के बीचोबीच उर्सला अस्पताल में स्थित था। शहर में कचेहरी, जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस लाइन इत्यादि नागरिक सुविधाओं सम्बन्धित सभी अधिकारी बड़ा चौराहा से एक किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। कुछ समय पूर्व सी0एम0ओ0 कार्यालय, रामादेवी स्थित काशीराम ट्रामा सेन्टर में स्थानान्तरित कर दिया गया है जो बड़ा चौराहा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अनेक जनता के लोग मेडिकल रिपोर्ट, दिव्यांग जांच इत्यादि कार्यों के लिये दूर जाने को मजबूर होते है। जबकि अन्य सभी जन उपयोगी अधिकारी बड़ा चौराहा के पास हैं। बड़ा चौराहा की परिधि में पूर्व का स्थान, उर्सला हास्पिटल व टी0वी0 अस्पताल, जैसे स्थान कार्यालय हेतु उपलब्ध है। ये अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय शहर के प्रशासनिक केन्द्र बड़ा चौराहा के निकट स्थापित करने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद रेउसा रोड पर स्थित नूरपूर पुल का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय को ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर पर महमूदाबाद रेउसा रोड पर स्थित नूरपुर पुल संकरा होने के कारण चौबीसो घण्टे जाम लगा रहता है। इस पुल का निर्माण वर्ष 1972 में सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था। इस पुल की चौड़ाई बहुत कम होने के कारण आये दिन जाम की समस्या बनी रहती है और लोगों का आवागमन वर्तमान समय बहुत अधिक है। इतना अधिक जाम लग जाता है कि लोगों को कई घण्टे फंसा रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए उक्त पुल का चौड़ीकरण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त पुल का चौड़ीकरण किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में खनन माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[मान्यवर, जनहित में लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि जनपद-सहारनपुर की तहसील बेहट में पट्टे, न होने **खनन के पट्टे न होने के बावजूद भी खनन माफिया अधिकारियों की मिलीभगत होने से अवैध खनन कर रहे हैं** तथा स्टोन क्रेशर चलाने वाले भी धड़ल्ले से मशीनों से यमुना में खनन कर रहे हैं। थाना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम नगली के पास तो खनन माफिया ने गांव के श्मशान की भूमि ही खोद डाली है।

सरकार पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए बेशक अभियान चला रही हो या कस्बा क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी अवैध खनन नहीं होने के दावे कर रहे लेकिन क्षेत्र में दोनों दावों की हवा निकली हुई है। यमुना नदी में अवैध खनन जारी है, जबकि स्टोन क्रेशर से उड़ती धूल पर्यावरण को भी चुनौती दे रही है।]

बरथा आदि यमुना घाटों पर तो स्टॉक की आड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन व स्टोन क्रेशर चल रहे हैं। खनन विभाग है कि स्टॉक की परमिशन तो जारी करता है लेकिन स्टॉक कहां है, इसकी जांच नहीं करता, जबकि सच्चाई यह है कि यह अवैध खनन कर उस अनुज्ञा पत्र की आड़ में धंधा किया जा रहा है। यह स्थिति यमुना नदी में मिर्जापुर से चिलकाना तक बनी हुई है तथा आस-पास की छोटी-बड़ी नदियों में भी इसी अनुज्ञा-पत्र की आड़ में खनन माफियाओं द्वारा खनन का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। सरकार को भी राजस्व हानि हो रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत शहजादपुर, दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत शहजादपुर-दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग चनवा चौराहा से ग्राम सभा अधियरवा से होते हुए ग्राम सभा लोरपुर ताजन तक की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का पिच निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के कतिपय स्थानों पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के वि0ख0-प्रतापपुर के अन्तर्गत

1-वि0ख0- प्रतापपुर के साथरडीह में बनी पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है।

2-वि0ख0-सैदापुर-बलीपुर हाई-वे के उत्तर की तरफ पुलिया का निर्माण।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-वि0ख0-प्रतापपुर के गुलचपा पानी की टंकी के आगे से उत्तर की तरफ अमोलवा की तरफ कच्चे मार्ग की पुलिया पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है जिससे क्षेत्रीय जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा सत्र के माध्यम से पूर्व में भी सदन में उठाया गया था। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे जनमानस को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति विस्फोटक है।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त वि0ख0 की ध्वस्त पुलियों का नव निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली सदर के अन्तर्गत गोकुलपुर गरगईया एवं परसाखेड़ा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बरेली नगर निगम बने हुए लगभग 40 वर्ष हो गये लेकिन आज भी गोकुलपुर, गरगईया एवं परसाखेड़ा गौटिया जो पहले गांव थे और अब नगर निगम का हिस्सा है, के निवासियों को एन0एच0-24 जो लगभग 250 मी0 पास से निकलता है, पर आने के लिए कोई सड़क नहीं है। बरेली नगर निगम बोर्ड ने इसके लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया है। मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार नगर निगम बोर्ड के प्रस्ताव के अनुरूप किसानों से जमीन खरीद कर (जो सर्किल रेट पर देने को तैयार) यहां पर जनहित में सड़क बनवायी जाये ताकि यहां की जनता को आवागमन में साहूलियत हो सके तथा क्षेत्र का विकास हो।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम मुजासा में खुली नालियों पर पत्थर न होने के कारण फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम-मुजासा में शंकर जी के मंदिर के आगे चिप्पू की आरा मशीन से हरी के मकान तक दोनों तरफ नालियों की सफाई न होने तथा नालियों पर पत्थर न होने के कारण बीमारियां फैल रही है जिससे वहां के निवासी बीमार हो रहे हैं। कृपया नालियों के ऊपर पत्थर न रखे जाने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।

अतः माननीय महोदय जनहित को देखते हुए अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं को अन्य प्रदेशों में दी जा रही सुविधाओं की भांति उ0प्र0 में भी सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश रावत-

[मान्यवर, सादर निवेदन करना है कि देश के युवा पुरुष/महिला एवं स्वैच्छिक संगठनों जिनके द्वारा राष्ट्र के विकास एवं सामाजिक कार्यों द्वारा अद्वितीय एवं सराहनीय योगदान के लिए

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनकी चयन सूची समस्त राज्यों के विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तैयार की जाती है। तदुपरान्त प्रदेश सरकारें भारत सरकार को सूची भेजती हैं। भारत सरकार प्रदेशों से प्राप्त सूची में से कम से कम 10 युवाआ को युवा दिवस पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करती है। यह सौभाग्य का विषय है कि इस वर्ष दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है। मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मा0 युवा कल्याण मंत्री ने युवाओं को महत्व दिया है। इसी क्रम में सम्पूर्ण भारत से पांच हजार एवं उ0प्र0 से पांच हजार कुल 10 हजार युवा उक्त कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे।]

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं जिनकी संख्या 28 मात्र है, को अन्य प्रदेशों यथा राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब राज्य में दी जा रही सुविधाओं की भांति उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों को भी सुविधायें दिलाये जाने का कष्ट करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग-1 द्वारा तुलसियापुर से भुतहिया, झुंगहवा के बजराभरी मार्ग के चौडीकरण में अधिग्रहीत की गयी जमीन का मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत तहसील शोहरतगढ़ के ग्राम खैरी उर्फ झुंगहवा के तुलसियापुर से भुतहिया, झुंगहा बजराभरी मार्ग लम्बाई लगभग 1.00 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग की सड़क गाटा संख्या 986, 1000, 988, 912, 966, 967, 968, 969, 970, 935, 936, 957, 1048, 548 एवं 171 से होकर गुजरती है, का चौड़ीकरण किया गया, जिसका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं दिया गया है। यह किसी भी दशा में उचित नहीं है।

ग्रामवासी सामाजिक एवं आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लोक निर्माण के अधिकारियों के मौखिक आदेश के डर से गांव के 29 लोगों ने स्वयं ही अपना घर तोड़ लिये हैं। शेष गांव में बूढ़ी राप्ती नदी पुल तक चौड़ीकरण करने में कोई बाधा नहीं है। भुतहवा और खैरी उर्फ झुंगहवा दोनों गांव बूढ़ी राप्ती नदी पर आबाद हैं एवं बाढ़ से प्रभावित होते आ रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण के बजाय नदी के कटान को रोका जाना आवश्यक है।

ग्राम खैरी उर्फ झुंगहवा में पुनः चौड़ीकरण के नाम पर किसानों से अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। क्षेत्रीय किसानों में पूर्व में ली गयी जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के कारण काफी आक्रोश है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त धनराशि के भुगतान से सम्बन्धित इस लोक महत्व के विषय पर अविलम्बनीय चर्चा कराने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के तहसील-बल्दीराय में स्थित पूरे प्रथमपाल मिश्र स्थित दलित महिला की आबादी की जमीन में लेखपाल की मिलीभगत के कब्जा कराये जाने की जांच कराकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही कराते हुए अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजीव राजा-

[मान्यवर, आपका ध्यान जनपद-सुल्तानपुर की तहसील-बल्दीराय के मौजा बहुरावां स्थित पूरे पृथपाल मिश्र की निवासिनी कुसुमा पत्नी सन्तू पासी के आवास की तरफ में लाना चाहता हूं। जिसकी घर की आबादी जिसमें इसका द्वार भी है, लेखपाल की मिलीभगत से पड़ोसी के द्वारा कब्जा किया गया है जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से इसके द्वारा किया गया है जिसकी जांच उसी लेखपाल को दिया गया है। मान्यवर आपके में लाना यह आवश्यक है कि यह लेखपाल सपा शासन से वहीं तैनात है तथा दबंगो से मिलकर दलित महिला की जमीन पर कब्जा करा रहा है।

मान्यवर, लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं, इस मामले की जांच उच्च स्तर पर करा करके गरीब दलित छः बच्चों की मां की आबादी की जमीन वापस दिलाने तथा दोषी जांच अधिकारी (लेखपाल) पर कार्यवाही कराने की कृपा करते हुए सदन में उत्तर दिलाने की कृपा करें ताकि उस गरीब दलित महिला को न्याय मिल सके।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बस अड्डा व डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र-225, गरौठा झांसी अन्तर्गत गुरसराय नगर क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र का व्यापारिक एवं किसानों का केन्द्र है। जहां पर आने-जाने के लिए न तो रोडवेज बस अड्डा है और न ही प्राइवेट बसों का भी कोई बस अड्डा है गुरसराय नगर पालिका के द्वारा पूर्व में ही गुरसराय रोड पर कालेज के पास जमीन प्रस्तावित कर रखी है। क्षेत्रवासियों के लिए रोडवेज बस अड्डा व डिपो बनना अति आवश्यक है। झांसी मुख्यालय भी गुरसराय/गरौठा क्षेत्र से 100 कि0मी0 से अधिक है। जिस कारण आमजन को काफी कठिनाई होती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा के अन्तर्गत जी0आर0एम0 स्कूल गोयनका पब्लिक स्कूल, बी0बी0एल0 स्कूल एवं पद्मावती एकेडमी में वितरित छात्रवृत्ति प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र भोजीपुरा जनपद बरेली के अन्तर्गत डोहरा रोड पर जी0आर0एम0 स्कूल, गोयनका पब्लिक स्कूल तथा पीलीभीत रोड बी0बी0एल0 स्कूल एवं पद्मावती एकेडमी में कक्षा 1 से 5 तक गरीब छात्र/छात्राओं के कितने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रवेश किये गये हैं तथा पिछड़े, अनुसूचित एवं सामान्य वर्ग के कितने छात्र एवं छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गयी है। जनहित एवं छात्रहित में उक्त प्रकरण की जांच कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

निम्न मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार कर दी गयीं :-

1. श्री दलवीर सिंह,
2. श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
3. श्री संजीव कुमार दिवाकर,
4. श्री संजय,
5. श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट',
6. श्री कमलेश शुक्ल,
7. श्री प्रमोद उटवाल,
8. श्री वीरेन्द्र कुमार यादव,
9. श्री संजय गर्ग,
10. श्री नरेश सैनी,
11. श्री आजाद अरिमर्दन,
12. श्री संजय प्रताप जायसवाल,
13. श्री रमेश चन्द्र मिश्र,
14. श्री रोशन लाल वर्मा,
15. डॉ0 डी0सी0 वर्मा।

उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) †

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2012 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2012 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं

† छापा नहीं गया।

उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 †

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2017 (लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) †

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01-2017 (लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-08, 09, 10, 11 इसमें कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 †

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक कार्य-सूची का मद 13(क) और 13 (ख) भी है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 †

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

[01:05] पुलिस एवं अधिकारियों द्वारा की गयी दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध श्री नन्द किशोर गुर्जर द्वारा पीठ से न्याय दिलाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

मा0 नन्द किशोर जी आप अपनी बात कह लीजिए।

***श्री नन्द किशोर गुर्जर-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, कल मेरे कारण सदन में जो असहज स्थिति उत्पन्न हुई उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता रहा हूं और कई दायित्वों पर रहा हूं। मेरी विधान सभा लोनी बहुत पिछड़ी हुई विधान सभा है उसी के संबंध में मैं कल बोलना चाह रहा था। वहां अपराधियों का बहुत बोलबाला रहा है, वहां माफिया विधायक रहे उनके कारण कई बार हमला भी हुआ, अपराधी पकड़े भी गये। एक घटना जो फूड इंस्पेक्टर की हुई उसे अधिकारियों ने बहुत गलत तरीके से पेश किया। कल जब सारी बात हुई उसके बावजूद जिले के द्वारा जो रिपोर्ट शासन को भेजी गयी उसमें मेरे ऊपर 12 मुकदमें दर्ज बताए गये जबकि मेरे ऊपर 03 मुकदमें दर्ज हैं। एक, मेरठ में अंग्रेजों ने आकर शहीदों का अपमान किया था उसका मैंने विरोध किया था जब मैं छात्रसंघ का अध्यक्ष था। दूसरा मुकदमा, बसपा की सरकार थी, एक बड़े नेता ने कहने पर जिन्होंने गाय काटी उन्हें छोड़ दिया और गुप्ता जी को थाने में बंद कर दिया गया, केवल उसका मैंने विरोध किया था। तीसरा, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चला था उसके लिए हमने ज्ञापन दिया था। इन तीन के अलावा कोई चौथा मुकदमा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अधिकारियों ने मुझ पर धमकाने, बंधक बनाने, बवाल करने की जो बातें कही है उनकी आप जांच करा लें, मुझे आप पर और पीठ पर पूरा भरोसा है, आप पूरे सदन के संरक्षक है। मैं दोबारा आपसे खेद व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, विधान सभा के ज्यादातर सदस्य वैल-क्वालीफाइड हैं, मैं खुद मैकैनिकल से इंजीनियर रहा हूं, लॉ भी किया है, कई सब्जेक्ट में पी0जी0 किया है और अधिकारी ग्रेजुऐशन करने के बाद नेताओं को बेईमान समझते हैं और अपने आप को ईमानदार समझते हैं (मेजें थपथपाई गयीं) आप सभी विधायकों और मंत्रियों की संपत्ति की जांच करा लें और अधिकारियों की संपत्ति की जांच करा लें (मेजें थपथपाई गयीं), उनकी पत्नियों के नाम पर जो एन0जी0ओ0 है उनकी जांच करा लें (मेजें थपथपाई गयीं)। मैंने राजनीति में आते समय प्रण किया था कि एक रुपए कमीशन नहीं लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कांग्रेस का काल तो नहीं देखा लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स0पा0 और ब0स0पा0 काल देखा है जब मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह सिस्टम तो पहले से चला आ रहा है। यह जो कमीशन का सिस्टम है, यह कब बन्द होगा ? जब माननीय मुख्य मंत्री जी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं और पूरा सदन यह मानता है कि उनकी ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं है। उसके बावजूद अधिकारी नाक के नीचे बैठकर हमारी निधि में, हम एक पैसा नहीं लेते हैं। अगर कोई ठेकेदार या कोई कह दे तो हम आज ही रिजाइन देकर चले जायेंगे, इस बात को भी गलत माना जाता है। (सत्तापक्ष के मा0 विधायकगण ने मेजें थपथपाईं) 18 परसेण्ट से 22 परसेण्ट तक तो हमारी निधि में कमीशन लिया जाता है। जब हम इस बात पर नाराज हुए तो नीचे से तमाम अधिकारी इस प्रकार की रिपोर्ट भेजते हैं। मैंने एवीडेन्स दे करके दर्जनों दरोगाओं, सी0ओ0, कानूनगो, पटवारी आदि की रिश्वत लेते हुए स्टिंग कराकर सस्पेंड कराया, मेरे पास टीम है। उन सब ने माहौल बना कर ऊपर लिखकर भेज दिया कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, इससे मुझे दुःख हुआ है। (कुछ मा0 सदस्यों ने शेम-शेम के नारे लगाये) इसमें यह तय हो जाय। मान्यवर, जो अधिकारी ईमानदार हैं, उनका मैंने अभिनन्दन भी किया है। हमारे यहां ऐसे अधिकारी आए हैं, जो वास्तव में डेड ऑनेस्ट थे। लेकिन ऐसे केवल 2-3 परसेण्ट बचे हैं। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी सरकार में हम 04 परसेण्ट कम कमीशन ले रहे हैं, मैंने कहा कि 04 परसेण्ट कम कमीशन ले रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं ? बोले कि पिछली सरकारों में, सपा, बसपा में तो हम ज्यादा कमीशन लेते थे तो इस तरह की स्थितियां हैं, इन पर विशेष गौर कर लिया जाए। सदन को या पीठ को अगर कहीं भी मेरे द्वारा कोई ऐसी बात हुई है तो मुझे खेद है। मान्यवर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका जो विषय है, उसे लिखकर दे देना।

श्री नन्द किशोर गुर्जर-

मान्यवर, जो कुछ भी हुआ, वह सब बात आपके सामने कल आ ही गयी है। जिस तरह पुलिस ने किया, ले जाकर बन्द किया। मुझे सदन से उम्मीद है, आप हम सब के संरक्षक हैं, आप हमें न्याय देंगे। लेकिन मेरी विधान सभा का मसला बड़ा गंभीर है। 'जिला गाजियाबाद' फिल्म माफियाओं के ऊपर बनी है। हमारे यहां सपा के विधायक हुए, बहुत बड़े माफिया, सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने हमारी सरकार के अधिकारियों से मिल करके पैसे तय किए और बदमाश पकड़े गए। मैंने शिकायत की, उन्होंने 05 लाख एडवांस दे दिए थे तो इस पर भी मेरी मदद की जाए। जो उसमें दोषी अधिकारी थे, पैसे देने और अपराधियों से मिलने में, मेरी किसी अधिकारी से कोई और लड़ाई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आप पता कर सकते हैं, कोई एक भी अधिकारी कह दे जो ईमानदार अधिकारी है कि मैंने पूरे जीवन में किसी अधिकारी को कुछ कहा हो। पब्लिक का कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने किसी को कुछ कहा हो। जिस अधिकारी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, जो घटना घटी थी, वह अधिकारी एक वीडियो में एक पत्रकार से कह रही हैं कि मुझे तो कुछ अधिकारियों ने मोहरा बना दिया। मैं इतना मानसिक रूप से पीड़ित रहा। मान्यवर, दूसरी जब सरकारें रहीं, किसी की हिम्मत मुझे पकड़ने की नहीं हुई। अब इस तरह से जो हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे और दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठें, आपकी पूरी बात आ गयी है।

श्री नन्द किशोर गुर्जर-

अध्यक्ष जी, जो पुरानी परम्परा चली आ रही है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की, चाहे वह सपा के टाइम शुरू हुई, चाहे बसपा के टाइम शुरू हुई या कांग्रेस की सरकार में हुई, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिन अधिकारियों ने इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है, मुझे उम्मीद है कि यह शुरूआत आज होगी और पूरे सदन के लोग चाहते हैं, उनकी भी जांच हो जाये और हमारी भी जांच हो जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-56 की सूचनाएं लेता हूं।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

अध्यक्ष जी, यह गम्भीर विषय है, पहले इस पर सरकार का जवाब आ जाए। एक विधायक के साथ कोई अधिकारी इस तरह का व्यवहार करे, इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कोई सवाल नहीं किया है।

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपनी और अपने क्षेत्र की जो भी पीड़ा बतायी है, पीठ से अनुरोध किया है और उस पर पीठ को निर्णय लेना है। जो भी पीठ का निर्देश होगा, सरकार उसका अनुपालन करेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय लल्लू जी, सरकार का उत्तर आ गया है कि जो भी अध्यक्ष का निर्णय आयेगा, उसे सरकार मानेगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

जब सत्तापक्ष का विधायक पीड़ित है तो विपक्ष के विधायक का क्या हाल होगा ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर की स्थिति)

(शोर की स्थिति के मध्य)

अध्यक्ष जी, ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अगर एक जनप्रतिनिधि का अपमान हुआ है तो इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए, सरकार इस पर मा0 सदस्यों को आश्वस्त करे।

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 राम गोविन्द चौधरी जी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-56 में बोलने का मौका दिया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अभी कहां आपको मौका दिया है ? अभी तो आप किसी दूसरे विषय में खड़े हैं। अच्छा अब आप नियम-56 पर ही बोल रहे हैं न तो पहले आप बोलेंगे कि मा0 नरेन्द्र जी बोलेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं नियम-311 पर बोल रहा हूं। देश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर हमारा भी कार्य-स्थगन है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 वर्मा जी आपको भी सुनेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह सरकार विधायकों के प्रति गम्भीर नहीं है, उनको उपेक्षित कर रही है। इसलिए सरकार के इस रवैये पर हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी, आप मा0 नेता प्रतिपक्ष के विरोध पर बाहर जा रहे हैं या सरकार के।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

सरकार के।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

[01:14] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में बच्चियों से छेड़खानी, बच्चियों से रेप, बलात्कार और बलात्कार करने के बाद उनको जला देना, ऐसी दुखद घटनाएं हजारों की संख्या में हो रही हैं। इसी कारण अन्तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिलाओं से छेड़छाड़, बच्चियों से छेड़छाड़, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं जो अभी उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उससे दुनिया में उत्तर प्रदेश एक नम्बर हो गया है। श्रीमनू, मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लगता है उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। मा0 अध्यक्ष जी, अमेरिका और इंग्लैण्ड ने अपने यहां एडवाइजरी जारी की है कि महिला पर्यटक हिन्दुस्तान न जाएं और मुख्यतः उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल न जाएं। मा0 अध्यक्ष जी, आज हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माताओं, बहनों, छात्राओं, लड़कियों के साथ अमानुषिक कार्य के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण हमारे उत्तर प्रदेश का सिर झुक गया है। आज संसदीय कार्य मंत्री यहां नहीं हैं, कल कह रहे थे कि जब से योगी जी का राज आया है, कानून-व्यवस्था में

सुधार हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार में, मायावती की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से टिप्पणी नहीं की और कभी अन्तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की। कभी अमेरिका, इंग्लैण्ड जैसे देशों को अपने देश के पर्यटकों को ऐसी एडवाइजरी देने की जरूरत नहीं पड़ी। मा0 अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और मेरे पास ये पूरा पोथा है। आप कहेंगे कि इसको पढ़ने में टाइम लगेगा लेकिन 27 जुलाई से 16 दिसम्बर, 2019 तक बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं पेज 15 में लिखी गई हैं। 27 जुलाई से 16 दिसम्बर तक जो हत्याएं हुई हैं वे पेज 18 में लिखी गई हैं। 27 जुलाई से 16 दिसम्बर तक डकैती, लूटपाट, अपहरण, मारपीट, ठगी, चोरी की जो घटनाएं हैं वे पेज 36 में लिखी गई हैं। श्रीमन्, 27 जुलाई से 16 दिसम्बर तक साइबर क्राइम की कुल घटनाएं पेज संख्या-5 में निर्धारित हैं। आप कहें तो मैं एक-एक घटना का जिक्र कर दूं, आपकी आज्ञा हो तो कर दूं, नहीं तो मोटे तौर पर बता दूं।

श्री अध्यक्ष-

आप यह सब हमको दे देना, हम पढ़ेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमारा तो सब कुछ आप ही का है। 27 जुलाई 2019 से 16 दिसम्बर 2019 तक लखनऊ से प्रकाशित समाचार-पत्रों में दी गयी प्रमुख घटनाओं के आंकड़ों की सूची के अनुसार प्रदेश में जो घटनायें हुई हैं, उसमें बलात्कार 78 हुये हैं, बलात्कार के बाद हत्या-13, छेड़छाड़-44 मामले, हत्यायें-97, डकैती, लूटपाट, अपहरण, मारपीट, ठगी, चोरी-307 और साइबर क्राइम-42 मामले दर्ज हुये हैं। कुल घटनाओं की संख्या 581 है। इतने ही दिनों में, इन्हीं दो-तीन महीनों में ये हुआ है। मैं केवल लखनऊ की बात आपसे कह रहा हूं। श्रीमन् आप हमारी तरफ मुखातिफ हो, बाद में उसको पढ़ियेगा, क्योंकि आप ही हमारी बात सुनेंगे सरकार तो सुनेगी नहीं। जबकि इनके आंकड़ों के अनुसार 27 जुलाई, 2019 से 16 दिसम्बर 2019 में केवल लखनऊ में ये घटनायें हुईं हैं बलात्कार-18, छेड़छाड़-35, हत्याएं-48, डकैती, लूटपाट, अपहरण, मारपीट, ठगी, चोरी-257, साइबर क्राइम-37 इस तरह से कुल घटनाओं की संख्या-395 दर्ज हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह क्या दर्शाता है उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति क्या है ? यही नहीं श्रीमन् जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है दुष्कर्म के अपराधों में भारत दुनिया में 5 वें स्थान पर पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में 15 नवम्बर, 2019 तक 2553 दुष्कर्म/बलात्कार की घटनायें घटित हो चुकी हैं। केवल जनपद उन्नाव में 11 महीने के भीतर रेप की 86 घटनायें हो चुकी हैं। हद तो तब हो गई है श्रीमन् जब कल ही बिजनौर में सी0जे0एम0 की न्यायालय में अपराधी घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दे रहे हैं। सी0जे0एम0 के स्टेनो को गोली लगी, 2 सिपाहियों को गोली लगी और सी0जे0एम0 साहब जो लोगों को न्याय देते हैं उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अब लोग न्याय के लिए कहां जायेंगे जब न्यायालय ही सुरक्षित नहीं हैं, जब गांव सुरक्षित नहीं हैं, शहर सुरक्षित नहीं हैं। बेटी-बहन सुरक्षित नहीं, भाई सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं है, क्यों सरकार पंगु बनी हुई है, कोई चूं नहीं कर रहा है और निर्लज्जता से सरकार कहती है कि हमारी कानून-व्यवस्था ठीक है।

माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में लोक लाज लोकतंत्र का गहना है और जिस सरकार की लोक लाज गई वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। इसके आगे क्या हुआ माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस को छूट दी कि जो पुलिस के लोग अपराधियों का इनकाउण्टर करके मार देंगे उनकी पदोन्नति होगी, उनको पुरस्कार दिया जायेगा। पुरस्कार और पदोन्नति पाने के लिए ये हो रहा है, असल अपराधी तो आसानी से नहीं मिलते हैं जो छोटे-मोटे अपराधी कभी रहे थे अब जिनका मुकद्मा खत्म हो गया है, घर-किसानी कर रहे है, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, फल बेच रहे हैं अपने-अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे लोगों का इनकाउण्टर फर्जी तरीके से कर दिया गया केवल प्रमोशन पाने के लिए और पुरस्कार पाने के लिए। जो वास्तव में अपराधी थे उनमें से एक भी बड़ा अपराधी कोई पुलिस मुठभेड़ में नहीं मारा गया। पुलिस के भी पैर में गोली लग रही है और बदमाश के भी पैर में गोली लग रही है। श्रीमन् मुजफ्फरनगर में एक इनकाउण्टर हुआ पुलिस ने एफ0आई0आर0 में लिखा कि अपराधी मोटर साइकिल से आ रहे थे, जब पुलिस ने रोका तो फायरिंग करते हुए भागे। पुलिस ने पीछा किया, दोनों ओर से गोली चली और मार दिया गया। श्रीमान्, आपसे मैं कहता हूं कि आप विधान सभा के सत्तापक्ष के ही किन्हीं दो लोगों को वहां भेज दें। उस गांव के लोगों का कहना है कि वह आदमी मोटरसाइकिल चलाता ही नहीं था। इतना गरीब था कि मोटरसाइकिल उसके पास थी भी नहीं और चलाना भी नहीं जानता था। ऐसे ही एक गुर्जर लड़का मुजफ्फरनगर का था जो सब्जी खरीदने बाजार गया था।

श्री अध्यक्ष-

यह जो आप विस्तार से बता रहे हैं सरकार की तो किसी एक घटना की, दो घटना की तैयारी होगी, पूरे विस्तार से फिर चर्चा हो जाएगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, यह तो पहले से तय हो गया था कि आज कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा तो होगी लेकिन नियम-56 या किसी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह तो पहले तय हो गया था।

श्री अध्यक्ष-

वह तो तय है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सुन लीजिए यदि सुनेंगे भी नहीं तो बात जानेंगे कैसे ? सरकार कैसे जानेगी ? जब हमारी बात हो जाएगी, माननीय लालजी वर्मा की बात हो जाएगी, सबकी बात हो जाएगी तो सरकार उसका उत्तर देगी। यही परम्परा है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो ठीक बात है लेकिन उत्तर किस घटना का सरकार देगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सभी घटनाओं का उत्तर देगी। प्रदेश की पूरी जानकारी सरकार के पास है। प्रत्येक घटना की जानकारी सरकार के पास है। थाने सरकार के हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री रहे हैं जिस घटना के बारे में सवाल होता है उसी घटना की तैयारी मंत्री करता है।

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई मंत्री विपक्ष में चला जाता है तो फार्मूला बदल जाता है इसलिए इन्होंने अब फार्मूले बदल दिए हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मित्र हैं और इतने सौभाग्यशाली हैं कि कभी पैदल नहीं हुए, गाड़ी हमेशा इन्हें मिली। सरकार में रहे तो मंत्री, विपक्ष में रहे तो नेता विरोधी दल।

श्री अध्यक्ष-

तो गाड़ी तो आपके पास भी है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान परिषद् में माननीय अहमद हसन जी हैं, विधान सभा में यह हैं। वह भी रिटायर हुए उसके बाद सरकारी गाड़ी मिली, जिंदगी भर सरकारी गाड़ी पर चढ़े तो इनको भी कभी सरकारी गाड़ी ने छोड़ा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इसको भी हम नियम-56 में सुन रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी यह आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन मरता क्या नहीं करता। हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम जनता के सेवक हैं जो जनता की हम तबाही देख रहे हैं, अपनी बेटियों की, बहनों की, मां की जो लुटती हुई इज्जत को देख रहे हैं हम कहां पर कहने जायें ? यही जगह है कि हम आपके माध्यम से सरकार को बता सकें कि तुम्हारी कानून व्यवस्था बद् से बद्तर है। अगर थोड़ी-सी भी नैतिकता इस सरकार में होती तो सरकार इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव में जाती लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा सरकार नहीं करेगी। अभी आपके सत्तापक्ष के एक विधायक ने खड़े होकर अपनी बात कही। कल भी वह खड़े हुए थे।

कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

अध्यक्ष जी, आप अभी हाल ही में उप चुनाव में गये थे और उस चुनाव में भी जनता ने जो आपकी हालत बनायी वह आपने देखा है। अभी हाल ही में एक महीने पहले हुआ है तो हमें फिर से अपनी सरकार को चलाने का मैनडेट मिला है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपको हमेशा मिर्ची क्यों लग जाती है, आप मित्र हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

हमारी नीतियों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, योजनाओं के बारे में इतनी अच्छी तरह से हमने सरकार चलायी है और कानून व्यवस्था को ठीक किया है कि मान्यवर, उसी का परिणाम रहा है कि हम 12 में से 10 सीटें जीतकर आए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, उन्नाव की बलात्कार की घटना है। वह लड़की कोर्ट जा रही थी जिसे बीच में ही घेरकर जला कर मार दिया गया। उसके बाद फतेहपुर में बलात्कार करने के बाद जलाकर मार दिया गया। मैनपुरी में बलात्कार करने के बाद जलाकर मार दिया गया। सैंकड़ों बहनें शोहदों के डर से जलकर खुद भी मर गयी हैं। अपनी इज्जत को नीलाम होते हुए देखकर सैंकड़ों हमारी बेटियों ने पढ़ाई छोड़ दी। सैंकड़ों बच्चियों को स्कूल जाने से उनके गार्जियन ने मना कर दिया। यह कानून व्यवस्था है ? शाही जी हमारे मित्र विद्यार्थी जीवन से हैं। अगर ई0वी0एम0 मान्य नहीं होती तो आप राजनीति में पैदा नहीं होते। अध्यक्ष जी, अगर हिम्मत हो तो विधान सभा भंग करो और चलो जनता के बीच में। अब यह जनता सिखाएगी कि बनाए हुए ई0वी0एम0 से बेईमानी करोगे तो इतना जनता वोट देगी कि ई0वी0एम0 टूट जाएगी, फूट जाएगी, उड़ जाएगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

आप और हम दोनों ई0वी0एम0 से आये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

कल जिस मामले को हम लोगों ने उठाया था। प्रदेश कल से ही जल रहा है और उसके विरोध में कल जगह-जगह धरना-प्रदर्शन हुए। लोगों को गिरफ्तार करके रासुका लगाया जा रहा है। क्या हम धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं ? हमको संविधान में विश्वास है, सरकार को नहीं है ? संविधान में हमको अधिकार मिला है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम अहिसंक रूप से धरना-प्रदर्शन कर अपनी बात सरकार तक पहुंचायेंगे। वह भी इनको बर्दास्त नहीं। श्रीमन्, ऐसा तो तानाशाह करते हैं। इटली में यही हुआ, लोकतंत्र का लालच देकर तानाशाह बन गया हिटलर। क्या उसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है। बिजनौर की घटना को यह लोग साधारण मान रहे हैं। इनको बड़ा वोट मिल गया, तो जीत गये। वोट मिल जाना, जीत जाना सरकार चला लेना और जनता की प्राण की रक्षा करना दोनों दो बाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, अब समाप्त कीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं आपसे तीन-चार बातें कह रहा हूं, जो कह चुका हूं। अब इनको हया हो, तब न। क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट गलत है ? क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गलत है ? क्या यह गलत है कि अमेरिका, इंग्लैण्ड ने जो एडवाइजरी जारी किया है कि भारत में पर्यटन हेतु महिला न जाय ? किसी भी धारा में इस बात को समझने के लिए इतना ही काफी है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार तत्काल कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करे और

अगर दुरुस्त नहीं करती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अबकी गुण्डाराज न भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार। गुण्डई की हालत आपने सुन लिया, एक विधायक कल आपके सामने रो रहा था। आज एस0पी0 भी उसके घर पर हिस्ट्रीशीटर का नोटिस चस्पा कर दिया। पूरी विधान सभा के विधायकों का अपमान उस एस0पी0 ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, वह आपसे गुहार कर रहा था कि हमारे प्राणों की रक्षा कीजिये। जो बेईज्जती और अपमान हुआ है, उन अधिकारियों को यहां बुलाकर दण्डित कीजिये। उस अधिकारी का इतना मन बढ़ गया। उसके पक्ष में पूरे लोग खड़े थे कि उसने हिस्ट्रीशीट खोल दिया और विधायक के घर पर चस्पा कर दिया। अध्यक्ष जी, हम लोग कहां थे ? हम अपनी बात किसके सामने कहें, हमारा दुख कौन सुनेगा ? सरकार नहीं सुनेगी ? जब सरकार अपने विधायकों की नहीं सुन रही है तो इधर के लोगों की सुनने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह उसका विषय नहीं है। यह अलग से हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विधायकों की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है आप हमारे संरक्षक हैं। हमारी रक्षा आप करेंगे। मैं चाहूंगा कि अपने अधिकारों का प्रयोग करके उस विधायक के साथ जो हुआ है, न्याय जरूर करवाईये। उस एस0पी0 ने, जिसने हिम्मत की है, दो सौ विधायक, उस विधायक के पक्ष में खड़े थे, विपक्ष खड़ा था, उसके बाद भी वह हिस्ट्रीशीट खोलता है। कल उनके साथ हुआ, कल इनके साथ हो जायेगा, क्योंकि विधायकों की अधिकारियों से जनता के काम के लिए थोड़ी तू-तू, मैं-मैं हो ही जाया करती है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, अब समाप्त कीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं आपकी आज्ञा को मानकर समाप्त करता हूं। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, बद् से बदतर है। कानून-व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश ने दुनिया में हमारी साख को मिटा दिया है। अगर थोड़ी भी नैतिकता हो तो सरकार इस्तीफा दे करके विधान सभा को भंग कराये, नया चुनाव कराये। जो नयी सरकार आयेगी वह कानून-व्यवस्था को ठीक करेगी।

स्टाम्प, न्यायालय शुल्क, पंजीयन मंत्री (श्री रवीन्द्र जायसवाल)-

पत्थर यह चलाते हैं, पकड़े ये जाते हैं। पत्थर फेंकने के लिए, नारा लगाने के लिए नौजवानों को गुमराह यह करते हैं। यहां पर नारा लगाया जाता है हमको चाहिये आजादी और इन लोगों ने तो यहां भारत मां को डायन तक कहा था।

(इस पर समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर टोकाटाकी करने लगे-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा0 संग्राम सिंह-

यह किस नियम के तहत बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

जिस नियम के तहत आप इस समय बोल रहे हैं।

डा0 तंजीम फातिमा-

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय हो जाय। आपका विषय तो आज है नहीं। आप तो एक दिन बोल चुकी हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है और माननीय मौर्य जी बहुत रट लगाते थे जंगलराज की। अगर वास्तव में आज उत्तर प्रदेश में कहा जाय तो कानून का राज नहीं जंगल का राज कायम है। मैं भी लम्बे समय से राजनीति में हूं, घटनायें होती थीं लेकिन इस कार्यकाल में जिस प्रकार महिलाओं के उत्पीड़न की घटनायें बढ़ी है, बलात्कार की घटनायें बढ़ी हैं और बलात्कार के बाद जलाये जाने की, ऐसा दृष्टान्त कम दिखाई पड़ता है। यह एक नई परम्परा चल पड़ी है कि बलात्कार करिये और फिर पीड़िता को जला दीजिये। उन्नाव में 5/12 को बलात्कार से पीड़ित महिला को जला दिया गया। फतेहपुर में 14/12 को बलात्कार से पीड़ित महिला को जला दिया गया, मऊ में मान्यवर 13/12 को छात्रा स्कूल जा रही थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इस तरह की घटनायें एक नहीं और जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि अनेक घटनायें हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति निश्चित रूप से बद् से बदतर है और उसका दृष्टान्त आपने देखा कि कल ही न्यायालय में, जब विधान सभा बैठी थी बिजनौर में न्यायालय में अपराधियों ने घुसकर पेशी पर आये हुये मुजरिम के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको मार डाला जाता है। न्यायालय में तमाम प्रतिबन्धों के बाद भी व्यक्ति असलहा लेकर पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से यह कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण और कोई हो नहीं सकता। मान्यवर, पूरे प्रदेश में आम जनता भय के बीच में जी रही है और अपराधों का आंकड़ा छिपाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी भी खड़े होंगे और आंकड़े देने का प्रयास करेंगे लेकिन आंकड़ा यह भी है कि दिनांक 1-1-2019 से 30-6-2019 तक केवल 06 महीने में महिलाओं की हत्यायें 508, बलात्कार की घटनायें 1398, शीलभंग की 5449, अपहरण की 5879 घटनायें हुयी हैं। यानि औसतन एक दिन में 8 से 9 बलात्कार की घटनायें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं जो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। मान्यवर, जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि कई देशों ने और कई संगठनों ने इस पर एडवाइजरी जारी करने का काम किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी कहना पड़ा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, जो हमारी नोटिस है आज महिलायें पूरी तरह से भय से आतंकित हैं उनको आने जाने में दिक्कत हो रही हैं। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह चाहूँगा कि इस तरह जो कानून व्यवस्था की हालत हुयी है और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं और विशेष रूप से बलात्कार ही नहीं बलात्कार के बाद उनको जिन्दा जलाने की घटनायें बढ़ी हैं अगर इस पर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो मान्यवर, यह प्रदेश में कानून का राज नहीं निश्चित रूप से

जंगलराज के रूप में दिखाई पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मान्यवर, इस घटना का, जिसका मैनें अपनी नोटिस में उल्लेख किया है, इसको ग्राह्य करते हुये इस पर चर्चा कराने का मैं आपसे आग्रह करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद वर्मा जी। अब माननीया आराधना जी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मा0 अजय कुमार जी इस पर बोलेंगे।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं और रोज जिस तरह की घटनायें सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश अपने आप में शर्मसार होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अजय जी, नियम-56 में किसी एक सुनिश्चित घटना पर ही चर्चा होती है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

उसी पर आ रहे हैं, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पहले ही आ जाइये, आप सीनियर हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, 5 दिसम्बर को उन्नाव की बेटी के साथ बलात्कार के बाद उसे जिन्दा जला देना, 7 सितम्बर को नौसारा ब्लाक प्रमुख के पीड़ित नाबालिक लड़की के परिजनों को जान से मारने की धमकी देना। असलहे के बल पर अपहरण कर लूटपाट करना और बाद में उस पीड़ित नाबालिक का आज तक बरामद न होना। 3 दिसम्बर को मिर्जापुर में एक नाबालिक छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के बाद गला घोंट कर हत्या कर देना, 6 दिसम्बर को मैनपुरी थाना धिरौरा में अपने भाई और एक अन्य के साथ नवोदय विद्यालय की कक्षा-9 की छात्रा का गला घोंट कर उसके शव को फंदे से लटका दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आप आपराधिक घटनाओं की सूची देंगे तो नियम-56 कैसे बनेगा ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, एक साल पूर्व दिल्ली में सामूहिक घटना की दुष्कर्म की शिकार हुई बागपत के एक गांव की छात्रा पर बदमाशों ने धमकी भरा पर्चा चस्पा किया और 13 दिसम्बर को कोर्ट में गवाही देने पर उन्नाव काण्ड से भी भयंकर घटना के अंजाम देने की बात की गई। महोदय, उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह स्पष्ट किया। यह पहली बार हुआ है, सरकार बार-बार कहती है कि पहली बार। यह पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बेटियों को जिन्दा जलाया जा रहा है। यह पहली बार है कि बुलन्दशहर में एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेटी अगर न्याय की आस करती है तो उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया जाता है। यह पहली बार हुआ है कि कानपुर देहात की एक लड़की न्याय की आस में गले में फंदा डालकर फांसी के फंदे पर झूल जाती है, लेकिन सरकार उसकी बात को सुनने का काम नहीं करती है। यह पहली बार हुआ है कि आज लड़कियां, जिन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, वह एस0एस0पी0 कार्यालय के सामने, डी0एम0 कार्यालय के सामने जाकर आत्मदाह करने का प्रयास कर रही हैं। यह पहली बार हुआ है कि मुख्य मंत्री कार्यालय के सामने लड़कियां जाकर आत्मदाह करने पर विवश हैं। अध्यक्ष जी, आज सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। एन0सी0आर0बी0 का डाटा क्यों छिपाया जा रहा है ? 2017 के बाद आज तक एन0सी0आर0बी0 का डाटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकार क्यों स्वेत-पत्र जारी नहीं कर रही है ? बिजनौर की घटना इस बात का उदाहरण है। दिन-दहाड़े न्यायालय में घुसकर एक व्यक्ति को जज के सामने जान से मार दिया जाता है और सरकार बैठकर मूक-दर्शक बनी हुई है। (विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा शेम-शेम के नारे लगाये गए) आज महिला अपराध में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नम्बर एक की स्थिति पर है। आज हालात क्या है, आज घर से बहन-बेटियां निकलने में डरती हैं, डर का महौल है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप समाप्त करिये, ग्राह्यता पर बोलना है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं, सरकार ने कहा है कि हम 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनायेंगे। अध्यक्ष जी, सरकार कुम्भकर्णी नींद में क्यों सोती है ? आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब मैनपुरी की नवोदय विद्यालय की बालिका के इंसाफ के लिए चिट्ठी लिखती हैं, तब जाकर सरकार जल्दी-जल्दी उसकी जांच कराती है और सी0बी0आई0 जांच की बात करती है। महोदय, सरकार यह तय करे, सरकार द्वारा मैनपुरी की घटना को सी0बी0आई0 जांच के हवाले कर दिया जाता है लेकिन भारत सरकार से उस सी0बी0आई0 जांच को मंजूरी नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार में आज अनबन की स्थिति है ?

(श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सी0बी0आई0 जांच की मांग को केन्द्र सरकार क्यों नहीं स्वीकार कर रही है ? यह सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाजपा अपराधियों के साथ खड़ी है या उन पीड़ित महिलाओं के साथ-साथ है ?

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, आपकी बात आ गयी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि तत्काल इन गम्भीर विषयों पर, अध्यक्ष जी, चूंकि तीसरे साल का यह तीसरा सदन है लेकिन अब तक एक बार भी कानून-व्यवस्था पर चर्चा कराने की हिम्मत यह सरकार नहीं जुटा पाई।

श्री अध्यक्ष-

आप तो आज बहुत कह गये, समाप्त करिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, बड़े चिट्ठे हैं, अगर खाते खुल जायेंगे तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, आज मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। आज लूट-हत्या का पर्याय बना है गोरखपुर। आज गोरखपुर में आम आदमी परेशान और हताश है, कब किसकी गोली मार कर हत्या हो जायेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप कृपया बैठिये। इसी सब्जेक्ट पर मनोज पाण्डेय जी की भी सूचना थी। अजय जी, हो गया, चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इन गम्भीर विषयों पर, महिला सुरक्षा के विषय पर सदन में चर्चा हो और खासकर एक विधायक जब अपनी आवाज उठाता है। आज सरकार के अधिकारी उसके घर पर चस्पा कर देते हैं, किसी की आवाज को सुना नहीं जाता है। यह तय है अध्यक्ष जी कि मुख्य मंत्री से लेकर सारे सत्तापक्ष के विधायकों पर कितने अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा नहीं हो रही है केवल ग्राह्यता पर बोलना था, अब आप बैठिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अधिकारी राज चलेगा, नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप पीठ का निर्देश नहीं मान रहे हैं, आप बैठ जाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

यहां राज लोकतन्त्र का चलेगा, उत्तर प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का राज चलेगा। आज जंगलराज है इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन की सारी कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज जी का नोटिस इसी विषय पर था, आप दो मिनट में अपनी बात कहें।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नियम-56 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं। जनपद लखनऊ के थाना बिहार में 05.12.2019 को जो दर्दनाक घटना घटी, हम समझते हैं कि इस घटना से देश और प्रदेश के सभी लोग दुःखी हैं, इस घटना की जितनी निन्दा की जाय वह कम है। हमारे रायबरेली जनपद के बगल का जिला है उन्नाव, हम सभी इस घटना से दुःखी हैं, जैसे पूरा देश पीड़िता के साथ खड़ा है और हम भी खड़े हैं। इस सम्बन्ध में मैं दो बिन्दु उठाना चाहता हूं एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इस घटना को ले करके और घटना पर हो रही जांच को ले करके तरह-तरह के सवाल परिजन, उस गांव के लोगों ने और अन्य लोगों ने उठाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जहां पर अगर जांच पर शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं तो इस केस की जांच सी0बी0आई0 से करा दी जाय, यह मेरी मांग है। मान्यवर, इस घटना में एक और बिन्दु है माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं, इन घटनाओं को ले करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय समय-समय पर रहे हैं और इस सम्बन्ध में फुल बेंच का भी आर्डर था कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो किसी भी तरीके से पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया जायेगा। कमोबेस निर्भया कांड में भी इस सावधानी को बरता गया था और काल्पनिक नाम से उस पीड़िता के नाम को बचाने का प्रयास किया गया था जो मानवीय भी है लेकिन इस घटना में जिस तरह से पीड़िता का नाम कुछ जिम्मेदार लोगों के द्वारा लिया गया जो टी0वी0 चैनलों में भी आया और सबकी चर्चा में आया तो इसकी जांच भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता था, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रफीक अंसारी-

मान्यवर, दो मिनट का समय मुझे भी दे दें।

(सदस्य श्री मो0 असलम राइनी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

राइनी जी आपका क्या नोटिस है ?

***श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-**

आपसे आदेश चाहता हूं कि मैं भी कुछ कानून-व्यवस्था पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जैसे मनोज जी ने दो मिनट में कहा आप भी कह दीजिये। मा0 रफीक जी आपका बाद में आयेगा।

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मान्यवर, आपने जो मुझे कानून-व्यवस्था की ग्राह्यता पर बोलने का समय दिया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने समय दिया कहां, आपने जबर्दस्ती लिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैंने सदन में कई बार खनन पर जो आवाज उठाई थी तो मेरे ऊपर भी कई लोगों ने हत्या करने का प्रयास किया था और जब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की शरण में गया।

श्री अध्यक्ष-

जो बातें अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और माननीय वर्मा जी ने कही, वह तो आपका नोटिस नहीं है।

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे ए श्रेणी सुरक्षा दी तो बहुत लोगों को तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष-

सुरक्षा पर डिस्कशन नहीं हो रहा है।

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर प्रदेश जल रहा है लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां ''हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता''।

श्री अध्यक्ष-

आपकी कोई बदनामी नहीं, आप बैठिये, आपकी क्या बदनामी चल रही है इन दिनों।

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, यहां पर सभी सम्मानित सदस्य हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी सबका केस वापस लेते हैं, अगर उसमें हमारा भी केस वापस ले लिया, तो क्या गलत किया ?

श्री अध्यक्ष-

क्या आप का केस मा0 मुख्य मंत्री जी ने वापस ले लिया है ?

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह तो आप पता करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर काफी खतरा मंडरा रहा है। मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जो मुझे एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी है, उसको बढ़ाकर वाई प्लस सुरक्षा देने पर विचार करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये। अब आपकी बदनामी और बढ़ेगी कि आप दो गनर चाह रहे हैं।

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, सुश्री अदिति सिंह को आपने 12 गनर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और हमारे विरोधी दलों के अन्य सम्मानीय नेताओं ने यहां पर जो मुद्दे उठाये हैं, वह अत्यन्त संवेदनशील और गम्भीर मुद्दे हैं। किसी भी सभ्य समाज में हिंसा और अपराध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसीलिए अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार की 'जीरो टॉलरेन्स नीति' का ही परिणाम है कि अपराधी या तो जेल के अन्दर हैं या प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं या फिर दूसरे लोकों की यात्रा पर निकल चुके हैं। स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम भी सामने आये हैं। महोदय, अगर वर्ष 2016 और 2019 के अपराधों की तुलना हम करें, तो डकैती में 60.94, लूट में 40.42, हत्या में 20.95, बलबा में 27.91, रोड होल्डप में 100, फिरौती और अपहरण में 46 और बलात्कार की घटनाओं में 18.59 प्रतिशत की कमी आयी है। महिला संबंधी अपराध हम सबकी चिन्ता का विषय है और चिन्ता का विषय इसलिए भी है कि सभ्य समाज में इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को कभी भी राजनीतिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बेटी तो सबकी है और भारत की परंपरा भी यही रही है और उसी के लिए केन्द्र/राज्य की सरकार ने जो कार्यक्रम चलाये हैं, चाहे ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं'' का अभियान हो या फिर खुले में शौच से मुक्त के लिए स्वच्छता के साथ-साथ प्रत्येक नारी की गरिमा की भी मर्यादा का सम्मान हो, इसके लिए 'स्वच्छ भारत मिशन' में एक-एक टॉयलेट उन सभी परिवारों को, जिनके पास टॉयलेट नहीं था, उपलब्ध कराने की कार्यवाही हो या 'उज्ज्वला योजना' में हर गरीब परिवार को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन प्रदान करने की कार्यवाही हो या फिर जन्म से ले करके कन्या के विवाह होने तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलायी जा रही 'सुकन्या मंगला योजना' या 'मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह' की योजना, ये सब इसी क्रम में चलायी गयी वे योजनाएं हैं जो महिला कल्याण के लिए और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इस दृष्टि से किया गया है और उसका परिणाम है कि सरकार में आने के साथ ही पूरे प्रदेश में 'एन्टी रोमियो स्कॉयड' का गठन किया और 'एन्टी रोमियो स्कॉयड' का जब हम लोगों ने गठन किया, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने उसका विरोध किया था। जब हम लोगों ने प्रदेश के घोषित अपराधी और माफियाओं को उनकी भाषा में जवाब देना प्रारम्भ किया तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन करना प्रारम्भ किया। ऐसा लगता है कि अपराध और समाजवादी पार्टी का चोली-दामन का साथ है। यह एक-दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) अपराध एक मानसिक विकृति है और उस मानसिक विकृति के दायरे में जब लोग आ जाते हैं, उसको अपना पेशा बना लेते हैं तो स्वभाविक रूप से अपराध के खिलाफ चलने वाले हर उस मुहिम में वे स्वयं बाधक बनते हैं और यह वही मानसिकता है। जब कोई घोषित अपराधी मारा जाता है तो उसके बाद इनके कैंडिल मार्च शुरू होते हैं, उसके बाद उनके समर्थन में इन लोगों के द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य और फिर इनके द्वारा न्यायालय की शरण में जा करके सरकार को घेरने और सुरक्षा एजेन्सियों को कटघरे में खड़ा करने की जो कार्यवाही होती है यह भी हम लोगों ने देखा है और हम उन स्थितियों का सामना कर भी रहे हैं।

महोदय, 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' के अभियान से ले करके अब तक विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चले हैं और अगर मैं 2016 की तुलना में इन आंकड़ों को देखूं तो दहेज मृत्यु में 3.38 प्रतिशत की कमी आयी है, बलात्कार की घटनाओं में 5.9 प्रतिशत की कमी

आयी है, अपहरण की घटनाओं में 4.19 प्रतिशत की कमी आयी है तथा अन्य घटनाओं में भी कमी आयी है। हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाये हैं जिनके माध्यम से हम बेटी की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 218 नये फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। मुझे लगता है कि इससे विपक्ष में हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। क्योंकि फास्ट-ट्रैक कोर्ट से अपराधियों को सजा दिलाने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर जनपद में एक नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के 05 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी, विवेचना, चार्जशीट दाखिल करना और चार्जशीट दाखिल करने के 05 दिन के अंदर डे-टू-डे की सुनवाई के बाद दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा करवाई गयी और पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत इतनी बड़ी कार्यवाही हुई। पूरे प्रदेश के अन्दर-औरैया में 27 दिन के अंदर और लगभग आज के दिन तक 6 दर्जन से अधिक ऐसे दुष्कर्मियों को एक महीने के अंदर सजा दिलायी गयी है जो इस प्रकार की घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं और जिनके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। घटनायें कोई भी हों, उसके पक्ष में कभी भी दलील नहीं दी जानी चाहिए। अपराध, अपराध है और अपराधी को सख्त सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। सरकार इस बात की पक्षधर है और फास्ट-ट्रैक कोर्ट इसी उद्देश्य से बनाये जा रहे हैं जिनके माध्यम से हम लोग उन अपराधियों को, महिला सम्बन्धी अपराधों में लिप्त तत्वों को सख्ती के साथ सजा दे सकें और इस दिशा में सरकार के प्रयास और सरकार के द्वारा की जा रही कार्यवाही पर कहीं कोई सन्देह किसी माननीय सदस्य को नहीं होनी चाहिए। महोदय, कल यहां पर उन्नाव की घटना और जो घटना कल बिजनौर में घटित हुई है, इन दोनों घटनाओं का जिक्र भी हुआ है। मैं मानता हूं कि ये दोनों घटनायें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्नाव की घटना में एस0आई0टी0 ने कार्यवाही करते हुए पांचों अपराधियों को गिरफ्तार किया है, पांचों अभियुक्त जेल में हैं। इस पर कार्यवाही चल रही है।

एस0आई0टी0 गठित करके पूरी कार्यवाही हो रही है। मैनपुरी में जो नवोदय विद्यालय की घटना सामने आयी थी, इस पूरे मामले में हम लोगों ने जिस कार्यवाही को आगे बढ़ाया था, समयबद्ध ढंग से विवेचना को आगे बढ़ाने के लिए जनपद स्तर पर, पुलिस अधीक्षक के स्तर पर जो शिथिलता बरती गई इसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। जिलाधिकारी नवोदय विद्यालय समिति के अध्यक्ष होते हैं। जिलाधिकारी ने स्वयं इन चीजों की समीक्षा नहीं की। हमने जिलाधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की और एक एस0आई0टी0 गठित करके अपराधियों के डी0एन0ए0 जांच और इस कार्यवाही को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है जिससे कोई भी अपराधी बचने न पाये और यह सरकार की कार्यवाही का हिस्सा है तथा सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हमने किसी अपराधी को दिल्ली की 'नैना साहनी काण्ड' जैसे बचाने का प्रयास नहीं किया है। जिसमें कांग्रेस की एक नेत्री को कांग्रेस के एक नेता ने काट काट कर तन्दूर के अंदर भूनने का कार्य कर दिया था। यह कार्य यह लोग अपने आंचल में झांक करके देखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, केन्द्र और प्रदेश की वर्तमान सरकारों के समय कहीं भी मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं नहीं घटी हैं। पूरे प्रदेश में ढाई वर्ष के अन्दर एक भी दंगा नहीं हुआ। चाहे वह प्रदेश के अंदर हो। यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रयागराज कुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 24 करोड़ से अधिक श्रृद्धालु

प्रयागराज में आते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। लोक सभा निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुए। और यही नहीं कश्मीर में धारा-370 को हटाने के बाद और अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि से संबधित फैसला आने के बाद आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर शांति का एक जो संदेश गया पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इसको सराहा है। आज इसी का परिणाम है पूरे देश और पूरी दुनिया ने इस बात को एक स्वर से स्वीकार किया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सर्वोत्तम है। देश के लिये भी और दुनिया के लिये भी एक नजीर है और उस नजीर का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर यही कारण है कि बड़ी मात्रा में निवेश के प्रस्ताव आये हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया है उनको हम लोगों ने जमीन पर उतार करके प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया है।

महोदय, उत्तर प्रदेश में पिछले ढ़ाई वर्ष के दौरान हर पर्व और त्यौहार का कुशलतापूर्वक सम्पन्न होना, सभी कार्यवाही को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर यहां पर किसी भी जाति, मत, मजहब से जुड़े हुए पर्व और त्यौहार हों, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। सभी शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हुए हैं और हर पर्व और त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करने के साथ-साथ पिछली सरकारों के समय जन्माष्टमी के पर्व को और कांवड़ यात्रा के कार्यक्रमों को इन्होंने प्रतिबंधित किया था। हमारी सरकार ने उनको प्रारम्भ भी किया और बड़े धूम-धड़ाके के साथ कॉवड़ यात्रा भी आज निकलती है और जन्माष्टमी के आयोजन भी पूरी भव्यता के साथ आज पूरे प्रदेश के अंदर सम्पन्न हो रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो वर्तमान में माहौल बनाया है आपने देखा होगा कि लाख प्रयास तमाम विपक्षी नेताओं ने किया। सिटीजनशिप एमेन्डमेंट ऐक्ट को ले करके देश के अंदर हिंसक वारदातों के साथ-साथ हिंसा फैलाने की जो एक शरारत करने का प्रयास किया है। जामिया मिलिया में एक राजनीतिक दल के नेता और विधायक का नाम सामने आ रहा है, यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हम लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र की आड़ में हम लोग हिंसा को बढ़ावा देंगें और फिर इस सदन की अवमानना करने का भी प्रयास हो कि इस सदन में काली पट्टी बांध करके आ करके सदन की मर्यादा को तार-तार लोग करें, महोदय यह अस्वीकार्य होना चाहिए। यह सदन किसी पार्टी का नहीं है, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और सदन में आ करके लोग ब्लैक पट्टी बॉध करके प्रदर्शन करें यह इस सदन की अवमानना के दायरे में आता है और हमें स्वंय इस बारे में विचार करना चाहिए कि वास्तव में इस प्रकार का कृत्य बाहर सड़क पर आप अपने लोगों को उकसायेंगें आगजनी करने के लिये, तोड़-फोड़ करने के लिये, जगह-जगह जा करके पाकिस्तान की भाषा बोलने का कार्य करेंगें और सिटीजन एमेन्डमेंट ऐक्ट के आधार पर देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास करेंगें। (श्री अजय कुमार लल्लू के खड़े होने पर व्यवधान) यह चीजें कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। महोदय, मैं इसके अलावा एक बात इस बात को भी कह सकता हूं। मैं इस बात को भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र और प्रदेश सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले साढ़े पांच वर्षों से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार चल रही है। कश्मीर में धारा-370 लागू किया। पहली बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है (मेजों की थपथपाहट) मोदी जी ने किया है। हमने अम्बेडकर जी के नाम पर वोट बैंक की रोटी सेंकने का कार्य नहीं किया

लेकिन बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने 1952 में जब धारा-370 को संविधान में चुपचाप जोड़ने का कार्य किया था तब उन्होंने असहमति व्यक्त की थी।

मा0 अध्यक्ष महोदय, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने की कार्यवाही होती है तो कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। इनको इस बात का गर्व है कि कश्मीर में विकास कैसे हो रहा है ? कश्मीर भारत के संविधान के दायरे में कैसे आ गया है ? यह हमारा घोषित उद्देश्य था, क्योंकि हमारे ही नेताओं ने कहा था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे और उसके अनुरूप जब हमें सत्ता मिली तो हमने यह करके भी दिखा दिया, हमारे नेताओं ने हमारे नेतृत्व में करके दिखाया। देश के अन्दर कहीं हिंसा नहीं हुई। इन्हीं के नेता थे, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करते थे कि राम जन्म भूमि का फैसला नहीं आना चाहिए। आश्चर्य होता है कि न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप करने का कुत्सित प्रयास होता है। राम जन्म भूमि के फैसले के पहले आशंकायें व्यक्त करते थे कि फैसला आयेगा तो खून बहेगा। हमने कहा कि कुछ नहीं होगा, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। आपने देखा होगा कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से फैसला आया कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। सबने भारत के लोकतंत्र की ताकत को पहचाना है और न्यायपालिका की ताकत को भी सबने पहचाना है। यह भारत की ताकत है, लेकिन उस भारत की ताकत को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। सिटिजनशिप एमेंडमेंट ऐक्ट के नाम पर दुष्प्रचार करके, लोगों में गलतफहमी पैदा करके भारत के एक वर्ग विशेष को उसके खिलाफ भड़काने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में उन चेहरों को बेनकाब किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चेहरे वही चेहरे हैं, जिन लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के चलते देश को वोट बैंक की तरह कैद करके रखा है और अपने स्वार्थों के लिए देश की एकता को तार-तार किया है। अपने एक परिवार विशेष के स्वार्थ के लिए किया है। वही लोग आज फिर उंगली उठाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार में कोई नहीं कह सकता। 1984 में सिखों का कत्लेआम कराने वाले लोग हमें इसके बारे में उपदेश देंगे। जिन लोगों ने इस देश के अन्दर निर्मम तरीके से लोगों को मारा था, वह आज हमें इसके बारे में बतायेंगे। मुजफ्फरनगर में इनके द्वारा किस तरह का तांडव हुआ था ? कोई नहीं कह सकता कि ढाई वर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हुआ हो, जवाहर कांड और न जाने कौन-कौन से कांड इनकी सरकार में हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आना चाहता था। आज जब प्रदेश में एक माहौल बना है। घटनायें दुर्भाग्यपूर्ण हैं, महिला संबंधी अपराधों में सरकार पूरी शक्ति के साथ कार्य करेगी और पूरी शक्ति के साथ कार्य कर भी रही है। बिजनौर जैसी घटनाओं को भी स्वीकार नहीं किया जायेगा, हम तैयार हैं। हमने अपना प्रस्ताव भेजा भी है। न्यायपालिका जैसे ही इसके बारे में आवश्यक सहमति देती है, जो भी आवश्यक कार्यवाही हो सकती है, न्यायालय की सुरक्षा के लिए सरकार के पास पूरी कार्य योजना है और उस कार्य योजना को हम लागू करना चाहते हैं। न्यायपालिका की सहमति उसमें होगी। हम भी चाहते हैं कि घटनायें घटित हों, लेकिन याद रखना जैसी करनी, वैसी भरनी। हत्या करोगे और फिर उसके बाद कहीं से अपने बचाव का रास्ता ढूंढ़ोंगे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रास्ता तो निकलेगा और वह रास्ता किस रूप में निकल रहा है, यह सब लोग देख रहे हैं। बिजनौर जैसी घटनाओं को सरकार रोकेगी। न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए यह सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर प्रकार की उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराना

चाहती है, कर भी रही है, लेकिन मैं विपक्ष के अपने मित्रों से कहूंगा कि सच को स्वीकार करना भी सीखें और सच के साथ चलना भी सीखें, क्योंकि अगर विपक्ष सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाता है तो वह हायतौबा करता है तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की चिन्ता ज्यादा होती है और मैं अभिनन्दन करूंगा कि कम से कम हमारे विपक्ष के मित्र हमारे किसी विधायक के समर्थन में तो आये, इसके लिए रामगोविन्द जी आपको बहुत-बहुत बधाई और मै उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब आप सब भी हमारे साथ ही आकर के भारतीय जनता पार्टी का पार्ट बनेंगे। आपने शुरूआत की है, आपकी सद्भावना के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके गुंडाराज को, आपके अराजकतापूर्ण शासन को इस प्रदेश ने और इस देश ने भी देखा है। अयोध्या ने तो सर्वाधिक झेला है। कौन ऐसा जिला है, कौन ऐसा कस्बा है। लखनऊ में ही आपने देखा होगा कि सभी क्रान्तिकारियों की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, मौन बने रहे, किंकर्तव्यविमूढ़ बने रहे, ऐसा आज तो नहीं हो सकता। हमने गुंडों को, उपद्रवियों को कोई छूट नहीं दी है। हमने दो टूक कह दिया है कि सम्मान सबका करेंगे, सुरक्षा सबकी करेंगे, लेकिन अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी और और उसी शक्ति के साथ शासन भी उसको कुचलने का कार्य करेगा। चाहे वह कोई हो चाहे कहीं का हो हम उसके साथ किसी प्रकार की मोहलत देने की स्थिति में नहीं हैं। क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति है प्रदेश की 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता के सामने किसी भी प्रकार की रियायत नहीं होगी। कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति अपनी बात रखे तोड़-फोड़ करोगे हिंसा करोगे गरीबों की जमीनों पर कब्जा करोगे सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करोगे किसी भी प्रकार की अराजकता को पैदा करने का प्रयास करोगे यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है और इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे यही मुझे यहां पर कहना था यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं स्वाभाविक रूप से एक लम्बा अन्तहीन सिलसिला है मैं इसलिए स्वयं खड़ा हुआ हमारे मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को इसका जवाब देना था लेकिन हमारे विपक्ष में बैठे हुए मित्रगण बहुत उतावले थे तो मैंन कहा कि उनके उतावलेपन का थोड़ा मैं जवाब दे दूं जवाब मैंने उनको दिया है अगर और सुनना चाहेंगे तो स्वामी प्रसाद जी जवाब दे देंगे लेकिन फिर आरोप-प्रत्यारोप में बदलेंगे। महोदय यही सच्चाई है और मैंने आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं और सरकार की आगे की क्या कार्य योजना है उसके बारे में मैंने बताया है और हम लोग हर बेटी, हर बहन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं प्रदेश में हर संस्था की सुरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। लेकिन किसी को भी प्रदेश के अन्दर अराजकता फैलाने की छूट सरकार नहीं देगी यह सरकार की प्रतिबद्धता है इसमें मैं सबका सहयोग भी चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी कार्य-स्थगन दिया गया था माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथ्यहीन प्रवचन किया। जो सवाल हमने, वर्मा जी ने, लल्लू जी ने उठाया उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी, डा0 राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव और गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलने वाली पार्टी है उसका कभी अपराधियों से साथ नहीं रहा है। न ही उसके नेता अखिलेश जी ने अपने ऊपर के मुकदमें वापस लिए हैं। कभी नहीं ऐसा किया गया। सन् 1952 से उत्तर प्रदेश

में सरकारें बन रही हैं कोई भी मुख्य मंत्री ने अपना मुकदमा अपने से वापस नहीं लिया है। समाजवादी पार्टी की अपराधियों से सांठ-गांठ नहीं है। अपराधियों से सांठ-गांठ आप लोगों की है। स्वामी चिन्मयानन्द जो एक बलात्कारी है हास्पिटल में है और पीड़ित जेल में है। यह कहां का न्याय है जब से भाजपा सरकार आई है दुनियां में दुष्कर्म के अपराध के मामले में पांचवें स्थान पर भारत पहुंच गया है। और उत्तर प्रदेश दुनियां में एक नम्बर पर है। इसको आपने क्यों नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप कह चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इन्होंने जामिया मिलिया की बात की हम लोगों ने नहीं की थी लेकिन जब मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है तो थोड़ा हम लोगों को भी कहने दीजिए।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मुख्य मंत्री जी ने रास्ता खोला है और आपने उनको टोका नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जामिया मिलिया के बारे में मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है मैं वह वाक्य दोहराता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप मत दोहराइए मैं ही उसको दोहराए दे रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जामिया मिलिया में लोगों ने अराजकता फैलाई। अध्यक्ष जी चाहे जामिया मिलिया हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे नदवा हो, चाहे इलाहाबाद हो, बनारस हो, मऊ हो यहां के छात्र कैम्पस के अन्दर शांतिमय तरीके से विरोध कर रहे थे कैम्पस के बाहर तक नहीं हुए थे और पुलिस आंसू के गोला छोड़ रही है लाठीचार्ज कर रही है अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि दुष्कर्म के मामले में उत्तर प्रदेश दुनियां में एक नम्बर पर है। माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, नारायण दत्त तिवारी के समय में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा।..

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई मैं कार्य-स्थगन की सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता बसपा और मा0 नेता कांग्रेस ने इस सूचना के माध्यम से जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया है उसका जवाब मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा

दिया गया है, लेकिन मा0 सदस्यों के द्वारा दी गयी सूचना अविलम्बनीय नहीं है, क्योंकि सभी मामलों में सरकार द्वारा कार्यवाही कर दी गयी है और सारे के सारे अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिये हमारी सरकार ने सारे प्रभावी कदम उठाए हैं। इसलिये इस सूचना को निरस्त किया जाना चाहिये और अग्राह्य किया जाना चाहिये।

(इस मध्य नेता सदन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' एवं प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल के सदस्यों सहित समाजवादी पार्टी के बहुत से सदस्य वेल में आ गये और वेल से 'महिलाओं की सुरक्षा कर न सके, वह सरकार निकम्मी है।' 'योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी।' 'लोकतंत्र की हत्या बंद करो-बंद करो।' के नारे लगाने लगे, जिस कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, यह समाजवादी पार्टी के लोग अपने समय के किये गये कार्यों को भूल गये हैं। जब बदायूँ में दो-दो लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई, उनकी हत्या करके लाश को पेड़ पर टांग दिया गया था, एफआईआर तक नहीं लिखी गयी, यह लोग अपराधियों को बचाने का काम कर रहे थे। लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर में जिस तरह से मानवता तार-तार हुई है। समाजवादी पार्टी के सरकार में एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी और सरकार अपराधियों को बचाने के लिये हमेशा खड़ी रहती थी। मान्यवर, यह सरकार कानून का राज तोड़ने वाली सरकार है। आप आज कानून की बात कर रहे हैं, कानून के राज की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 लल्लू जी, आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको वेल में नहीं आना चाहिये था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, इनकी सूचना अग्राह्य करने योग्य है। इसको निरस्त किया जाना चाहिये, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना को मैं अग्राह्य कर चुका हूं चर्चा नहीं हो रही थी। बहुत विस्तार से सभी दलीय नेताओं ने अपने विचार रखे। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने विचार रखे। नियम-56 की यह सूचना और शेष सारी सूचनाएं मैं अग्राह्य करता हूं। अब हम नियम-51 की सूचनाएं लेते हैं।

[02:14] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 18-12-2019 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 61 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत कतिपय सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 का निर्माण पूर्ण कराये जाने एवं डाक्टर सहित अन्य स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नागरिकों का जीवन नारकीय होने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस की जनपद शाहजहांपुर में विभिन्न भयंकर रोगों से ग्रसित मरीजों के उपचार हेतु मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री लालजी वर्मा की कतिपय जनपदों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के देयकों का भुगतान न हो पाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव के 29 राजस्व ग्रामों को कानपुर विकास प्राधिकरण से डि-नोटिफाइड कर उन्नाव-शुक्लागंज प्राधिकरण क्षेत्र में नोटिफाई किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठी सूचना श्री पंकज सिंह की जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा में राजकीय बालिका डिग्री कालेज खुलवाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सातवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत सगौली मर्दनपुर मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री अमनमणि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में अवैध निर्माण हटवाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्री बम्बा लाल दिवाकर की जनपद उन्नाव में पंचायती राज विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री योगेश वर्मा की जनपद लखनऊ के थाना गाजीपुर के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 संख्या 00219 दिनांक 16-03-2019 पर कार्यवाही कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

ग्यारहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में अवैध कब्जा हटाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

बारहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में हाथरस शाखा नहर प्रणाली में पुनः स्थापना कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

तेरहवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

चौदहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में पशु अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

पन्द्रहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ब्लाक बामौर के ग्रामों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं-

डॉ0 अनिल कुमार मौर्य, श्री सुनील कुमार शर्मा, श्री संजीव राजा, श्री अबरार अहमद, श्री संजय गर्ग, श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, श्री पारस नाथ यादव, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री जन्मेजय सिंह, श्री अविनाश त्रिवेदी, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री सत्यवीर त्यागी, श्री संजय शर्मा, श्रीमती जयदेवी, श्री दलवीर सिंह, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री राजीव तरारा, श्री प्रतीक भूषण सिंह, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री मूलचन्द्र निरंजन, श्री पूरन प्रकाश, श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री राजकुमार अग्रवाल, श्री कमलेश शुक्ल, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री सुभाष त्रिपाठी, डा0 मंजू शिवाच, श्री शीतल पाण्डेय, श्री प्रमोद उटवाल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री नरेश सैनी, श्री मसूद अख्तर, श्री हाकिम लाल बिंद, श्री आजाद अरिमर्दन, श्रीमती सुषमा पटेल, श्री राम अचल राजभर, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, श्री हरिराम, श्रीमती लीना तिवारी, डा0 अरूण कुमार, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री बहोरन लाल मौर्य, डा0 डी0सी0 वर्मा, श्री अभिजीत सिंह सांगा, श्री रामचन्द्र यादव।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

अब आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने-अपने स्थानों पर चलें। मैं सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-05 का उत्तर पीछे पृष्ठ-33 पर)

विधान सभा के चतुर्थ सत्र, 2019 के 1-बुधवार के लिये निर्धारित डॉ0 अरुण कुमार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या- 5 का अनुपूरक :-

जिला नगरीय विकास अभिकरण, बरेली के द्वारा वर्ष 2012 से 2017 तक अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्ती विकास योजना (अनुदान सं0-37) के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू0 1027.831 लाख तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती विकास योजना (अनुदान सं0-83) के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू0 102.379 लाख का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	योजना / मद	वित्तीय वर्ष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्ती विकास योजना (अनुदान सं0-37)	2012-13	-	-
		2013-14	537.594	245.93
		2014-15	-	231.65
		2015-16	372.112	200.12
		2016-17	40.893	93.00
		2017-18	139.220	32.82
		2018-19	-	224.31
		योग	1089.819	1027.83

नोट:- अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्ती विकास योजना (अनुदान सं0-37) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2018-19 में जो धनराशि व्यय की गई है, वह गत वित्तीय वर्ष के अवशेष धनराशि से की गई है।

2	अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती विकास योजना (अनुदान सं0-83)	2012-13	-	-
		2013-14	-	-
		2014-15	-	-
		2015-16		
		2016-17	117.890	-
		2017-18	-	-
		2018-19	-	102.379
		योग	117.890	102.379

नोट:- अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती विकास योजना (अनुदान सं0-83) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जो धनराशि व्यय की गई है, वह वित्तीय वर्ष 2016-17 के अवशेष धनराशि से की गई है।

परियोजना अधिकारी
डूडा, बरेली।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0-53 का उत्तर पीछे पृष्ठ-56 पर)

उ0प्र0 विधान सभा के चतुर्थ सत्र, 2019 के प्रथम बुद्धवार हेतु निर्धारित श्री रामचन्द्र यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–53 से सम्बन्धित अनुपूरक सामग्री।

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करना है। प्रदेश में शासनादेश संख्या–162/2016/623/69–1–2016–14(139)/2015टी.सी. दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा योजना को लागू किया गया।

लाभार्थियों हेतु पात्रता मानकः–

- लाभार्थी एवं उसके परिवार की संयुक्त वार्षिक आय रू0 3.00 लाख अधिक न हो।
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित पुत्रियाँ शामिल होगें।
- लाभार्थी परिवार के पास या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कहीं भी पक्का मकान (सभी मौसमों हेतु क्षम रिहायशी इकाईयां) नहीं होनी चाहिए।
- किसी वयस्क कमाऊ सदस्य (वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग परिवार के रूप में समझा जा सकता है:
  - बशर्ते कि उसके पास कहीं भी अपने नाम पर एक पक्का घर (सभी मौसमों हेतु क्षम रिहायशी इकाई) नहीं हो।
  - यह भी बशर्ते कि किसी विवाहित दंपत्ति के मामले में, पति/पत्नी में से कोई एक अथवा दोनों के संयुक्त स्वामित्व में केवल एक आवास पाने के पात्र होंगे, वह भी तब जब इस स्कीम के तहत परिवार की आय की पात्रता हो।
- इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को 21 वर्ग मी0 से कम निर्मित क्षेत्र वाले पक्के मकान को 30 वर्ग मी0 की मौजूदा रिहायशी इकाई में संवर्धित करने हेतु शामिल किया जा सकता है। तथापि, यदि भूमि/स्थान की उपलब्धता के अभाव अथवा किसी अन्य कारण से संवर्धन संभव न हो पाए, तो वह पीएमएवाई(यू) के अन्तर्गत कहीं और मकान प्राप्त कर सकता है।

योजना के घटकः–मिशन 4 घटकों में विभाजित है:–

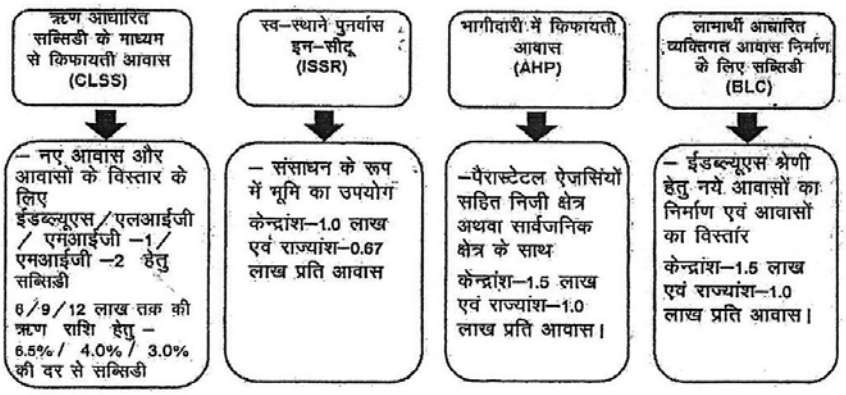
ऋण आधारित सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (CLSS)
– नए आवास और आवासों के विस्तार के लिए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी –1/एमआईजी –2 हेतु सब्सिडी
6/9/12 लाख तक की ऋण राशि हेतु – 6.5%/ 4.0%/ 3.0% की दर से सब्सिडी
स्व–स्थाने पुनर्वास इन–सीटू (ISSR)
– संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग
केन्द्रांश–1.0 लाख एवं राज्यांश–0.67 लाख प्रति आवास
भागीदारी में किफायती आवास (AHP)
–पैरास्टेटल ऐजसिंयों सहित निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के साथ
केन्द्रांश–1.5 लाख एवं राज्यांश–1.0 लाख प्रति आवास।
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी (BLC)
– ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु नये आवासों का निर्माण एवं आवासों का विस्तार
केन्द्रांश–1.5 लाख एवं राज्यांश–1.0 लाख प्रति आवास।

- दुर्बल आय वर्ग श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा 3 लाख तक।
- एल0आई0जी0 हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा 6 लाख तक।
- एम0आई0जी0–1 हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा 12 लाख तक।
- एम0आई0जी0–2 हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा 18 लाख तक।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0-77 का उत्तर पीछे पृष्ठ-68 पर)

विधान सभा के चतुर्थ सत्र, 2019 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री संजय गर्ग, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-77 का संलग्नक।

राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों का विवरण।			
क्र0	पदनाम	कार्यरत कार्मिकों की संख्या	देय मानदेय
1	फोटोग्राफर	1	14006.60
2	आर्टिस्ट	1	14006.60
3	माडलर	1	14006.60
4	डार्करूम असिस्टेन्ट	1	14006.60
5	आडियो विजुअल	1	14006.60
6	स्टोर कीपर कम क्लर्क	1	14006.60
7	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी	5	14006.60
8	डाटा इन्ट्री आपरेटर	15	14006.60
9	टेक्नीशियन ए0सी0	3	14006.60
10	कारपेन्टर	1	14006.60
11	प्लम्बर	2	14006.60
12	टेक्निकल असिस्टेन्ट/टेक्नीशियन	4	23215.05
13	डायटीशियन	2	23215.05
14	फार्मासिस्ट	10	19584.11
15	सहायक कुक	8	12422.40
16	कुक	4	12422.40
17	दफ्तरी	4	12422.40
18	टेलर	3	12422.40
19	वाशमैन/वाशरवुमैन	12	12422.40
20	लोहार	1	12422.40
21	स्वच्छकार	73	11367.99
22	चपरासी	08	11367.99
23	मैसेन्जर	06	11367.99
24	वाचमैन	25	11367.99
25	माली	08	11367.99
26	पैकर्स	12	11367.99
27	अटेण्डेन्ट	05	11367.99
28	चतुर्थ श्रेणी(वार्डब्वाय, अटेण्डेन्ट, चौकीदार आदि)	88	11367.99
	योग-	305	

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0प्र0सं0-79 का उत्तर पीछे पृष्ठ-69 पर)

तालिका संख्या–1

लालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण का विवरण (योजनावार)

वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)	व्यय धनराशि (लाख में)	वृक्षारोपण क्षे0 हे0 में	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवितता प्रतिशत	रोपित प्रजाति
2017–18	टोटल फारेस्ट कवर	10.30	10.30	10.00	13125	11145	85	शीशम, सिरस, नीम, अर्जुन, कंजी, जामुन आदि।
	सघन कम्पोनेन्ट प्लान	1.70	1.70	3.00	6000	5404	90	शीशम, सिरस, नीम, अर्जुन, कंजी, प्रासपिस, जामुन आदि।
	सामाजिक वानिकी योजना	2.08	2.08	9.00	9900	8928	90	शीशम, सिरस, नीम, अर्जुन, कंजी, प्रासपिस, जामुन आदि।
	योग–	14.08	14.08	22.00	29025	25477	88	
2018–19	काष्ठ आधारित वृक्षा0 योजना	0.72	0.72	3.00	3300	3136	95	शीशम, सिरस, नीम, अर्जुन, कंजी, जामुन आदि।
	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	1.40	1.40	4.00	8000	7609	95	शीशम, सिरस, नीम, अर्जुन, कंजी, प्रासपिस, जामुन आदि।
	वन जमा योजना	6.07	6.07	19.00	23400	22251	95	शीशम, सिरस, नीम, अर्जुन, कंजी, जामुन आदि।
	योग–	8.19	8.19	26.00	34700	32996	95	
2019–20	सामाजिक वानिकी योजना	5.72	11/19 तक 3.08	26.00	42100	41078	98	शीशम, सिरस, नीम, अर्जुन, कंजी, गुटेल, बर्गद, जामुन आदि।
	केम्पा योजना	1.22	11/19 तक 0.25	3.00	6000	5880	98	शीशम, सिरस, नीम, अर्जुन, कंजी, गोल्डमोहर जामुन आदि।
	वन जगा योजना	1/.36	11/19 तक 0.96	76.50	104400	102198	98	शीशम, सिरस, नीम, अर्जुन, कंजी, आम, अमरूद, गुलर, जामुन आदि।
	योग–	24.30	10.29	105.50	152500	149156	98	
	कुल योग–	46.57	32.56	153.50	216225	207629	96	

तालिका संख्या–2

लालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण का स्थलवार विवरण					
वित्तीय वर्ष	रेंज का नाम	योजना का नाम	वृक्षारोपण स्थल का नाम	क्षेत्रफल हे० में	रोपित किये गये पौधो की सं०
1	3	4	5	6	7
2017–18	लालगंज	टोटल फारेस्ट कवर योजना	देवगांव –ज्यूली मार्ग 0–7	5.00	3125
		स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना	बसही ग्राम समाज भूमि	3.00	6000
		सामाजिक वानिकी योजना	फदुल्लापुर ग्राम समाज/ नहर	4.00	4400
			देवगांव मेहनाजपुर मार्ग 1–9	5.00	5500
	मेहनगर	टोटल फारेस्ट कवर	एस0बी0एस0 इण्टर कालेज लहुआ	5.00	10000
	योग–			22.00	29025
2018–19	लालगंज	काष्ठ आधारित उद्योग	देवगांव से कलीचाबाद नहर दोनों पटरी	3.00	3300
		स्पेशल कम्पो0	दिलसादपुर ग्राम समाज (कलिचाबाद)	4.00	8000
		वन जभा	ज्यूली –देवगांव मार्ग 0–9 के मध्य दोनों पटरी	4.00	4400
			लालगंज–लहुआँ मार्ग 1–4	2.00	2200
			सारगपुर आरक्षित वन	5.00	10000
			चौकी से बहादुरपुर नहर	3.00	3300
			लालगंज–शंकरपुर मुडहर मार्ग	3.00	3300
			राजकीय वाटिका इं0 कालेज लालगंज	1.00	100
			श्री कृष्ण गीता इन्टर कालेज लालगंज,	1.00	100
	योग–			26.00	34700
2019–20	लालगंज	सामाजिक वानिकी योजना	रूद्रपुर आरक्षित वन	5.00	10000
			सारंगपुर ग्राम समाज	6.00	10000
			शंकरपुर ग्राम समाज	3.00	6000
			देवगाँव केसकत मार्ग	3.00	3300
			सोफीपुर हरिरामपुर मार्ग	3.00	3300
			लालगंज–नौरा मार्ग	5.00	5500
			कुड़िहर ग्राम समाज	2.00	4000
		कैम्पा	स्कूल भूमि चिरकिहिट	3.00	6000
		वन जभा	बड़गहर से छतरपुर नहर	5.00	5500
			बसही से बैरीडीह मार्ग	4.00	4400

	लालगंज	बन जमा	बहादुरपुर से छावनी मार्ग	3.00	3300
			लालगंज–तरयाँ मार्ग	3.00	3300
			खुगादेवरी–लहुआ मार्ग	3.00	3300
			पिउरा–ग्राम समाज	5.00	10000
			चौकी –बरदह ग्राम समाज	3.00	6600
			शारदा सहायक नहर चकिया भगवानपुर से कोटा तक	5.00	5500
			गोड़हरा ग्राम समाज	3.00	6000
			हरिसा से फदुल्लापुर नहर	5.00	5500
			गोसाईगंज से फदुल्लापुर मार्ग	3.00	3300
			त्रिवेणी मोड से छबलपुर मार्ग	3.00	3300
			रोहुआ से बेला मार्ग	5.00	5500
			रणभो से बागपुर बढ़ौना मार्ग	4.00	4400
			बहादुरपुर से देवादपुर नहर	5.00	5500
			घोड़साहना से बालीपुर मार्ग	3.00	3300
			चौकी दुधरा रसूलपुर ग्रा0समाज	3.00	6000
			पुडसुडी ग्राम समाज	3.50	7000
			सलहरा ग्राम समाज / कब्रिस्तान	3.00	6000
	मेहनगर		एस0डी0एस0 इण्टर कालेज लहुआ	2.00	4000
			लहुआ से कोटा मार्ग	3.00	3300
			योग–	105.50	152500
			महायोग–	153.50	216225

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0प्र0सं0-89 का उत्तर पीछे पृष्ठ-74 पर)

(1) साण्डी बघौली मार्ग से डाभा मार्ग वर्ष 2017–18

क्र. स.	स्वीकृति का विवरण	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (लाख रू0 में)	कराये गये कार्य की लम्बाई (कि0मी0 में)	व्यय की धनराशि (लाख रू0 में)	टिप्पणी
1	मरम्मत मद में	2.00	22.35	1.25	13.97	ग्राम डाभा के आबादी भाग लं0–0.75 किमी0 में जलभराव होने के कारण पी0सी0 का कार्य कराया जाना सम्भव नही था। अतः अवशेष धनराशि रू0 8.38 लाख की समर्पित की गयी जो की कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के पत्रांक–4836सी/27सी/अनुरक्षण मद/समर्पण/भाग–9/17–18 दिनांक–19–03–2018 द्वारा स्वीकार कर ली गयी है।
2	निर्माण मद में	–	–	–	–	–

(2) साण्डी बिलग्राम मार्ग से सरौना वाया दुर्गागंज वर्ष 2017–18

क्र. स.	स्वीकृति का विवरण	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (लाख रू0 में)	कराये गये कार्य की लम्बाई (कि0मी0 में)	व्यय की धनराशि (लाख रू0 में)	टिप्पणी
1	मरम्मत मद में	4.00	40.72	3.25	35.63	ग्राम ढोढपुर के आबादी भाग लं0–0.75 किमी0 में जलभराव होने के कारण पी0सी0 का कार्य कराया जाना सम्भव नही था। अतः अवशेष धनराशि रू0 5.09 लाख की समर्पित की गयी जो की कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के पत्रांक–488सी/191सी/समर्पण(3054)अनुरक्षण मद/भाग–1/17–18 दिनांक–21–03–2018 द्वारा स्वीकार कर ली गयी है।
2	निर्माण मद में	–	–	–	–	–

(अभिषेक यादव)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2,लो0नि0वि0
हरदोई (मु0–बिलग्राम)

11/12/19

(संजय कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2,लो0नि0वि0
हरदोई (मु0–बिलग्राम)

अधीक्षण अभियन्ता
उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०
उन्नाव

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0)
लो0नि0वि0 लखनऊ

नत्थी 'च'

(देखिये अता0प्र0सं0-95 का उत्तर पीछे पृष्ठ-78 पर)

मै0 आर0वी0 इण्डस्ट्रीज, डी–41, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की अद्यतन निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त वर्णित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री सतेन्द्र भाटी उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पायरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में मुख्य वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रकिया में उपयुक्त रियेक्टर फर्नेस है, जिनमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर फर्नेस के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। फर्नेश के संचालन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु वेट स्कबर से सम्बद्ध लगभग–60 फिट ऊंची चिमनी की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के समय उक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी।
3. संदर्भित उद्योग को बोर्ड द्वारा वर्ष 2020 तक सशर्त जल/वायु सहमति प्राप्त है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

03/06/19
(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, e.s.

03/06/19

मै0 ए0 एण्ड एस0 इण्टरप्राइजेज, एचसी–26, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की अद्यतन निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त वर्णित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 02.07.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री देश दीपक उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पयरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में मुख्य वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में उपयुक्त रियेक्टर फर्नेस है, जिनमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर फर्नेस के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। फर्नेश के संचालन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु वेट स्कबर से सम्बद्ध लगभग–70 फिट ऊंची चिमनी की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के समय उक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी।
3. संदर्भित उद्योग को बोर्ड द्वारा वर्ष 2019 तक सशर्त जल/वायु सहमति प्राप्त है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

02.07.19
(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

02.07.19
(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

02.07.19

मै0 श्री सांई इण्टरप्राइेजज, प्लाट नं0–सी–31, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02.07.2019 को अधोहस्ताक्षरियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेश गुप्ता उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पायरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में मुख्य वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रकिया में उपयुक्त रियेक्टर है, जिसमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। उद्योग में स्थापित रियेक्टर में ईधन के जलने से उत्सर्जित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वेट स्क्रबर, आई0डी0 फैन व धरातल से लगभग–30 मीटर ऊँची चिमनी की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के समय उक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी।
3. उद्योग को इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2020 तक सशर्त सहमति जल एवं वायु निर्गत है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवंश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

02/07/19
(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

02/07/19
(अजंय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

C.S.

02.07.19

मै0 ए0एन0 इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं0–सी–32, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की अद्यतन निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त वर्णित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री अनिल रायजादा उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पायरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में मुख्य वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रकिया में उपयुक्त रियेक्टर फर्नेस है, जिनमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर फर्नेस के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। फर्नेश के संचालन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु वेट स्कबर से सम्बद्ध लगभग–60 फिट ऊंची चिमनी की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के समय उक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी।
3. संदर्भित उद्योग को इस कार्यालय के पत्र सं0–22795/यू.पी.पी.सी.बी./बुलन्दशहर/(यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/सी.टी.ओ/वाटर/बुलन्दशहर/2018 दिनांक 28.05.2018 एवं पत्र सं0–22794/यू.पी.पी.सी.बी./बुलन्दशहर/(यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/सी.टी.ओ/एयर/बुलन्दशहर/2018 दिनांक 28.05.2018 के माध्यम से दिनांक 31.12.2019 तक सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

11/06/19
(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

11.06.19

मै0 के0आर0 इण्डस्ट्रीज, सी–26, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर से प्राप्त सहमति जल/वायु हेतु आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त संदर्भित उद्योग द्वारा जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जो "निवेशमित्र" योजनान्तर्गत "ऑन–लाईन कन्सेन्ट मैनेजमेण्ट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (OCMMS)" के माध्यम से दिनांक 18.06.2019 को किया गया है, के परिप्रेक्ष्य में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 03.07.2019 को अधोहस्ताक्षरिकर्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री राहुल गुप्ता उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप मात्रा लगभग 08 मी0टन/दिन का प्रयोग कर पयरोलेसिस विधि द्वारा मुख्य उत्पादन के रूप में पायरोलिसिस फ्यूल आयल लगभग–3.2 मी0टन/दिन तथा सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक लगभग–2.4 मी0टन/दिन, स्टील वायर लगभग–1.6 मी0टन/दिन एवं नान कन्डेसेबेल गैस का उत्पादन किया जाता है।
2. सन्दर्भित उद्योग को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक संख्या–एच33043/सा–II/610/19/19 दिनांक 22.02.2019 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसको बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच37054/सा–II/610/निक्षेप/18 दिनांक 07.06.2019 के माध्यम से सशर्त निक्षेपित किया गया है।
3. उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में जल का प्रयोग कूलिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ किया जाता है। उद्योग में घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक/सोकपिट टैंक की व्यवस्था की गयी है तथा कूलिंग में उपयुक्त जल को पुनचक्रित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रकिया एवं वेट स्क्रबर से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र की व्यवस्था की गंयी है, जो निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी। उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र के उपरान्त शुद्धिकृत उत्प्रवाह को शतप्रतिशत पुनः प्रयोग किया जाता है।
4. उद्योग में वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रकिया में उपयुक्त रियेक्टर है, जिसमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। उद्योग में स्थापित रियेक्टर में ईधन के जलने से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वेट स्क्रबर, आई0डी0 फैन व धरातल से लगभग–30 मीटर ऊँची चिमनी की व्यवस्था की गई है, जो निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी। उद्योग द्वारा रियेक्टर से सम्बद्ध चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैस उत्सर्जन की नवीनतम् स्टैक मानिटरिंग रिपोर्ट मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करवाकर प्रेषित की गयी है, अनुश्रवण आख्या की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है।
5. उद्योग द्वारा डस्ट/कार्बन उड़ने के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जो निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी।
6. उद्योग में कार्बन ब्लैक के एकत्रित करने हेतु रियेक्टर को पूर्णरूप से कवर्ड किया गया है तथा उद्योग में उत्पादन कार्य हेतु कवर्ड शेड की व्यवस्था की गयी है।
7. उद्योग को इस कार्यालय के संदर्भ सं0–8274/यू.पी.पी.सी.बी./बुलन्दशहर/(यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/सी.टी.ओ/ वाटर/ बुलन्दशहर/2017 दिनांक 17.02.2018 एवं संदर्भ सं0–8281/ यू.पी.पी.सी.बी./ बुलन्दशहर/ (यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/ सी.टी.ओ/एयर /बुलन्दशहर/2017 दिनांक 17.02.2018 के माध्यम से वर्ष 31.12.2018 तक सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है। उद्योग द्वारा जल/वायु सहमति वर्ष 2020 तक नवीनीकरण कराने हेतु आवेदन किया गया।

.....2/–

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग को निम्नलिखित मुख्य शर्त तथा अन्य सामान्य/विशिष्ट शर्तों के साथ जल एवं वायु संशर्त सहमति वर्ष 31.07.2020 तक नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(क) उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये कि उससे जनित उत्सर्जन/उत्प्रवाह का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आसपास के पर्यावरण/आबादी पर न पड़े।

(ख) उद्योग के उत्पादन प्रकिया से उत्सर्जित उत्सर्जन को मानकों के अनुरूप रखने हेतु उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का नियामित संचालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे उत्सर्जन की मात्रा मानकों के अनुरूप रहे।

(ग) उद्योग की उत्पादन प्रकिया एवं स्क्विंग प्रकिया से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिक्रण के उपरान्त शतप्रतिशत पुनःचकित किया जाये तथा उद्योग से किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा।

(घ) उद्योग का संचालन रात्रि में न किया जाये तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Office Memorandum F No. 12-40/2013-HSMD dated 05.06.2015 में उल्लेखित गाइड लाइन "Standard Operatig Procedure for production of Tyre Pyrolysis Oil from scrap/ Waste Tyre through Pyrolysis process" का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(ड़) उद्योग परिसर के अन्दर कार्बन डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम का समुचित संचालन किया जाये, कच्चे माल एवं फिनिशिंग गुड्स तथा रियेक्टर से निकलने वाले कार्बन ब्लैक की लोडिंग एवं अनलोडिंग उद्योग परिसर के अन्दर कवर्ड शेड में किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उद्योग परिसर के अन्दर और ऊँचे एंव घने वृक्षों का रोपण किया जाये।

(च) उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार गमन) नियम 2016 यथा संशोधित नियम में वर्णित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

05.07.19
(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

05.07.19
(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्यालय,

05.07.19

<u>मै0 श्री सोमेश्वर एलायज, प्लाट नं0–सी–52, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर से प्राप्त सहमति जल/वायु हेतु आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या–</u>

उपरोक्त संदर्भित उद्योग द्वारा जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जो **'निवेशमित्र'** योजनान्तर्गत **'ऑन–लाईन कन्सेन्ट मैनेजमेण्ट एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (OCMMS)'** के माध्यम से दिनांक 14.01.2019 को किया गया, के परिप्रेक्ष्य में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02.02.2019 को अधोहस्ताक्षरिकर्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री मोहित मित्तल उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप मात्रा लगभग 16 मी0टन/दिन का प्रयोग कर पयरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल–6.4 मी0टन/दिन का मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक–4.8 मी0टन/दिन स्टील वायर–2.4 मी0टन/दिन की दर से उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में जल का उपयोग कूलिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ किया जाता है। उद्योग में घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक/सोकपिट टैंक की व्यवस्था की गयी है तथा कूलिंग में उपयुक्त जल को पुनचकित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रकिया एवं वेट स्कबर से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र की व्यवस्था की गयी है, जो निरीक्षण के सगय संचालित पाया गया। उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र के उपरान्त शुद्धिकृत उत्प्रवाह को शतप्रतिशत पुनः प्रयोग किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
3. उद्योग में वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रकिया में उपयुक्त रियेक्टर है, जिसमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। उद्योग में स्थापित रियेक्टर में ईधन के जलने से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वेट स्क्रबर व धरातल से लगभग–60 फिट ऊँची चिमनी की व्यवस्था की गई है, जो निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी। उद्योग द्वारा रियेक्टर से सम्बद्ध चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैस उत्सर्जन की नवीनतम् स्टैक मानिटरिंग रिपोर्ट मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करवाकर प्रेषित की गयी है, अनुश्रवण आख्या की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है।
4. उद्योग द्वारा डस्ट/कार्बन उड़ने के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जो निरीक्षण के समय संचालित पायी गयी।
5. उद्योग में कार्बन ब्लैक के एकत्रित करने हेतु रियेक्टर के पिछले हिस्से को पूर्णरूप से कवर्ड किया गया है तथा उद्योग में उत्पादन कार्य हेतु कवर्ड शेड की व्यवस्था की गयी है।
6. उद्योग को इस कार्यालय के संदर्भ सं0–29765/यू.पी.पी.सी.बी./बुलन्दशहर/(यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/सी.टी.ओ/वाटर/बुलन्दशहर/2018 दिनांक 16.10.2018 एवं संदर्भ सं0–29856/यू.पी.पी.सी.बी./बुलन्दशहर/(यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/ सी.टी.ओ/ एयर/ बुलन्दशहर/2018 दिनांक 05.09.2018 के माध्यम से वर्ष 31.12.2018 तक सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है, जिसकी प्रमुख शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा किया जा रहा है। उद्योग द्वारा जल/वायु सहमति वर्ष 2020 तक नवीनीकरण कराने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग को निम्नलिखित मुख्य शर्त तथा अन्य सामान्य/विशिष्ट शर्तो के साथ जल एवं वायु संशर्त सहमति वर्ष 31.07.2020 तक नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(क) उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये कि उससे जनित उत्सर्जन/उत्प्रवाह का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव आसपास के पर्यावरण/आबादी पर न पड़े।

(ख) उद्योग के उत्पादन प्रकिया से उत्सर्जित उत्सर्जन को मानकों के अनुरूप रखने हेतु उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का नियामित संचालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे उत्सर्जन की मात्रा मानकों के अनुरूप रहे।

(ग) उद्योग की उत्पादन प्रकिया एवं स्कविंग प्रकिया से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकरण के उपरान्त शतप्रतिशत पुनःचकित किया जाये तथा उद्योग से किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा।

(घ) उद्योग का संचालन रात्रि में न किया जाये तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Office Memorandum F No. 12-40/2013-HSMD dated 05.06.2015 में उल्लेखित गाइड लाइन "Standard Operatig Procedure for production of Tyre Pyrolysis Oil from scrap/ Waste Tyre through Pyrolysis process" का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(ड़) उद्योग परिसर के अन्दर कार्बन डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम का समुचित संचालन किया जाये, कच्चे माल एवं फिनिशिंग गुड्स तथा रियेक्टर से निकलने वाले कार्बन ब्लैक की लोडिंग एवं अनलोडिंग उद्योग परिसर के अन्दर कवर्ड शेड में किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उद्योग परिसर के अन्दर और ऊँचे एवं घने वृक्षों का रोपण किया जाये।

(च) उद्योग द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार गमन) नियम 2016 यथा संशोधित नियम में वर्णित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

06/02/19
(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

06/02/19
(आशुतोष चौहान)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

06.02.19

मै0 वेव मैक्स पायरो प्रा0लि0, प्लाट नं0–ई–42/43, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02.07.2019 को अधोहस्ताक्षरियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री नवीन वर्मा उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पायरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में मुख्य वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रकिया में उपयुक्त रियेक्टर है, जिसमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। उद्योग में स्थापित रियेक्टर में ईधन के जलने से उत्सर्जित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वेट स्क्रबर व धरातल से लगभग–100 फीट ऊँची चिमनी की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के समय उक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित पायी गयी।
3. उद्योग को इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2021 तक सशर्त सहमति जल एवं वायु निर्गत है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

02.07.19 02.07.19

(कुँवर संतोष कुमार) (अजय कुमार)
अवर अभियन्ता सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

C.S.

02.07.19

मै0 श्रीमती ट्रेडर्स, ई–1एस, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की अद्यतन निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त वर्णित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री अभिलाष ठाकुर उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पायरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में मुख्य वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में उपयुक्त रियेक्टर फर्नेस है, जिनमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर फर्नेस के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। फर्नेश के संचालन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु वेट स्कबर से सम्बद्ध लगभग–80 फिट ऊंची चिमनी की व्यवस्था की गई है।
3. निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया। आस–पास के लोगों से उद्योग के बन्द होने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग विगत कई माह से बन्द है।
4. संदर्भित उद्योग को बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 तक सशर्त जल/वायु सहमति प्राप्त है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

11/06/19
(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

11.06.19

मै0 इण्डियन इण्टरनेशनल, एम–7, 8, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की अद्यतन निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त वर्णित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06.05.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री विजय उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पयरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में मुख्य वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रकिया में उपयुक्त रियेक्टर फर्नेस है, जिनमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर फर्नेस के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। फर्नेश के संचालन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु वेट स्कबर से सम्बद्ध लगभग–12 मीटर ऊँची चिमनी की व्यवस्था की गई है।
3. निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया। आस–पास के लोगों से उद्योग के बन्द होने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग विगत कई माह से बन्द है।
4. संदर्भित उद्योग को बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 तक सशर्त जल/वायु सहमति प्राप्त है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

06/05/19

(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी, महोदय,

06.05.19

मै0 आर0के0 पायरोलिसिस इण्डस्ट्रीज, प्लांट नं0–बी–19ए, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त वर्णित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.05.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री रविन्द्र उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पयरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में क़ार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में मुख्य वायु प्रदूषण श्रोत के रूप में उत्पादन प्रक्रिया में उपयुक्त रियेक्टर फर्नेस है, जिनमें ईधन के रूप में लकड़ी तथा रियेक्टर फर्नेस के संचालन से जनित फिलेमेबिल गैस का उपयोग किया जाता है। फर्नेश के संचालन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु वेट स्कबर से सम्बद्ध लगभग–15 मीटर ऊँची चिमनी की व्यवस्था की गई है।
3. निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया। आस–पास के लोगों से उद्योग के बन्द होने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग विगत कई माह से बन्द है।
4. संदर्भित उद्योग को बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 तक सशर्त जल/वायु सहमति प्राप्त है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रिम आंवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

20/05/19
(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी, महोदय,
C.S.
20.05.19

मै0 पायरोलियम प्रोडक्ट प्रा0लि0, प्लाट नं0–के–3, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की निरीक्षण आख्या।

संदर्भित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.05.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन बन्द होने के कारण कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. पत्रावली अभिलेखानुसार प्रश्नगत् उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पयरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता था।
2. पत्रावली अभिलेखानुसार उद्योग को बोर्ड द्वारा वर्ष 2015 तक सशर्त जल/वायु सहमति प्राप्त थी।
3. संदर्भित उद्योग द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति के उद्योग का संचालन एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानो का उल्लघंन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एफ94533/सी–4/सा0ना0–359/का0बा0नो0/16 दिनांक 17.01.2017 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
4. निरीक्षण के समय उद्योग बन्द पाया गया। आस–पास के लोगों से उद्योग के बन्द होने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग विगत कई माह से बन्द है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

20/05/19

(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी, महोदय,

20.05.19

<u>मै0 मोहम्मद इस्लाम, प्लाट नं0–आर–31, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की निरीक्षण आख्या–</u>

उपरोक्त वर्णित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 20.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग बन्द पाया गया तथा उद्योग स्थल पर कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. पत्रावली अभिलेखानुसार प्रश्नगत् उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पयरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता था।
2. निरीक्षण के समय उद्योग स्थल पर उत्पादन कार्य हेतु मशीनरी स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त के सम्बन्ध में आस–पास के उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त उद्योग को डिस्मेन्टल कर दिया गया है।
3. संदर्भित उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानो का उल्लघंन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच22742/सी–4/सा0–II/बन्दी आदेश/474/18 दिनांक 27.06.2018 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया था। तदोपरान्त उद्योग के प्रत्यावेदन दिनांक 03.08.2019 के उपरान्त बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच27278/सी–4/सा0–II/474/18 दिनांक 16.10.2018 के माध्यम से उद्योग को जारी बन्दी आदेश को मशीनरी को डिस्टमेन्टल करने हेतु सशर्त निलम्बित किया गया है, जिसके अनुपालन में उद्योग द्वारा मशीनरी आदि को डिस्मेन्टल कर दिया गया है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

20/06/19 20/06/19

(कुँवर संतोष कुमार) (आशुतोष चौहान)
अवर अभियन्ता सहायक पर्यावरण अभियन्ता

<u>क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,</u>

20.06.19

मै0 रायजादा एक्सपोर्ट्स, प्लाट नं0–डी–6, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औ0 क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की निरीक्षण आख्या–

उपरोक्त वर्णित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 20.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग बन्द पाया गया तथा उद्योग स्थल पर कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. पत्रावली अभिलेखानुसार प्रश्नगत् उद्योग में कच्चे माल के रूप में टायर एवं रबर स्क्रैप्स का प्रयोग कर पयरोलेसिस विधि द्वारा पायरोलिसिस फ्यूल आयल मुख्य उत्पादन एवं सहउत्पाद के रूप में कार्बन ब्लैक, स्टील वायर का उत्पादन कार्य किया जाता था।
2. निरीक्षण के समय उद्योग स्थल पर उत्पादन कार्य हेतु मशीनरी स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त के सम्बन्ध में आस–पास के उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त उद्योग को डिस्मेन्टल कर दिया गया है।
3. संदर्भित उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानो का उल्लघंन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भित उद्योग के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच22744/सी–4/सा0–11/बन्दी आदेश/472/18 दिनांक 27.06.2018 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में उद्योग द्वारा मशीनरी आदि को डिस्मेन्टल कर दिया गया है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

20/06/19
(कुँवर संतोष कुमार)
अवर अभियन्ता

20/06/19
(आशुतोष चौहान)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

20.06.19

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0प्र0सं0-106 का उत्तर पीछे पृष्ठ-83 पर)

(1) साण्डी बघौली मार्ग से डाभा मार्ग वर्ष 2017–18

क्र. स.	स्वीकृति का विवरण	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (लाख रू0 में)	कराये गये कार्य की लम्बाई (कि0मी0 में)	व्यय की धनराशि (लाख रू0 में)	टिप्पणी
1	मरम्मत मद में	2.00	22.35	1.25	13.97	ग्राम डाभा के आबादी भाग लं0–0.75 किमी0 में जलभराव होने के कारण पी0सी0 का कार्य कराया जाना सम्भव नही था। अतः अवशेष धनराशि रू0 8.38 लाख की समर्पित की गयी जो की कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के पत्रांक–4836सी/27सी/अनुरक्षण मद/समर्पण/भाग–9/17–18 दिनांक–19–03–2018 द्वारा स्वीकार कर ली गयी है।
2	निर्माण मद में	–	–	–	–	–

(2) साण्डी बिलग्राम मार्ग से सरौना वाया दुर्गागंज वर्ष 2017–18

क्र. स.	स्वीकृति का विवरण	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत (लाख रू0 में)	कराये गये कार्य की लम्बाई (कि0मी0 में)	व्यय की धनराशि (लाख रू0 में)	टिप्पणी
1	मरम्मत मद में	4.00	40.72	3.25	35.63	ग्राम ढोढपुर के आबादी भाग लं0–0.75 किमी0 में जलभराव होने के कारण पी0सी0 का कार्य कराया जाना सम्भव नही था। अतः अवशेष धनराशि रू0 5.09 लाख की समर्पित की गयी जो की कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के पत्रांक–488सी/191सी/समर्पण(3054)अनुरक्षण मद/भाग–1/17–18 दिनांक–21–03–2018 द्वारा स्वीकार कर ली गयी है।
2	निर्माण मद में	–	–	–	–	–

(अभिषेक यादव)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2,लो0नि0वि0
हरदोई (मु0–बिलग्राम)

11/12/19

(संजय कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2,लो0नि0वि0
हरदोई (मु0–बिलग्राम)

अधीक्षण अभियन्ता
उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0
उन्नाव

(एस0 के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0)
लो0नि0वि0 लखनऊ

नत्थी 'ज'

(देखिये अता0प्र0सं0-127 का उत्तर पीछे पृष्ठ-93 पर)

विधान सभा के चतुर्थ सत्र, 2019 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-127 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्रय किये गये उपकरण एवं उनके संचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी व चिकित्सक की उपलब्धता				
क्र0	मेडिकल कालेज एवं संस्थान का नाम	2017-18 में क्रय किये गये उपकरण	2018-19 में क्रय किये गये उपकरण	प्रशिक्षित कर्मचारी व चिकित्सक की उपलब्धता
1	कानपुर	11	27	उपलब्ध
2	आगरा	18	3	उपलब्ध
3	नशा मुक्ति केन्द्र आगरा	0	2	उपलब्ध
4	प्रयागराज	5	55	उपलब्ध
5	मेरठ	4	32	उपलब्ध
6	झाँसी	3	19	उपलब्ध
7	गोरखपुर	27	20	उपलब्ध
8	कन्नौज	3	5	उपलब्ध
9	जालौन	2	5	उपलब्ध
10	आजमगढ़	2	48	उपलब्ध
11	अम्बेडकर नगर	04	08	उपलब्ध
12	सहारनपुर	72	27	उपलब्ध
13	बाँदा	12	37	उपलब्ध
14	बदायूँ	72	84	उपलब्ध
15	हृदय रोग संस्थान, कानपुर	1	4	उपलब्ध
16	जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर	8	0	उपलब्ध
17	शाहजहाँपुर	0	160	आवश्यकतानुसार उपलब्ध मानव संसाधन से उपकरण संचालित किये जा रहे है।
18	बहराइच	0	160	उपलब्ध
19	बस्ती	0	142	आवश्यकतानुसार उपलब्ध मानव संसाधन से उपकरण संचालित किये जा रहे है।
20	अयोध्या	0	166	उपलब्ध
21	फिरोजाबाद	0	129	उपलब्ध
	कुल योग-	244	1133	

पी0एस0यू0पी0-एल0 64 विधान सभा (89)-13-07-2021-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।